

**DISCUSSION ON THE "GLORIOUS JOURNEY OF 75 YEARS OF THE
CONSTITUTION OF INDIA" - *Contd.***

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री तथा सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): मैं कह रहा था कि एक जम्मू कश्मीर की रियासत, जिसका जिम्मा उस समय के प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था। हम सब जानते हैं कि महाराज हरि सिंह ने इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की विरासत को विलय किया था, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के विषयों में इन्वॉल्व किया जाए। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी से बात कीजिए। जब उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अप्रोच किया, तो आर्टिकल 370, जो बाद में आया, उसके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा, वह मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, "You wish India should protect your borders, she should build roads in the area, she should supply you food grains and Kashmir should get equal status as India. But Government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal, would be treacherous thing against the interest of India and I, as a Law Minister of India, will never do it." बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में शेख अब्दुल्ला के... लेकिन, संविधान पर आघात की शुरुआत तो हो चुकी थी। आर्टिकल 370 आया और मुझे यह बोलते हुए गौरव है कि आर्टिकल 370 के ही विरोध में उस समय के जनसंघ के संस्थापक और अध्यक्ष, डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने आवाज को उठाया और कहा कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने इसके लिए बलिदान दिया। श्रीनगर की जेल में संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह इस बात का प्रमाण है। Again, I will talk about the good lot and the bad lot. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की माता जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनकी रहस्यमय मौत हुई है, लेकिन वह आवाज दबा दी गई और उस रिक्वेस्ट को नकार दिया गया। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है।

मैं यहां यह भी बताना चाहता हूँ कि केवल आर्टिकल 370 ही नहीं आया, again, it is a question of good lot and bad lot, चीजें कैसे चेंज होती हैं? आर्टिकल 370 में एक Presidential Order के माध्यम से 1954 में धारा 35ए लाई गई और 35ए को जो Presidential Assent दिया गया, that was then without parliamentary debate. उस पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई। आजकल डेमोक्रेसी की बहुत चर्चा होती है। आजकल प्रजातंत्र की बहुत चर्चा होती है। आप धारा 370 में 35ए को Presidential Order से लाते हैं और आप उसकी डिबेट तक नहीं करते हैं! Bypassing the usual parliamentary procedures, वह धारा 35ए लागू हो गई। वह 35ए क्या था — धारा 35ए डिफाइन करती थी कि जम्मू-कश्मीर का नागरिक कौन होगा? Who will be the State's citizen? जम्मू-कश्मीर की दृष्टि से उसी को नागरिक माना जाएगा, जो 1944 से पहले वहां रहा करते थे। बाकी किसी को भी स्टेट की सिटिजनशिप, स्टेट की डोमिसाइल नहीं दिया जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक देश में दो विधान हो गए थे, दो

प्रधान हो गए थे और दो निशान हो गए थे। प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को एक काम दिया गया और वह हम सबको धारा 370 के रूप में देखने को मिला और पिछले दरवाजे से धारा 35ए के रूप में देखने को मिला। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो पीओके से आए हुए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए शरणार्थी भी जम्मू-कश्मीर के नागरिक नहीं बन सके, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसका नतीजा क्या निकला? What was the impact of Article 370? इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधान ने क्या-क्या जर्नी देखी है, यह हमें समझना चाहिए। Sir, 106 laws passed by the Indian Parliament were not applicable in Jammu and Kashmir. 106 laws passed by the Parliament of India were not applicable in Jammu and Kashmir which includes The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act and Protection of Human Rights Act. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि POCSO--Prevention of Children from Sexual Offences Act--was not implemented in Jammu and Kashmir. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि women's property rights were not implemented, जिसके सबसे बड़े वोक्ल एडवोकेट जवाहरलाल नेहरू थे। That was not applicable in Jammu and Kashmir. आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि अगर किसी कश्मीरी बहन की किसी नॉन-कश्मीरी से शादी हो जाती है, तो वह भी प्रॉपर्टी राइट्स से वंचित हो जाती थी। यह स्थिति आकर खड़ी हो गई थी। राजीव गांधी जी ने 73rd and 74th Amendment Acts लागू किए, वे भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं थे। That was also not applicable on Jammu and Kashmir. गुज्जर, बकरवाल के लिए रिजर्वेशन एप्लिकेबल नहीं था। Reservation to STs - आज हम सब लोग बड़े चैंपियन बनते हैं और बार-बार एसी-एसटी कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों सब चुप रहे, एसटी के रिजर्वेशन के बारे में क्यों नहीं बोल पाए, गुज्जर, बकरवाल के रिजर्वेशन के बारे में क्यों नहीं बोल पाए?

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए, हमारे इस देश में तीन प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री हुए। मनमोहन सिंह जी, वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वे यहां आकर प्रधान मंत्री बने। आई.के. गुजराल, वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वे यहां पर प्रधान मंत्री बने। लाल कृष्ण अडवाणी जी, वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वे यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आया हुआ व्यक्ति जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकता था। वह विधान सभा का सदस्य नहीं बन सकता था। यह आर्टिकल 370 की देन थी, जिसके बारे में अभी भी लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहिए। वह आर्टिकल 370 क्या देता था! यानी वह पंचायत का चुनाव न लड़ सके, विधान सभा का सदस्य न बन सके, विधान सभा में वोट न दे सके। They were not allowed to give votes. यह स्थिति आकर खड़ी थी! यह आर्टिकल 370 के तहत हम लोगों को देखने को मिला।

उपसभापति जी, आपको जान कर बहुत आश्चर्य होगा कि जम्मू-कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको बसाया गया। उनको कहा गया कि आपको यहां पर हम जम्मू-कश्मीर की नागरिकता देंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि उनको इतने सालों तक सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी का अधिकार था, बाकी उनका बेटा न डॉक्टर बन सकता था, न इंजीनियर बन सकता था, न वह एडमिशन ले सकता था। आप देखिए कि इस आजाद भारत में

कानून की धज्जियां कैसे उड़ीं! अगर हम 'Glorious journey of 75 years of Indian Constitution' की चर्चा कर रहे हैं, तो ये बातें सामने आनी चाहिए कि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बन सकता है, he will not get admission in engineering college, he will not get admission in medical institutions and he will not get any reservation for any services in Jammu-Kashmir. यह स्थिति लाकर खड़ी की।

मैं इस पार्लियामेंट का धन्यवादी हूँ and, again, after the bad lot, we got the good lot and that good lot, on 5th of August, 2019, abrogated Article 370. इसने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया। मुझे याद है, पुराने हॉल में सब लोग आकर यहां धरने पर बैठे हुए थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि आप किस कानून के लिए धरना दे रहे थे, किस कानून का विरोध कर रहे थे, किसलिए विरोध कर रहे थे। आज आदरणीय प्रधान मंत्री जी को मैं फिर से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी सूझ-बूझ के कारण आज जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, part and parcel बन गया। यह हमको ध्यान में रखना है।

अभी कल हमारे आदरणीय खरगे जी कह रहे थे कि हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। आपने 25 साल में संविधान में यह तोहफा दिया, 25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों न करें! अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे कि भाई, हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। हम कैसे मान लें! अभी अगले साल 25 तारीख को इमरजेंसी को आए हुए 50 साल हो जाएंगे, हम 'लोकतंत्र विरोधी दिवस' मनाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। 50 साल पहले इमरजेंसी के जरिए प्रजातंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी उनके प्रति कोई रहम है, अगर आपके दिल में कहीं कोई प्रायश्चित है, तो मैं आह्वान करता हूँ और आपको before time बताता हूँ कि 25 जून, 2025 को आप जरूर 'लोकतंत्र विरोधी दिवस' में शामिल होइए और उसके बारे में चर्चा कीजिए। अब उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी किसलिए लगी। क्या देश को खतरा था? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। किस्सा कुर्सी का था, कुर्सी को खतरा था, इसके चलते सारा देश अंधकार में डाल दिया गया और 25 जून, 1975 को Presidential assent के द्वारा Article 352 of the Constitution में internal disturbance बताते हुए Fundamental Rights को, Articles 19 and 21 को निलंबित कर दिया गया। उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग MISA और DIR में 22-22 महीने के लिए बंदी हुए। मुझे यह गौरव के साथ कहना है कि उस समय के जनसंघ और उस समय के आरएसएस के कम से कम 75,000 से ज्यादा हमारे लोग थे, जिनको उसमें बंदी बनाया गया। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने अपने आपको आत्मसात करते हुए यह किया। ...**(व्यवधान)**...

मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ एक लाख से ज्यादा लोगों को MISA और DIR में बंद किया गया, अब देखिए कि इस जर्नी में बातें सामने आती हैं, तो ध्यान में रहती हैं। मनोज जी बैठे हैं। हमारी मीसा भारती जी पहले यहाँ की सदस्या रही हैं, जो आजकल लोक सभा की सदस्या हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि उनका नाम 'मीसा' क्यों पड़ा? ...**(व्यवधान)**... तब मैं छात्र था। I was student of intermediate at that point of time in Patna. I was twice arrested from the class. मैं वहाँ पढ़ने गया था। हमें क्लास से अरेस्ट किया गया। हमने वे दिन भी देखे हैं। लेकिन, उनका नाम 'मीसा' क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि जब मीसा बहन पैदा हुई, तो

लालू जी जेल में थे, वहाँ MISA में बंद थे, Maintenance of Internal Security Act में बंद थे। ठीक है, आज साथ-साथ हैं, समय का फेर है। यह भी glorious journey का पार्ट है।

मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। आजकल इस बात की भी बड़ी चर्चा होती है कि मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। कल 'गोदी मीडिया' कह दिया गया, कल और कुछ कह दिया गया। आपको मीडिया की तपस्या के बारे में मालूम नहीं है। आप जरा 1975 के इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन के एडिटोरियल्स निकाल करके देखिए। वे blank हैं। वे डटकर खड़े रहे। आज हम स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को भूल नहीं सकते, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि लोटा लेकर के आया था, लोटा लेकर के चला जाऊंगा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। ...(व्यवधान)... आप modern India में हैं। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: सर, इनकी तपस्या की definition दूसरी है। ...(व्यवधान)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: आप देखिए कि वे कैसे लोग थे। उस समय बहादुरशाह जफ़र मार्ग में अंधेरा छा गया था, censorship लग गई थी। कुछ लिखने के पहले censorship से उसकी clearance चाहिए थी। मीठी-मीठी लिखो, खट्टी-खट्टी बंद करो और आज आप 'गोदी मीडिया' की बात करते हैं! हमें मीडिया को सैल्यूट करना चाहिए। जब समय क्राइसिस का आया, तो मीडिया खड़ा रहा, डटकर खड़ा रहा और उसने Emergency का विरोध किया। ...(व्यवधान)... यह कांस्टीट्यूशनल जर्नी का पार्ट है। आप देखिए कि जब आपकी कुर्सी खतरे में पड़ी, तो आप 39th Constitutional Amendment Act, 1975 ले कर आ गये और आपने क्या कहा। उपसभापति जी, उसमें कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधान मंत्री, इनके इलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं करेगा। आप ही बताइए कि यह black law था या नहीं था, आप बताइए कि यह bad lot था या नहीं था? ...(व्यवधान)... आप judicial scrutiny से अपने आप को निकाल रहे थे और उसमें भी देखिए कि फिर आपने क्या कहा कि "Amendment will be applied retrospectively." यह पीछे से लागू होगा। यानी आपने अपनी करतूतों को छुपाने के लिए और करतूतों से बचने का तरीका ढूँढ़ने का काम किया। उसके बाद आप देखिए कि आप यहीं पर रुक जाते तो भी हम समझते, लेकिन आप 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 लेकर आ गए। वह 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 क्या था? उसके इतने far-reaching effects थे कि it was almost like the re-writing of the Constitution. It was almost a mini-Constitution and to have made the Constitution unrecognizable. आज हम संविधान निर्माताओं की चर्चा करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपने Constitution की spirit को चेंज करने का प्रयास किया है, कुत्सित प्रयास किया है। अपने Constitution को rewrite करने का प्रयास किया है। आप अमेंडमेंट क्या लाए? That prevented Judiciary from calling in question any constitutional amendment in any court, on any ground. हमारे संविधान निर्माता Constitution के बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे थे। हमारे संविधान निर्माता फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने इश्योर किया और आपने यहाँ judicial review में judiciary को curtail करके एक ही स्ट्रोक में फैसला कर दिया कि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई भी फैसला किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पर scrutiny से बाहर रहेगा। इतना ही नहीं, it

restricted the courts to issue orders and injunctions. ये सारे का सारा 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। आपने प्रियेम्बल के साथ भी छेड़छाड़ कर दी। आपने उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स जोड़ दिये।...(व्यवधान)... हाँ, जोड़ने चाहिए थे, लेकिन अगर आपने संविधान पढ़ा होता और संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को समझा होता तो आपने इनको नहीं जोड़ा होता। डा. अम्बेडकर ने इस संबंध में क्या लिखा? उन्होंने लिखा, "There was no need to include the term 'secular' as the entire Constitution embodied the concept of 'Secular State' which meant no discrimination on grounds of religion and equal rights and status of all citizens". अब आप बताइए कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने स्पष्ट लिख दिया था कि सेक्युलर शब्द की जरूरत नहीं है। इस पर संविधान सभा में चर्चा हुई थी।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज, प्लीज, बैठ कर न बोलें।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: लेकिन आपने सोचा कि हम जो करते आए हैं, वहीं करेंगे। हम वोट बैंक की राजनीति करें, हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करें, एक के साथ दो साधें और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज़ को प्लीज़ करें। संविधान निर्माताओं ने जिसके बारे में यह कहा कि यह हमारे में रचा बसा है, उसके बारे में आप सेक्युलर शब्द क्यों जोड़ रहे हैं? यह संविधान के निर्माताओं ने लिखा। उसी तरीके से डा. अम्बेडकर ने सोशलिस्ट के बारे में क्या लिखा? उन्होंने लिखा, "On the inclusion of the term 'socialist', he said that it was against the very grain of democracy to decide in the Constitution what kind of society the people of India should live in."

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

यह हमारे डेमोक्रेसी के मूल चरित्र को चैलेंज करता है कि भारत के लोग किस तरीके के सोसाइटी में रहना चाहें, यह वे तय करेंगे, यह हम तय नहीं करेंगे, यह संविधान नहीं तय करेगा। लेकिन आपने माइनॉरिटीज़ का अपीजमेंट करने के लिए सेक्युलर शब्द और अपने आपको प्रोग्रेसिव बताने के लिए, a little left from the Centre बताने के लिए सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया।...(व्यवधान)... कल मैडम निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर सी. एम. स्टीफन का वक्तव्य पढ़ा है। उस वक्तव्य में क्या अहंकार दिखता है! एक तरीके से ज्यूडिशरी के लिए प्रताड़ना करने वाले शब्दों का उपयोग किया गया है, arm-twisting की गई है, धमकी दी गई है।...(व्यवधान)... वह भी पार्लियामेंट के अंदर की गई है।...(व्यवधान)... आप भी हमारे किसी बीजेपी नेता का वर्णन उद्धृत कर दें, जिसमें हम लोगों ने कभी ज्यूडिशरी पर कुछ कहा हो। इस तरह से arm-twisting की गई। आपने क्या किया? His Holiness Kesavananda Bharati and the State of Kerala 1973 का जो जजमेंट था, 13 जजेज़ में 7:6 पर जो जजमेंट था, जिसमें उन्होंने basic structure of Constitution को डिफाइन किया। उन्होंने basic structure of Constitution में कहा कि the supremacy of the Constitution is the Basic Structure. The rule of law, the

separation of powers, the independence of Judiciary and the fundamental rights - ये basic structure of Constitution हैं, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। जिन जजेज़ ने यह फैसला दिया, उन्होंने संविधान की रक्षा तो कर ली, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वे अपनी रक्षा नहीं कर पाए। आपको मालूम होगा कि जब doctrine of basic structure, safeguard against the arbitrary amendments, particularly relevant during Emergency, जैसी बातों को ध्यान में रखा गया, तो तीन senior-most Judges of Supreme Court, Justice J.M. Shelat, Justice K.S. Hegde and Justice A.N. Grover who had upheld the basic structure, उनको supersede करके Shri A.N. Ray को Chief Justice of India बनाया गया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। ...**(व्यवधान)**... सभापति जी, इतिहास को पुख्ता करना, यह हमारी जिम्मेवारी है।...**(व्यवधान)**... आपने माना, बहुत बड़ी बात है। ADM Jabalpur Vs. Shivkant Shukla के केस में यह फैसला किया गया कि जस्टिस एच.आर. खन्ना ने dissenting note दिया और जब उन्होंने कहा कि Right to Life and Right to Property को Fundamental Rights माना जाता है और यह इमरजेंसी में curtail नहीं होगा, तो आपने जस्टिस एच.आर. खन्ना को भी चलता कर दिया और जब उनकी चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो उसको भी supersede कर लिया। आपने जुडिशियरी को किस तरीके से रोक करके रखा, वह भी हमको ध्यान में रखना है। मैं आपको यहां यह भी बताना चाहता हूँ कि आपने जुडिशियरी को तो curtail किया ही, now, I will talk about the 44th Amendment Act. उसमें हमने इमरजेंसी के कारण को re-define किया और 'internal disturbance' की जगह पर हम लोगों ने 'armed rebellion' को इमरजेंसी का cause माना। इसी तरीके से हम लोगों ने यह भी कहा कि कैबिनेट के साथ-साथ पार्लियामेंट का भी assent चाहिए और वह भी एक महीने के अंदर चाहिए। Now you can understand the difference between the bad lot and the good lot. ..**(Interruptions)**...

सर, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 352, जिसके बारे में कल सुधांशु भाई ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की तथा अन्य वक्ताओं ने भी चर्चा की, लेकिन इसको on record तो लाना ही पड़ेगा। आज आप One Nation, One Election के बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपके कारण One Nation, One Election लाना पड़ रहा है, क्योंकि 1952 से 1967 तक जो One Nation, One Election था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके बारंबार स्टेट्स की चुनी हुई सरकारों को गिराकर आपने कई राज्यों में अलग-अलग चुनावों की परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी। I am sorry, it is Article 356. I stand corrected, it is Article 356. The Article 356 has been used 90 times. Nehruji used it eight times; Shrimati Indira Gandhi used it 50 times, half a Century!; Rajiv Gandhiji used it nine times and Dr. Manmohan Singh used it 10 times. आप बताइए, संविधान की glorious journey में ये बातें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कि आपने किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को एक बार नहीं, बारंबार गिराया, बारंबार गिराया और देश को हर तरीके से मुसीबत में डालने का काम किया?

सर, मैं यहां पर minority appeasement की बात भी करना चाहता हूँ। जब मैं minority appeasement की बात करना चाहता हूँ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने उस समय चर्चा में राजीव गांधी जी के बारे में कहा था कि यह 21वीं शताब्दी, thought-process,

progressive है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के केस में फैसला दिया। इंदौर की एक महिला को compensation के रूप में तलाक के बाद उसके जीवनयापन के लिए फैसला हुआ। उस समय के Muslim Clergy के दबाव में आकर शाह बानो केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए आप पार्लियामेंट में amendment लेकर आए। आप पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेकर आए, जिसमें आपने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अपीज़मेंट और वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख कर यह फैसला लिया। मैं यहां एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार-बार बोलता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए, लेकिन आपमें courage नहीं थी, आपमें हिम्मत नहीं थी, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीज़मेंट से दबे हुए थे, आप अपीज़मेंट को nourish कर रहे थे – यह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिनकी दूर-दृष्टि और पक्के इरादे से ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया। हमारी मुस्लिम बहनों को यदि किसी ने mainstreaming करने का काम किया, तो वह हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। यह भी 'Glorious Journey of Constitution' का यात्रा में लिखा जाएगा। ट्रिपल तलाक के बारे में आपका 'minoritism' और 'appeasement' कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में मैं हाउस को बताना चाहता हूं। सभापति जी, there is no triple talaq in Bangladesh; there is no triple talaq in Pakistan; there is no triple talaq in Afghanistan; there is no triple talaq in Syria; there is no triple talaq in Indonesia. These are all Muslim-declared, constitutionally Muslim-declared States, Islamic States. यहां ट्रिपल तलाक नहीं है, लेकिन हमारा सेक्युलरिज़म का वर्जन देखिए कि हम यहां minority-appeasement को ध्यान में रख कर ट्रिपल तलाक को चढ़ाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा था कि यह नहीं होना चाहिए। But again, the good lot gets the credit that it was Prime Minister Narendra Modi which finished the triple talaq and brought the Muslim sisters into the mainstream.

अभी मैं संविधान की दृष्टि से कुछ boundaries के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 'ceding of territories' का सवाल आता है, the Congress Party has neither been protecting India's sovereignty and territorial integrity, nor combating efforts to reduce India's influence in our neighbourhood. I start with Jammu-Kashmir. In 1949, although our valiant military had achieved success on the battlefield, a ceasefire was accepted by Pandit Nehru. That is why even today, we have Pakistan-occupied-Kashmir. यह आपका योगदान है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा and the House is also aware that China had occupied 38,000 square kilometres of Indian territory and received through an illegal transfer of another 5,180 square kilometres from Pakistan. China could do this because Jawaharlal Nehru neglected defence preparations, including the border infrastructure and was diplomatically naive. We all know that this occupation has been consistently underplayed by Congress to protect their leader's image. हमेशा underplay करने की कोशिश हुई।

अगर मैं म्यांमार की बात करूं, where Myanmar was concerned, the circumstances regarding the transfer of our control on Coco Islands in 1950s remains unclear even

today. अभी तक unclear है। We also have seen a record of unconcerned about the developments that impinge on our national security between 2008 and 2010. We stood by silently as China built the Hambantota Port in Sri Lanka. The Members would appreciate the significance of this development for India's interests. In Maldives, an anti-Indian movement in 2012 led to the exit of Indian investment in key sectors. This too was always not countered by the Congress.

अब मैं Katchatheevu island की बात करना चाहता हूँ। Katchatheevu island के बारे में आपने फिर संविधान को bypass कर दिया। You have bypassed. संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है- पहले मैं कि Katchatheevu island के बारे में बताना चाहता हूँ। Katchatheevu is an island which was under the jurisdiction of Tamil Nadu before it was ceded to Sri Lanka in 1974. Mrs. Gandhi ने 1974 में Katchatheevu island को unilaterally दे दिया to Sri Lanka. ...*(Interruptions)*... And the transfer was executed without amending the Constitution of India, raising significant constitutional and legal questions. ...*(Interruptions)*... अब देखिए Article 1, सभापति जी, violation of Article 1 of the Constitution. What does Article 1 of the Constitution say — “Transferring of any part of the Indian territory to another country requires a constitutional amendment under Article 368 as it results in altering the territory of India.” However, no such amendment was made for the transfer of Katchatheevu. यह स्थिति लाकर खड़ी की। अगर मैं बाउंड्रीज़ की बात करूँ, तो एक चर्चा और करना चाहूँगा। ...*(व्यवधान)*...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, just a minute, please.

MR. CHAIRMAN: Tiruchiji, he is not yielding. Are you yielding, Mr. Minister?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Okay. Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, when Katchatheevu was conceded to Sri Lanka, DMK was in power in Tamil Nadu and allegations were made. But the DMK passed a resolution in the Assembly that Katchatheevu should not be ceded to Sri Lanka and our Members here also opposed that move in Parliament. ...*(Interruptions)*... So, DMK cannot be charged at any point of time. We were only silent spectators. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Leader of the House.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I take the words of Tiruchi Sivaji, but now it is time to rethink association with Indian National Congress also. ...*(Interruptions)*... I am talking about land boundaries agreement with Bangladesh. The India-Bangladesh Land Boundary Agreement was signed on 16th May, 1974 between the two countries to resolve the long-standing border issues. अब मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि that needed ratification. From 1974 till 2015, there was no ratification. कोई ratification नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का दो बातों का कमिटमेंट था — पहला, cooperative federalism और दूसरा, समर्पण, commitment for the Constitution. It was in 2015 that the Government finalised the agreement, and the International Agreement of Territorial Changes was agreed upon and ratified by the Parliament. जब मैं respect for federalism कहता हूँ, तो मोदी जी नेतृत्व में the Central Government had consultations with Tripura, Assam, Meghalaya, West Bengal and सबकी consent लेने के बाद the Land Boundary Agreement was made and approximately 111 Indian enclaves in Bangladesh and 51 Bangladeshi enclaves in India were resettled, 50,000 population was brought under the agreement, और उनको सहायता मिली। आप देखिए कि bad law-1974; good law-2015 when the agreement was done and ratified. अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन यह बात भी सच है कि आप असम को एक तरीके से दे चुके थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि our heart goes out to the people of Assam. वह चला गया था। आज आप डेमोक्रेसी के चैम्पियन बनते हैं, यह अच्छी बात है। देर आए, दुरुस्त आए। अगर उस समय बोरदोलोई साहब नहीं होते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, तो शायद यह भी हम सबको देखना संभव नहीं होता।

12.00 Noon

महोदय, मैं एक और चर्चा करना चाहूंगा। मैं रिज़र्वेशन की चर्चा करना चाहूंगा और रिज़र्वेशन की दो-तीन बातों की चर्चा करूंगा। एक बात तो reservation for backwards है और दूसरी बात reservation for religious minorities है। ये दो बातें तो हैं ही, इसके साथ ही SC reservation की बात भी है। आपका बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ कैसा संबंध था - यह हम सभी जानते हैं, दुनिया जहान को मालूम है, मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा। आपने एक बार नहीं, बल्कि बारम्बार उन्हें चुनाव में हराने का प्रयास किया था। वे किस तरह से वैस्ट बंगाल से इलेक्ट होकर कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में आए — वह बात भी हम सभी के ध्यान में है। आप कांस्टीट्यूएंट असेम्बली का चेयरमैन किसे बनाना चाहते थे और कैसे गाँधी जी ने कांस्टीट्यूएंट असेम्बली के चेयरमैन के लिए हस्तक्षेप किया और वे इसके चेयरमैन बने। ...*(व्यवधान)*...लेकिन सभापति जी, by using the word 'backwards' ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सभापति जी, ये यील्ड कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ...(*Interruptions*)... Jairamji, the Leader of the House is not yielding. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: But he has to authenticate it. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: I will do that. But, by using the word 'backwards' ...(**व्यवधान**)... कांस्टीट्यूट असेम्बली ने बैकवर्ड के बारे में कहा कि "Reservations generally to the disadvantaged communities." और अम्बेडकर जी ने कहा कि मेरिट को भी ध्यान में रखना चाहिए और disadvantaged communities को भी ध्यान में रखना चाहिए। There should be a balance and reservation और रिज़र्वेशन को लागू करना चाहिए। नेहरू जी के क्या व्यूज थे - मैं उसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा। पंडित नेहरू ने 27 जून, 1961 को चीफ मिनिस्टर्स को जो लैटर लिखा, उसमें उन्होंने लिखा था, "I have referred above the efficiency and to getting out of our traditional ruts..." -- Reservation को traditional ruts कहा -- "...This necessitates our getting out of the old habit of reservation and particular privileges being given to the caste of this group or that group. The recent meeting we held here, at which the Chief Ministers were present, to consider national integration, laid down that help should be given to economic considerations and not to the caste. It is true that we have tied up with certain rules and conventions about helping the Scheduled Castes and Tribes. They deserve help, but even so I dislike any kind of reservation, more particularly, in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second rate standards." Backwards were called as 'second rate standards'. "I want my country to be a first class country in everything. The moment we encourage second rate, we are lost." See the mentality. आप इसमें उनकी मानसिकता को देखिए, ये शब्द उनकी मानसिकता के बारे में बता रहे हैं और यह glorious journey of Constitution की दृष्टि से आप लोगों को जानना चाहिए कि संविधान की सभा में जो लोग थे, जिन लोगों ने बाद में आकर at the helm of affairs देश को चलाया, उनके मन में रिज़र्वेशन के प्रति क्या भावना थी, वह इससे प्रतिलक्षित होती है। He further writes, "If we go for reservation on caste basis, we swamp the bright and the able people and remain second rate and third rate. I am grieved to learn how far the business of reservation has gone based on caste considerations." उसके बाद श्रीमती इंदिरा गाँधी ने तो नारा ही लगा दिया कि 'न जात पर, न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर', फिर हमारे राजीव गाँधी जी आते हैं, उनका क्या विचार था रिज़र्वेशन पर?(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: आप पूरा पढ़िए। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। वह तो आप बोलेंगे, मैं तो जात पर, पात पर ही बोलूंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं आपका propagator नहीं हूँ। राजीव गाँधी जी ने कहा, "The second point

which must be a part of the national goal is a casteless society." The Constitution very clearly differentiates between Scheduled Castes and Backward Classes. Why did our Constitution-makers make this distinction? They had something in their minds. Why have we lost that distinction today? I agree with you; the reality is that caste counts for a tremendous amount in this country. I don't disagree with that. But what is our goal? Is our goal a casteless society? If our goal is a casteless society, -- we might have made mistakes in the past and I am including myself in that — if you believe in a casteless society, every major step you take must be such that you move towards a casteless society. And you must avoid taking any step which takes you towards a caste-ridden society." आजकल उनके सुपुत्र संविधान की किताब को लेकर आरक्षण और जाति-जाति करते रहते हैं। यह हृदय परिवर्तन कब हुआ? यह हृदय परिवर्तन हुआ है या वोट परिवर्तन के कारण हृदय परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर चाहिए। अब इसके आगे क्या है, वह सुन लीजिए। "No promotion of idiots in the name of reservation, and that promoting 'idiots' in the name of reservation would harm the entire country." यह हो गया रिजर्वेशन पर आपका मत। जिन्होंने 55 साल राज किया, मैंने उनका मत आपके सामने रखा है। आप काका कालेलकर रिपोर्ट लेकर आए, आपने 1955 में काका कालेलकर रिपोर्ट रख दी और आप 22 साल तक बैठे रहे, लेकिन आपने रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज आपको रिजर्वेशन की आतुरता हो रही है और आप बड़े चैम्पियन बन रहे हैं! आप 22 साल बैठे रहे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन कौन लेकर आया? जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। 1979 Mandal Commission...(Interruptions)... छः सितंबर को राजीव गाँधी जी ने तथ्यात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए और रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग के क्रियान्वयन का विरोध किया। मनोज जी, आजकल आप उधर बैठे हुए हैं, ज़रा ध्यान रखिए। Rajiv Gandhi called Mandal Commission Report 'one man's obstinacy'. ...(Interruptions)... आपने पिछड़े वर्ग के साथ कितना अन्याय किया। चौधरी चरण सिंह जी, किसान पुत्र, बैकवर्ड प्रधान मंत्री, उनकी सरकार को गिराने का काम आपने किया। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, आदरणीय देवेगौड़ा जी बैठे हुए हैं, ये बैकवर्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं - चेयरमैन साहब हैं - आपने इनकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, इसलिए बैकवर्ड के चैम्पियन बनने की कोशिश न करें। अम्बेडकर जी ने नेहरू जी के बारे में क्या कहा, इसे मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ कि उन्होंने 27 अगस्त, 1951 को रामदासपुर, पंजाब में कहा - "Just see the leader of the Congress Party, Pandit Nehru. He has delivered 2,000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the Scheduled Castes even once. From this, you can judge what sympathy the Congress Party can have for our people when its leader, Pandit Nehru, is so adamant." इसी तरीके से अब मैं रिलिजियस रिजर्वेशन पर बोलना चाहता हूँ। सरदार पटेल जी ने 28 अगस्त, 1947 को कांस्टिट्यूटेंट असेम्बली में जो बात कही, उसे भी मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा — "I thought that our friends of the Muslim League will see the reasonableness of our attitude and allow themselves to accommodate to the changed conditions after the separation of the country. But I

now find them adopting the same methods, which were adopted when the separate electorates were first introduced in this country, and, in spite of ample sweetness in the language used, there is a full dose of poison in the method adopted.” सरदार पटेल ने बताया कि विभाजन से पहले जो आपकी नीयत थी, वह फिर से प्रतिलक्षित हो रही है और यह कंट्री के लिए हानिकारक है। ...**(व्यवधान)**... बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिलीजियस रिज़र्वेशन पर साफ कहा कि धर्म के आधार पर रिज़र्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप जाइए good lot और bad lot, bad lot — चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अब क्या कर रहे हैं? आपने आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट्स में चार परसेंट का रिज़र्वेशन देने का प्रयास किया और जब उसको हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, तो आपकी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डीओपीटी का यह सर्कुलर लेकर आ गई कि 27 परसेंट के रिज़र्वेशन में 4.5 परसेंट हमारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जोड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी क्वेश कर दिया, लेकिन आप बाज नहीं आए और आज संविधान के निर्माताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं! संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से डिस्कशन करके, मंथन करके, चिंतन करके यह तय कर दिया कि रिलीजन के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। It is written. मैं चाहूंगा कि इस पर बहस हो। देश को जानना चाहिए कि आप किस तरीके से संविधान की मूल बातों को तोड़-मरोड़कर appeasement की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री जयराम रमेश: सर, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Mr. Jairam Ramesh. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. Please sit down. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सभापति जी, मैं इसको टेबल पर रख देता हूं और इसे ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। It is an Office Memorandum issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) with the subject - Reservation to Other Backward Classes in Civil Posts and Services in the Government of India — Sub Quota for Minority Communities. यह आपका सर्कुलर है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: What is the date of this Circular?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, it is dated 22nd December, 2011.

MR. CHAIRMAN: Please lay it on the Table of the House.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ...**(व्यवधान)**... इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। ...**(व्यवधान)**...

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I am sorry. Subject to correction, what Jairam Ramesh is saying now is wrong. What the Gujarat Chief Minister gave was on the basis of economic backwardness. Here, it mentions 'religious minorities'. These are two different categories. He is conflicting the two and misleading the House. I object to this. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Jairam Ramesh. One minute. I give the floor to Jairam Ramesh. Come on, what do you wish to say? ...*(Interruptions)*... Only Mr. Jairam Ramesh.

श्री जयराम रमेश: सर, धर्म के आधार पर हमने आरक्षण की बात कभी नहीं की है। ...*(व्यवधान)*... हमने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कभी नहीं की है। जहां आरक्षण दिया गया है, जैसे कर्नाटक में, वह ओबीसी के आधार पर दिया गया है, It is for Socially, Economically and Educationally backward classes. धर्म के आधार पर नहीं ...*(व्यवधान)*... यह गलत बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Yes, Nirmala Sitharaman ji. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I am sorry. He may come up with any number of clarifications but he is misleading the House on this point. ...*(Interruptions)*... Dr. K. Laxman, who headed the National Commission for the Backward Classes, should be given a chance to speak on this. ...*(Interruptions)*... He is misleading the House and I object to this.

MR. CHAIRMAN: Yes, Dr. K. Laxman.

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Sir, as per the Mandal Commission recommendations, there were some Muslim professionals included in the list. Apart from that, exclusively, Muslims have been identified in Andhra Pradesh and Telangana. Exclusive reservations are given in both these States. They are purely religious minority reservations, which is against the Constitution of Ambedkarji. Not only that, it is the same Congress which has removed SC/ST reservation from Aligarh Muslim University and also from JMI. It is the same Congress and the UPA Government, which has removed SC/ST reservation. ..*(Interruptions)*..

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Chairman, Sir. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Leader of the House. ..(*Interruptions*)..

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: I think, now the Congress people have got a very befitting answer from our colleague who is also the Chairman of the National Commission for Backward Classes. मैं यहां यह भी बोलना चाहता हूं कि यह तो मैंने आपको 75 साल की यात्रा बता दी, लेकिन इस यात्रा में कुछ जो अच्छे काम हुए हैं, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। जब मैं अच्छी चर्चा की बात करता हूं, तो मैं Directive Principles of State Policy की बात करना चाहता हूं। Directive Principles of State Policy, उसको भी implement करना हमारा काम है। मुझे हाउस को बताते हुए खुशी होती है कि Directive Principles की दृष्टि से हम लोगों ने कहा कि justice will be given to social, economic, political and also the institutions, जो इन सारी चीजों को देखते हैं। अब अगर मैं social justice की बात करूं, तो of course, यह बात सच्चाई है कि Article 338B के तहत National Commission for Backward Classes को Constitutional status नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया। वह Constitutional status हम सबको मिला है। उसी तरीके से 10 per cent of reservation to the economically weaker sections, वह भी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया और social justice लाने का काम किया। उसी तरीके से वाल्मीकि समुदाय को Union Territory of Jammu-Kashmir में रिजर्वेशन देने का काम किया, तो वह भी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया। अगर मैं political justice की बात करूं, तो आर्टिकल 370 को abrogate करके जम्मू-कश्मीर को political justice देने का काम किया, तो वह भी मोदी जी की सरकार ने किया। SC, ST और Other Backward Classes को जम्मू-कश्मीर में जो rights दिए गए, वह political justice भी आर्टिकल 370 को abrogate करके दिया गया। उसी तरीके से women's reservation में हाउस के हमारे सभी लोगों ने उसमें साथ दिया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन वह political will प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, जिसमें सब लोगों ने साथ दिया और लंबे समय से लंबित 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' को पारित करके women को reservation देने का काम किया। Abolition of triple talaq, वह भी करके justice देने का प्रयास हुआ। अगर मैं economic justice की बात करूं, तो चाहे वह मुद्रा योजना हो, चाहे जन-धन अकाउंट्स हों, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, फिर चाहे वह लखपति दीदी हो, फिर चाहे वह हमारा स्वच्छता अभियान हो, फिर चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर चाहे वह प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो, इनके जरिए economic justice दिया गया। आयुष्मान भारत के बारे में as Health Minister मैं जरूर बोलना चाहूंगा। 55 करोड़ लोग और उसमें 6 करोड़ वृद्ध भी जोड़ लिए गए हैं, 55 + 6, यानी 61 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री, मोदी जी के द्वारा 5 लाख रुपए प्रति फैमिली हर साल health coverage देना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, इन सबने deprived classes को जोड़ने का प्रयास किया है और Directive Principles of State Policy के तहत उनको मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया है।

मैं समझता हूँ कि यह जो glorious journey रही है, यात्रा रही है, इसमें हमने बहुत उतार-चढ़ाव देखे। हमें एक बात से सजग रहना है that we should be careful of the bad lot and we should be always hopeful for the good lot, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए।

सभापति जी, अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में यह इच्छा हो रही है। मैं केवल ज्ञानवर्धन के लिए कहना चाहता हूँ कि तपस्या से शरीर में गर्मी नहीं आती है। तपस्या से शरीर में गर्मी नहीं आती है, चित्त शांत होता है; जब चित्र शांत होता है, तो लक्ष्य साफ होता है; लक्ष्य तब साफ होता है, जब नीयत साफ होती है; जब नीयत साफ होती है, तो नीति साफ होती है और जब नीति साफ होती है, तो देश आगे बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, I heard the thought-provoking speech of the Leader of the House. I was very closely watching and hearing the speech made by the Leader of the House about reservation and various other issues in the last 75 years. He brought those issues to the notice of the august House. I am not going to react to those issues. My only appeal to the Leader of the House is this. On the overall issue of reservation, the House has to apply its mind, going by what happened in the past, whether we should give reservation to those who are suffering only on the basis of poverty in this country. The people are suffering even with all the reservations that we have given in the past. It has not lifted the people out of poverty and they are still suffering to get two square meals a day. On the basis of that, irrespective of political party consideration, the House should think over whether reservation should be continued along the same lines as has happened. Or it should be only for those who are suffering from extreme poverty as their living condition is very bad in the villages. Only that much I can say. If the House thinks it over and the leader thinks it over, this can be thought over by the hon. Prime Minister before taking any decision on reservation.

I don't want to make a long speech. I would just like to say a few words on the glorious journey of 75 years of the Constitution which we are debating in this House from yesterday. Yesterday, when I came here, the House was about to rise. I was not keeping well. Your good self has given me an opportunity today to speak on the glorious journey of 75 years of the Constitution. Sir, I welcome this discussion to mark the 75 years of adopting the Constitution. The Constitution drafted under the leadership of the great Dr. Ambedkar has withstood various pressures and politics of old time. The Constitution could withstand various pressures and politics because of the democratic guarantees it was able to offer. Its great vision was understood by the poor and the oppressed people of our nation. If they had not seen hope in Dr. Ambedkar's vision and if they had not understood that it is the only saviour of the

future, they would not have become its fierce guardians. It is important to remember that whenever the Constitution has been abused or threatened, the people have punished those who threatened it. The Constitution has meant everything to me. As a son of a poor farmer from a remote village, from the bottom caste order, I could become the Chief Minister and the Prime Minister. It was only the Constitution which made it possible.

Sir, after I became Prime Minister, to whichever corner of our nation I went, people told me that my rise to the top gave them great hope. They thought that if an ordinary person like me, from an ordinary background, can make progress, they too could make progress in this country. The people openly told me that my rise had given them hope in our democracy. Whatever they alleged and illusionist Delhi said, whatever conspiracy they hatched to pull me down, how much ever they ridiculed me by my dress, my language and my accent, people in every corner of India celebrated my rise. For them, it was a celebration of the potential and diversity of this nation. It is, therefore, as Prime Minister, I found a great satisfaction in working for the neglected part of our nation. I was the first Prime Minister to spend seven days in the North-East and after that an economic package to the region was given by me. It was about Rs. 6,100 crore. Also, a Monitoring Cell in PMO's Office and Shukla Commission were constituted to make a detailed developmental plan of the region. I was the only Prime Minister to visit Kashmir. I was there for 320 days; I was hardly there for 10 months but I conducted elections during that period. It was purely under a democratic process. Thereafter, the Government was formed by Dr. Farooq Abdullah.

Sir, I would like to mention here what happened 50 years ago when the Constitution was suspended and when the Emergency was declared. Nearly, the entire political opposition of this nation was sent to jail. Youngsters of this generation do not realize how bad the situation was. I too was sent to jail at that time. When I was put in jail, my father was unable to withstand the mental pressure of the imprisonment. As a result, he lost his mental well-being and eventually he died. This was because deep fear was created in him by those people who visited him and said: "Your son will not come out of jail because the Emergency was clamped by Madam Indira Gandhi." Earlier, my father had lost three sons and his wife due to epidemic. When he lost his mind, I was the only son. He was unable to bear the mental agony. During this period, he expired. I was sent to my village to cremate him on parole.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair.*]

I don't want to say what all I have suffered during that period. Thousands of people went to jail. Several important leaders were kept in jail. I don't want to say their names. During the Emergency period, lakhs of people went to jail. Many at that time went to jail -- it is my personal experience -- for their political belief and democratic values. It was all done for political survival of just one person.

I would just like to mention a few words. It was during Emergency that the nation realized the liberties and freedoms that the Constitution had guaranteed us. We have one of the finest Constitutions in the world. The architecture ensures balance of power between various institutions and pillars of our democracy. It recognizes our diversity and our federal structure and, at the same time, ensures that there is enough power at the Centre to hold everything together. After the end of one-party era in 1997, India has successfully demonstrated that broad coalition could do much more in terms of development and protected our democratic ethos. I ran a coalition of 13 parties for the first time. The economic record, the democratic credentials of that diverse Government highlight has been well-recognized. This was possible because of the letter and spirit of the Constitution. The simple rule I followed was, if you follow the Constitution closely and faithfully, then there was little chance of my Government making any mistake. This effort, how to remain closer to the word and spirit of the Constitution, is a continuous effort. You must never give up those efforts.

I conclude by paying rich tribute to Baba Saheb Amedkar on this occasion for giving his vision and genius drafting of the Constitution and to all the great souls who have fought to preserve the sanctity of our Constitution. May we celebrate the centenary of our Constitution and its many centenaries that lie ahead in the glorious future of this nation. *Jai Hind!*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Ms. Sushmita Dev; three minutes.

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): Sir, I think the shortest way to show our allegiance to the Constitution is our oath of allegiance, and we need not say furthermore. But, as a participant in this important debate, I wish to make a few points. We all must accept that the Constitution is a document of consensus which emanated from fearless and fierce debates. Different people had different opinions inside the Assembly and outside the Assembly and yet what we got is a Constitution which we all accept today. There is a stark contrast to what is happening inside Parliament and outside Parliament. We have all spoken about Dr. Ambedkar. And, I

think, with Dr. Ambedkar in our hearts, we must remember his undelivered but published speech--‘The Annihilation of Caste’. He was a champion of removing inequalities and, therefore, I speak about right to equality in this country which is not an idea but it is a right, a right that every Government must guarantee. So, let us look at economic inequalities. Today, in India, 1 per cent of the country is controlling about 40 per cent of the wealth! Is that the kind of equality that our forefathers wanted? Sir, today, corporate loans are waived! But, farmers are struggling and reeling under the burden of loans. Today, the middle class is the worst impacted by tax burden, but we see that the taxation on corporates keep reducing because of the policies of this Government. Highly qualified students don't compete for jobs. Today, they have to compete in stampedes. Now, let us come to the two most destructive policies of this Government which destroyed the informal economy. The first one is demonetization and the unplanned lockdown. We have seen what had happened between the haves and have-nots. There was a stark difference between them. Sir, next is social inequality. सर, यहां इतने लोगों ने भाषण दिया, लेकिन बीजेपी के एक भी सांसद ने मणिपुर पर नहीं बोला, एक भी सांसद ने नहीं बोला। Today, I say, while we are debating on the Constitution, which constitutional rights have you not suspended in Manipur? Liberty, Expression, Speech and everything has been suspended in Manipur. I stand here, as a Member of Parliament representing the North East, demanding the resignation of every MP from the North East and every Minister who is thumping their desk behind the Leader of the House. Today, while the Constituent Assembly debates are discussed, we, the citizens, are demanding to have equal rights. In Assam, the BJP is creating different classes of citizens with different rights. The NRC has become No Respite for Citizens. There is no equality in the way the NRC has been conducted. (*Time-bell rings.*)

With these few words, I end my speech by saying that this is a Government which wants one election, one leader, one religion, because this is not what Ambedkarji wanted for this country. This is a fascist Government that is at play.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): डा. जॉन ब्रिट्टास।

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Thank you very much, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir,...(*Interruptions*)...

DR. JOHN BRITTAS: No; my time is going on. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... You have eight minutes.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, you have been kind enough to allow this discussion-- ‘Glorious journey of 75 years of Indian Constitution.’ However, the title should be changed to ‘65 years of undistinguished years and 10 years of glory.’ According to them, 65 years have been horrible and horrendous. Only 10 years have been glorious and golden. Democracy survives on the trust of the people and trust on institutions. Sir, from CAG to Election Commission, to Parliament, to media, the trust of the people has been dented considerably.

Sir, the one person who has been responsible for all these woes is none other than Jawaharlal Nehru! Sir, last time while I was speaking, I requested Amit Shahji, please make a ministry for Jawaharlal Nehru so that one minister can deal with all those ills committed by Jawaharlal Nehru. How many years will you dwell on Jawaharlal Nehru? Our party had disagreements with Jawaharlal Nehru. My Government in Kerala was dismissed. We have our disagreements. We had our disagreements against Emergency. But now what is happening in this country is that, there is an undeclared emergency in this country. Sir, for one week, the Parliament was disrupted on George Soros. A 95-year old man would be laughing in his last innings that because of him, the Indian Parliament, 140 crore people, a Prime Minister with 56 inch wide chest, shattered because somebody is being destabilized in this country. Sir, I am requesting, through you, let us appoint a JPC. Whose money? Soros’ money. Where has the money reached? I am afraid that if a JPC is there, the JPC will reach the footsteps of the Prime Minister’s office. Sir, let the JPC inquire into it. Even a Governor’s name would be doled out. Sir, I would say that the tax payers’ money has been given to George Soros because we are contributing to a UN fund on democracy and that particular fund is giving money to Geroge Soros’ Open Society Foundations. Is it not a fact that our money is going to George Soros? And they said that the US State Department is responsible. Why can’t they close down the US Embassy, declare all of them *persona non grata*, expel them from this country because they are trying to destabilize this nation. Sir, so many things have been said about Jawaharlal Nehru, I will just quote something. In this very House in 1967, a statesman, a gentleman spoke. “In the Ramayana, Valmiki had said that Lord Rama brought the impossible together. In Panditji’s life, we see glimpses of Rama.” Who said, Sir? Atal Bihari Vajpayee said in this very House. Panditji is being compared to Lord Rama, but for you, now, he is Ravana. This is a change that has happened. Dr.

Ambedkar was not considered for Finance Minister's post. Very good! If you want to repeat that allegation, please go and apologize to L.K. Advani. You should have made him the Prime Minister of this country. Why did you not do that? Why did you kick him upstairs to *Margdarshak Mandal*? Before it is late, I would request you, please go to Advani and plead that you were wrong. Sir, the whole country is waiting as to what will happen to Narendra Modi, when he attains 75 years. He is already 74. Will he apply the same rule which he applied to Advani and Murli Manohar Joshi on himself? ...*(Interruptions)*... I will ask the Treasury Benches. ...*(Interruptions)*... Sir, now the biggest problem in this country is defection. I will give you statistics. Sir, 830 people were defected to BJP and they were all made candidates. There was retail defection happening, but they institutionalized whole-sale defection in this country. How many Governments have been brought down? Sir, I am very glad that the Prime Minister gave us 11 commandments, like the Moses was given by the God in Mount Sinai, the Ten Commandments. Do you know the first commandment? He said that every individual should perform their duties, be it individuals or administration. Let the Prime Minister go to Manipur and discharge his responsibilities as the Prime Minister of this country. Let him follow the eleven *mantras* which he gave on the floor of Lok Sabha. Sir, in the Parliament, we are discussing this glorious journey. I would expect the Prime Minister to come and listen to it. If he had given half the time, he gave to Raj Kapoor's family, to this Parliament, we would have been elated. And, the Prime Minister, of course, asked for, 'Where is Taimur?' If Taimur had come, there would have been a hate campaign against that family! That is the situation, Sir. Now they claim that the Constitution is theirs. ...*(Interruptions)*... Let me just tell you. ...*(Interruptions)*... I will quote from the editorial of 'The Organizer'. "It is just old adulterated wine,..." --They are talking about the Constitution.-- "...the same old British bottle bearing a new name. May we own up the error? We have the courage to correct it." That means, they disowned the Indian Constitution. They are exhorting people. I am quoting. I have the document here, Sir, which I got from the Teen Murti Library, which they have renamed it as 'Prime Minister Sangrahalaya. Sir, I will place it on the Table. They are saying, "If we have the courage, we will correct it." That is what Organizer Editorial talked about the Indian Constitution. I would say that the unity of this country can be protected by three ingredients. One is democracy, second is secularism, and third is federalism. Without these three ingredients, the unity cannot be maintained. And, what is the status of federalism? The Office of the Governor has been used to destabilize the State Governments ruled by the Opposition. There are 3Ds -- either Defame the Government or Discriminate the Government or Destabilize the Government! Can a constitutional office of the

Governor be turned into a hitman office? Sir, Kerala is giving so much to the national exchequer. The Wayanad calamity happened. Not even a single pie has been given. The hon. Prime Minister came to Kerala and took the child in his lap and made the child to stroke his beard. Now, we have to pay for the arrangements we made for his visit to Wayanad. Not a single coin given! Are we not part of this country? Can you discriminate a State like this? Sir, now, they talk about 'One-Nation-One Election'. One-nation-One-Election is the extension of one leader, one country, one ideology. ...*(Interruptions)*... That is the extension. Do you want to finish off the federalism in this country? ...*(Time-bell rings.)*... If you are sincere, please apologize to the House for disagreeing with the Indian Constitution, for calling it a British ploy on India and for saying that you will correct the Constitution.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*...

DR. JOHN BRITTAS: I am asking the Treasury Benches, if you have courage, come forward and say, 'We were against the Indian Constitution'. And, if you are saying that Dr. Ambedkar was not made Finance Minister, go and apologize Shri L.K. Advani, for not making him the Prime Minister.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया समाप्त कीजिए। ...*(व्यवधान)*...

DR. JOHN BRITTAS: And, also make sure that the 75-year-old criteria which you made for Advaniji and Murali Manohar Joshi, you will implement when Mr. Narendra Modi is at that age. ...*(Interruptions)*... I am challenging you. ...*(Interruptions)*... If you have the courage, you do it. I am challenging you, if you have the courage. ...*(Interruptions)*... And, if you have the courage to protect the Constitution, please do what I propose. Thank you very much, Sir.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर): सभापति महोदय, आपने सदन में संविधान पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे पुकारा है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप नियमों में लाइए, बैठे-बैठे मत बोलिए।

श्री राम नाथ ठाकुर: महोदय, मैंने कल से आज तक अच्छे से अच्छे वक्ताओं की बात सुनी है। मुझे कुछ लाभ हुआ और मन में कुछ जिज्ञासा भी जगी कि मैं अपनी और अपने दल की कुछ बात इस सदन में रखूँ। अभी सदन के नेता ने अपने भाषण में काका कालेलकर जी के नाम का जिक्र किया

कि उनकी रिपोर्ट को सदन में रखने के बावजूद भी 22 वर्षों तक ठंडे बस्ते में रखने का काम किया गया — मैंने इसके बारे में सुना।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज़ादी के बाद, सन् 1952 के बाद कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। महान देश भक्त और समाजवादी कुछ सोच-समझकर कांग्रेस से अलग हुए होंगे। अपने विचारों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से हमें उन विचारों की तरफ जाना होगा और गए भी हैं। उन विचारों को सामने रखकर मेरे मन में यह भावना आई कि 1974 में छात्रों द्वारा जो आंदोलन घोषित किए गए और किए गए, वे किन कारणों से किए गए? मोरारजी देसाई जी कांग्रेस में थे। उन्होंने किस कारण से गुजरात में आमरण अनशन पर बैठने का काम किया? इन मुद्दों पर पक्ष के भी और विपक्ष के भी साथियों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं। मोरारजी देसाई जी ने छात्रों की माँगों को लेकर आमरण अनशन किया। छात्रों की माँगों को लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन को समर्थन देने का एलान किया, तो उनको भी पटना में लाठियाँ खानी पड़ीं। छात्र आंदोलन उग्र हुआ। वह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। छात्र आंदोलन का समर्थन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किया। इसके बाद कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टी के नेताओं ने घोषणा की कि जयप्रकाश बाबू हम आपके आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते हैं। हम थोड़ा विचार करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कांग्रेस के युवा तुर्क नेता भी आपके साथ हो गए थे।

श्री राम नाथ ठाकुर: ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? जयप्रकाश नारायण जी समाजवादी आंदोलन में क्यों आए? डा. राममनोहर लोहिया जी क्यों आए? माननीय श्रद्धेय चन्द्रशेखर जी कांग्रेस में थे, उन्हें जेल में क्यों डाल दिया गया? वे जयप्रकाश बाबू के अनुयायी थे, उन्होंने देखा कि जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में कूदने का काम किया। सिर्फ कूदने का ही काम नहीं किया, बल्कि जेल में भी रहे। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। 1974 के आंदोलन में तीन, चार और पाँच अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर जो बिहार बंद हुआ, उसमें भी हम लोगों ने हजारीबाग जेल में जाने का काम किया। हमने चार महीनों तक जेल में रहने का काम किया। वह क्या दृश्य था, कैसे लोग भागते थे! सदन के नेता ने ठीक ही कहा कि एक लाख से अधिक लोग जेल में गए, महान लोग जेल में गए। इसका क्या कारण था? जयप्रकाश नारायण जी को गाँधी शांति प्रतिष्ठान से गिरफ्तार कर लिया गया। इसका क्या कारण था? अब लड़ाई में समाजवादी नेता, राज नारायण जी ने केस किया। जजमेंट आई, आंदोलन उग्र हुआ और उग्र होने के कारण कांग्रेस की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने रातों-रात आपातकाल लगाने का काम किया। हमें तो विचार करना चाहिए कि यह कैसे छात्र आंदोलन से कुर्सी आंदोलन तक चला आया। हम कहना चाहते हैं कि जब 1974 के आंदोलन के बाद, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, तब जनता ने जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया और सरकार बनी। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू करने का काम किया। उन्होंने 26 परसेंट आरक्षण लागू करने का काम किया। हम आपके माध्यम से विद्वान साथियों से, पुराने नेताओं से जानना चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कौन सा गलत काम किया, जिससे उनके

आंदोलन और उनके किए गए निर्णयों का कांग्रेस ने विरोध किया। संविधान पर चर्चा हो रही है, संविधान में 15(4) और 16(4) में उल्लिखित है और उन्होंने उसे लागू किया, इस पर हमको और आपको विचार करना चाहिए। हम अभी तक उस पर मौन क्यों थे, चुप क्यों थे, हमने उसे लागू क्यों नहीं किया? कमजोर वर्गों को उठाने का काम, उनको आगे बढ़ाने के काम से आपको किसने रोक रखा था?

हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि छात्र आंदोलन से उपजे हुए आंदोलन में अगर आरक्षण लागू हुआ, तो कौन सा जुल्म हो गया? यह हम पुराने साथियों से भी जानना चाहते हैं। हमने सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और जागृति पैदा करने का काम किया। किसी रचनाकार ने ठीक ही कहा है -

*“है पेट जहां खाली नर का, उस घर में दीप जलेगा क्या,
जब घास न कोई देता है, तो बूढ़ा बैल चलेगा क्या?”*

पिछड़ों को आरक्षण देने का जो काम किया, जो भूखे थे, जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, जो दलित थे, जो लांछित थे, उनको अधिकार देने का काम किया, तो उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बारे में किसी आदमी ने कोई जिक्र करने का काम किया है। मैं इस मंच के माध्यम से भारत के प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 23 जनवरी, 2024 को घोषणा की और चौधरी चरण सिंह जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का काम किया। ऐसा करने से आपको किसने मना किया था? अम्बेडकर साहब को भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, राजग गठबंधन ने भारत रत्न देने का काम किया है। उसकी चर्चा कोई आदमी नहीं कर रहा है। आपको क्या हुआ है? इसलिए राजग ने ठाना है,

*“जज्बे-शौके-शहादत से हमें क्या फायदा,
हमने भी सर अपने हाथों पर धर लिया है,
आखिर कत्ल से कब तक डरूं मैं,
जब कातिलों के मोहल्ले में घर कर लिया है”।*

हम कहना चाहते हैं कि हम जगे हैं, उठे हैं, हम संघर्ष करेंगे और जो संविधान में लिखित बातें हैं, उनको लागू करने का काम करेंगे। यही तो हमारा नारा है, यही तो हमारे पूर्वजों का कहना है। उन्होंने जो चिंतन किया, मनन किया, जो हमको देने का काम किया, उस चीज को लागू करने का अधिकार हमको है और हम उसे करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 1974 की एक बात बताकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। 1974 में हम जेल में थे। सरकार के द्वारा हाई स्कूल के शिक्षकों को टारगेट दिया गया था कि उन्हें एक रोज में 20 नसबंदी करानी हैं।

1.00 P.M.

हमारे यहां चंदौली हाई स्कूल के हेड मास्टर, श्री शिवजी सिंह जी थे। उनको मेरा गांव पड़ गया। उस गांव में एक रोज में 13 आदमी का नसबंदी का ऑपरेशन हुआ। नसबंदी हो गई। जब हम लोग छूट कर आए, तो हमें पता लगा कि इन लोगों की नसबंदी हुई है। जब देखा, तो उन सभी 13 आदमियों को नसबंदी के बाद भी चार-चार बच्चे हो गए। हमको इस पर भी विचार करना होगा कि कैसी नसबंदी हुई, कैसा आदेश हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप कृपया समाप्त करें।

श्री राम नाथ ठाकुर: इसलिए मैं आपके माध्यम से ...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मुझे पता नहीं, मेरे माध्यम से उसका पता नहीं चलेगा।

श्री राम नाथ ठाकुर: हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जरा इसके बारे में भी data collect कीजिए, इसकी भी जानकारी रखिए।

अंत में, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि

*"मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे - 2
दो काम में एक काम तू मेरा कर दे,
रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूँ,
नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे।"*

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Dr. Syed Naseer Hussain.
...(Interruptions)...

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I have a point of order.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपका point of order क्या है?

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, under Rule 19, it has been said, 'The Chairman may, if he thinks fit, prescribe after taking the sense of the Council, a time limit for speeches.' Sir, I have only one request. You are giving a lot of time, extra time. That is very good. We are fine with that. लेकिन आप इधर के सदस्यों को भी थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे ही इधर का टाइम पूरा होता है, वहां से आप घंटी बजा दे रहे हैं। प्लीज़, आप यहां भी extra time दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): बैठिए, बैठिए। माननीय सभापति महोदय ने ...(व्यवधान)... कृपया सुनें। ...(व्यवधान)... पहली बात तो यह है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ...(व्यवधान)... कृपया सुनें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं व्यवस्था का प्रश्न निरस्त करता हूँ। मैं आपकी बात माननीय सभापति महोदय तक पहुंचा दूंगा। डा. सैयद नासिर हुसैन। Dr. Syed Naseer Hussain, five minutes.

डा. सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक): सर, 5 मिनट!

श्री नीरज शेखर: सर, आप टाइम देखिए, कांग्रेस का समय समाप्त हो गया है। आप देखिए कि कांग्रेस का टाइम कितना हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सभापति महोदय ने समय दिया है। आप कृपया बैठ जाएं। आप बोलिए।

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, I rise to speak on the glorious journey of 75 years of Constitution of India. आज यहां पर मैं सत्ता पक्ष के लोगों का भाषण सुन रहा था। कल वित्त मंत्री जी ने भी विस्तार से अपनी बात कही है और हमारे नड्डा साहब भी बात कर रहे थे। उनको 42nd Amendment पर आपत्ति थी। 'Socialism' और 'secularism' को Preamble में add करना और Fundamental Duties को उसमें शामिल करना इनके लिए बड़ी आपत्ति थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वे socialism पर भी विस्तार से बोले, कि socialistic pattern of society क्या होती है? क्या आपको सरकार और PSUs में आरक्षण पर एतराज है? क्या आपको गरीबों को जमीन देने पर एतराज है? क्या आप नहीं चाहते कि गरीब को इज्जत से जीने का अधिकार मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार मिले? क्या आप नहीं चाहते कि गरीबों को, मजदूरों को मनरेगा में काम मिले या फिर Food Security कानून के तहत राशन मिले? सर, यही तो socialism है, यही तो socialistic pattern of society है। अगर आपको इससे इतना ही एतराज है, तो आप अपनी पार्टी के संविधान में Article 1 में जो 'socialism' लिखा है, उसको क्यों नहीं निकाल देते? यह मनुवादी सोच है। इसी मनुवादी सोच से वर्ण सिस्टम बना रखा था, आज आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, इसके अलावा प्रधान मंत्री समेत बीजेपी के कई लीडर्स ने constitutional amendment की बात की और उसके ऊपर हैरानी जताई। I would like to say that between the adoption of Constitution in 1949 and 2014, there were 98 constitutional amendments. In that period, several pieces of legislation were enacted, which significantly expanded the rights of average citizens. These were, unapologetically and uniformly, in the larger service of the Indian people, unlike the amendments and laws brought by the Modi Government for their own political and personal advancement.

Sir, let me list out a few of these laws. First Amendment, 1951 - Land reforms, reservation and restricting communal speeches; Banking Companies Act, 1969 — bank nationalisation; 26th Amendment, 1971 — abolition of Privy Purses; 42nd Amendment — addition of socialist and secular boards and insertion of Fundamental Duties; 73rd and 74th Amendments, 1992 — grassroot level of democracy through Panchayats and Local Bodies; Right to Information Act, 2005, MNREGA, 2005; 93rd Amendment — Reservation for OBCs, Right to Education as Fundamental Right, 2009, National Food Security Act, 2012, Land Acquisition Act, 2013, and so on. मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इनमें से किन Amendments पर उसको परेशानी है और ऐसा कौन सा Amendment इन लोगों ने पिछले 10-11 सालों में लाया है?

वाइस-चेयरमैन सर, प्रधान मंत्री जी ने 11 संकल्पों की बात की, उसमें उन्होंने zero tolerance against corruption की बात की। अगर इतना ही है, तो अदाणी के मुद्दे पर जेपीसी गठित क्यों नहीं होती, राफेल के घोटाले पर जेपीसी क्यों नहीं बनाई, electoral bonds पर इंक्वायरी क्यों नहीं की, Pegasus पर जाँच क्यों नहीं की? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। हम लोगों ने उनमें जाँच करवाई, इनकी सरकार ने भी जाँच करवाई। कांग्रेस को बोफोर्स में clean chit मिली, 2जी में clean chit मिली और coal auction case में भी clean chit मिली। आप भी इन सभी घोटालों की जाँच करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आपका zero tolerance देश को पता चल जाएगा।

सर, इसी तरह से प्रधान मंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ सत्ता सुख का आरोप लगाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि pandemic में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार किसने गिराई, कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस की सरकार किसने गिराई? क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बीजेपी ने नहीं गिराई? क्या अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की गई? मेघालय और गोवा में बिना बहुमत तोड़-फोड़ करके किसने सरकार बनाई? हिमाचल की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश किसने की? सर, और तो और, इसी सदन में MPs को resign कराके बीजेपी ज्वाइन कराने का काम किया जा रहा है। यह सत्ता का सुख ही नहीं, यह सत्ता का नशा है।

वाइस-चेयरमैन सर, हर हिन्दुस्तानी का कोई न कोई मजहब होता है। हम तमाम लोग किसी न किसी धर्म में जरूर पैदा होते हैं। उस धर्म को मानते हैं और उसी धर्म में हम लोग रहेंगे भी। उस धर्म का कोई न कोई ग्रंथ भी जरूर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के लिए, हिन्दुस्तान का मजहब लोकतंत्र होना चाहिए और उसका ग्रंथ संविधान होना चाहिए।

Sir, our Constitution guarantees equality and justice through its foundational principles. Article 14 ensures equality, Article 15 prohibits discrimination, Articles 25 and 26 guarantee freedom to practice and propagate religion and freedom to manage religious affairs, Articles 29 and 30 protect the cultural and educational rights of minorities. ये guarantees मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ privileges नहीं, बल्कि ये fundamental aspects of our democracy हैं। The subject of minority rights is germane to every country that calls itself a civilized nation. जिस सरदार पटेल साहब की आप बात

करते हैं, वही सरदार पटेल जी की Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, Tribals and Excluded Areas के तरह इन guarantees को संविधान में शामिल किया गया था। सरदार पटेल जी ने 1950 में कहा था, “Ours is a secular State and we cannot fashion our politics in the way Pakistan is doing it. Here every Muslim should feel that he is an Indian citizen and he has equal rights as an Indian”. लेकिन आज हिन्दुस्तान में क्या माहौल बना हुआ है? I am sorry to say, Sir, कि आज हम लोग बहुत तेजी से minority hating nation बनते जा रहे हैं। This Government has gone to the extent of making communal division into a State policy, thereby betraying the vision of Constitution framers and the inclusive nation that they aspired to build. Dr. Ambedkar said, “Rights for minorities should be absolute rights.” Mahatma Gandhi said, “The true measure of any society can be found in how it treats most vulnerable sections.”

सर, यहाँ पर कल हमारे एक सांसद बता रहे थे कि संविधान पर शरिया का छाप है। उन्होंने मदरसा बोर्ड के बारे में कहा, वक्फ बोर्ड के बारे में कहा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 26 के तहत everyone has the right to freedom of religion and Article 26 provides freedom to manage religious affairs, including management of properties dedicated to religious and charitable causes. लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड ही नहीं बना है, बल्कि इसके साथ ही अलग-अलग समुदाय के लिए भी Religious Endowment Acts बने हैं, अलग-अलग स्टेट में Temple Trusts बने हैं, अलग-अलग स्टेट्स में Religious Places Acts बने हैं। इस तरह से यह सिर्फ मुसलमान के लिए ही नहीं बना है। इनको इस तरह से भ्रम फैलाना, गलत तरीके से देश को दिशाहीन करना छोड़ना चाहिए। यह polarising tactics आगे नहीं चलेगी।

महोदय, देश में ध्रुवीकरण की खतरनाक राजनीति चल रही है। नफरत और भय का एक माहौल बनाया जा रहा है। माइनोंरिटीज़ को आज वैसा ही लग रहा है जैसा [£] जर्मनी में Jewish का था। मैं इस सदन के माध्यम से देश के सामने कुछ उदारहण रखना चाहता हूँ। [£] जर्मनी में anti-Semitism and vilification of Jewish population था, मोदी जी के न्यू इंडिया में Islamophobia and vilification of minority population है। [£] जर्मनी में citizenship law excluded Jewish people. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): [£] शब्द हटा दिया जाए।...(*व्यवधान*)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: CAA is here; law for protection of human blood and honour there. ...(*Interruptions*)... Law for prohibition of unlawful conversion of religion is here. ...(*Interruptions*)... वहाँ पर Propaganda Ministry controlled the Press

[£] Expunged as ordered by the Chair.

...(Interruptions)... वहाँ पर Economic boycott of Jewish businesses था, यहाँ पर मुस्लिम आर्थिक बहिष्कार है। वहाँ पर dehumanisation of Jews by referring them as fixers था, ...(समय की घंटी)... घुसपैठिए बोलते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोलते हैं और termites भी कहते हैं। ...(व्यवधान)... वहाँ पर vandalism and destruction...*

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपका समय समाप्त हो गया। श्रीमती ममता ठाकुर, कृपया आप शुरू करें। ...(व्यवधान)... आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं, कृपया आप बैठें। ...(व्यवधान)... Not at all. ...(Interruptions).. श्रीमती ममता ठाकुर।

डा. सैयद नासिर हुसैन: *

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आप समय बरबाद कर रहे हैं। कृपया आप बैठ जाएँ। ...(व्यवधान)... श्रीमती ममता ठाकुर। वे बांग्ला में बोलेंगी। आपके सात मिनट हैं।

SHRIMATI MAMATA THAKUR (West Bengal): & "Firstly, I would like to express my gratitude to you hon. Vice-Chairperson Sir. The first speaker from the All India Trinamool Congress, delivered speech on the "Judicial System" as delineated in the Constitution's Preamble. Following this, the next speaker addressed another vital component of the Constitution Preamble: "We are citizens of India." I aim to examine the third element from the Preamble of the Constitution: Democracy and the Republic.

India is the world's largest democracy, and the nation's constitution was drafted by Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar in his capacity as Chairman of the Drafting Committee. Mahapran Yogendra Nath Mandal of Bengal and the Matua Samaj of Bengal played a significant role in securing Dr. Ambedkar's election to the Constituent Assembly. As a Bengali and a member of the Matua community, I take pride in this historical contribution.

Strengthening the borders - Strengthening the borders of democracy is critical in today's multi-faceted world. Encroachment on sovereign territory, attacks on troops, aggressive emigration and ongoing border skirmishes demand immediate attention. Of India's 4,000 km. border with Bangladesh, West Bengal alone shares a 2,270 km. border with Bangladesh, which is more than that of the other four states combined. Recent incidents of violence against minorities and their places of worship

* Not recorded.

& English translation of the original speech delivered in Bengali.

in Bangladesh are deeply disturbing and highly condemnable. As we advocate for the security of minorities in Bangladesh, the Central Government should ensure the same security for minorities in India. However, the security of diplomats' property must be prioritized to uphold international obligations! At the end of this discussion, the Prime Minister must come to the House and deliver his speech. The All-India Trinamool Congress believes in unity in diversity. I thank our leaders Mamata Bandhopadhyay and Abhishek Bandhopadhyay, and yourself for giving me the opportunity to participate in this historic discussion. Jai Bangla.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, Dr. Ashok Kumar Mittal. You have five minutes.

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब): सर, आज़ादी के 75 साल बाद जब आज हम इस सदन में संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, तो देश के किसी कोने में करोड़ों लोग सरकार और समाज से अपना हक मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे, करोड़ों लोग दो जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, भारत के करीब 80 फ्रीसदी युवा, जो बेरोजगार हैं, वे कंपनियों के आगे, सरकारी दफ्तरों के आगे लाखों की संख्या में खड़े होकर नौकरी पाने के लिए लालायित होंगे।

सर, आज जब हम सदन में संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, तो देश के लाखों बच्चे दूध के लिए छटपटा रहे होंगे, कई लाख माँ खून की कमी के कारण बीमार होकर दवाई के लिए तड़प रही होंगी, देश के करीब 12 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे, देश में करीब 40 फ्रीसदी लोगों के पास अपना मकान नहीं होगा और वे छत के अभाव में सड़कों और फुटपाथ पर जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। सर, इन सबको समावेश करते हुए मैं चार पंक्तियां बोलूंगा:

"काबिल होने के बाद भी जो हों बेरोजगार,
वे कैसे करें संविधान की जय-जयकार?
जिनसे भेदभाव करता है विधान,
वे क्या करें लेकर इस देश का संविधान?
कमर तोड़ मेहनत के बाद भी जिसे खाना न मिला,
वह कैसे बताए कि उसे संविधान से क्या गिला?
कौन करे सामाजिक-आर्थिक न्याय की बात,
जब लोग व्यस्त हैं छेड़ने में जाति-धर्म के जज्बात?"

सर, इन सब चुनौतियों के बावजूद ...(व्यवधान)... प्लीज़, जरा दूसरा पक्ष भी सुनिए। इन सब चुनौतियों के बावजूद हमारा संविधान, भारत का संविधान भारत के लिए एक सारथी बना है। जैसे, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, उसी प्रकार हमारे संविधान ने भी इतने वर्ष इस देश की जनता और इस देश की सरकार का कठिन समय पर मार्गदर्शन करने का अमूल्य कार्य किया है। सर, हमारा भारत पहले सांप-सपेरों का देश कहलाता था, पर आज हम

'आत्मनिर्भर भारत' की बात कर पा रहे हैं। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के सपने को शायद हम सच्चाई में बदलने के नजदीक पहुंचने वाले हैं। सर, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे डा. भीमराव अंबेडकर जी, सरदार पटेल जी और अन्य महान नेताओं के सामूहिक विचारों से तैयार किया गया है।

सर, इसकी समावेशता का एक उदाहरण यह है कि हमने 1950 में संविधान के लागू होने के पहले दिन ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, जबकि अमेरिका जैसे देश ने अपनी स्वतंत्रता के 144 वर्ष बाद 1920 में महिलाओं को मत का अधिकार दिया। अफ्रीकन-अमेरिकन को वोट देने का अधिकार 1965 में, यानी 190 वर्षों के बाद दिया गया। सर, यूएसए में वे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन 250 वर्षों में आज तक वे एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं दे पाए, दो महिलाएं चुनाव लड़ीं, लेकिन वे दोनों ही हार गईं, जबकि हमारे देश के संविधान ने 1950 के 16 वर्ष बाद ही 1966 में देश को पहली महिला प्रधान मंत्री दिया, जो कि विश्व की दूसरी महिला प्रधान मंत्री थीं। हमारे संविधान ने इस देश को दो महिला राष्ट्रपति दिए तथा महिलाओं के रूप में इस देश को अनगिनत मुख्य मंत्री और गवर्नर्स दिए। सर, इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं की सोच कितनी ऊंची, कितनी बड़ी और कितनी दूरदर्शी थी। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया, जिसका मूल स्वरूप कोई भी सरकार नहीं बदल पाई, लेकिन इस संविधान ने देश में एक के बाद एक कितनी ही सरकारें बदल डालीं। आज हम सब सांसद इसी संविधान की शक्ति की वजह से आपके सामने चर्चा कर पा रहे हैं।

सर, किसी भी देश की आयु में 75 वर्ष ज्यादा नहीं होते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान इतना ताकतवर, पवित्र और इतना दूरदर्शी है कि यदि 100 वर्ष बाद यह भारत विकसित भारत के तौर पर आएगा, तो यह हमें राह दिखाएगा, जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने हमें रास्ता दिखाया और हजार वर्ष बाद भी हमारा संविधान हमारे देश का, हम सबका, सभी सरकारों का और जनता का मार्गदर्शन करता रहेगा। सर, मैं संविधान के बारे में आखिर में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा -

‘हर वर्ग को खुद में समेटे जो बेखौफ़ लड़ा है,
जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है,
नैतिक, निष्पक्ष और सबको अधिकार देने वाला संविधान ही है वह
जो 75 वर्ष बाद भी आज मजबूती से खड़ा है।’

जय-हिन्द! जय भारत!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): श्री गोला बाबूराव।

SHRI GOLLA BABURAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I thank the framers of our Constitution; the Chief Architect of our Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar; the then President of India and the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad; the first Prime Minister of India, Shri Jawaharlal

Nehru; and the first Home Minister, the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, for giving such a great Constitution to the Indian society.

Sir, today's discussion should be focused on giving a tribute to the Constitution-makers and not on levying allegations or criticizing each other because it is really an important occasion and this type of debate has not taken place in the Parliament for the last so many years. I request all the political parties, especially, the two large parties in this House, to rethink as to what can be done for the welfare of the citizens of the nation, more particularly, the vulnerable sections of the society.

Sir, I am a *dalit* and I know what social discrimination or social inequality is. Even after 75 years of India's Independence, the social inequality or social injustice continues in spite of so many Acts and laws made in this regard. What is the reason for this? What I feel is that the administrators and the rulers are not serious to really do something strong and do justice to the vulnerable sections of the society. Sir, if you permit, I would like to give you an example.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप बोलिए।

SHRI GOLLA BABURA: Sir, I would like to give you my own example. When I was studying in the Intermediate, my father, who was *Up-Sarpanch* of our Panchayat, was beaten and implicated in a case. He was sent to Rajahmundry jail. I went to *Sarpanch* who belonged to middle class and asked him as to why he sent my father to jail. Even without hearing me fully, he slapped me. I still remember that day when I said to him, "Today, you have slapped me. One day or the other, I will become MLA of this Constituency." I challenged that. At the same time, after resigning my job, I contested and became an MLA. I went to my village and showed my face. I went to see him as an MLA. He was shocked and astonished. He was unable to say any words. Do you know why I mentioned this? I mentioned this because our Constitution has given me the greatest opportunity to become an officer, an MLA and also an MP. This is a very clear example. I really sent this message to all the vulnerable sections of India. The urgent need is to really take the worth of our life and do something good to our society. Now, there is an SC/ST Atrocities Act. That Act is being misused by everybody. Our *dalits* are misusing it; non-*dalits* are misusing it. So many Acts came. That is why I always say the *vivaksha* should become *suraksha* and our *avman* may become only *bhauman* to the poor people of India. This is what I always think and do.

Sir, coming to our important Preamble, India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. I don't want to go deep inside all this. I want to touch only the

social aspect and economic aspect. If you see the economic aspect, since 75 years, not even 5 per cent growth is seen and visible among the poor people of India in spite of so many developmental schemes, so many welfare programs. What is the reason? Nobody is thinking. Nobody is asking. This is a pathetic situation prevailing in India. That is why I request the hon. the Prime Minister of India. He is a very, very daring and dashing Prime Minister. I want the Prime Minister of India to rethink and do justice to the entire Indian people in particular and vulnerable sections in general. That is why I always believe one point. I cannot forget the services of Indira Gandhiji. Indira Gandhiji started, when I was an officer, the 20 Point Program. With that 20 Point Program, so many poor people were benefited in India. Since that time, they became fans of Congress. But, unfortunately, it varies from Government to Government. I cannot say about that. But what I say is, the economic sector is also really in doldrums. Now, in spite of 75 years, land and industry are owned by just 5 per cent of our Indians. Remaining 95 per cent are becoming poorer and poorer from day to day. That is why I request this august House to rethink about what to do for this nation. Coming to the political sector, because of our Constitution makers, we got political equality. So many people from all the sections are becoming MLAs, MPs and Zila Parishad Chairmen and holding so many other posts. But, unfortunately, they are all under the clutches of only moneyed people and land holders. This is most unfortunate plight going on in our Indian society. That is why we want equality. We want freedom for every vulnerable section and also political representatives. Once they get freedom and equality, they can definitely do justice to the posts they are holding. At the same time, I request the hon. Members. Here we are all legendary figures. So many former Prime Ministers, so many former Chief Ministers, so many senior MPs are present. What I want is to rethink about the nation, to reconstruct the egalitarian society.

Lastly, I will speak on religious aspect. India's doctrine is unity in diversity. The best example of our unity in diversity is our freedom struggle. In the freedom struggle, all the Hindus, Muslims, Christians, Sikhs and Jains came together to throw the British out of our Indian soil. What else do we require for religious unity? It is tolerance for each other's religion. In this connection, I request the Government to at least rethink about Manipur issue. The people are massacred there. People are dying there. As human beings, we all should really do something for Manipur. I just wanted to mention all these points.

Lastly, I want to place one slogan before you - *Bhartiya Samvidhan - Samman, samrakshak, samvardhak*. Jai Bharat! Thank you, Sir.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। महोदय, मैं वक्त के लिए थोड़ा हठ करूँगा, लेकिन आखिर में करूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): हुज़ूर, पहले शुरू तो कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि हम सभी संविधान पर बात कर रहे हैं। यह चर्चा उस सदन में भी हुई और इस सदन में भी हो रही है। हमारे तमाम साथियों ने संविधान पर बात कही है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि अपना-अपना दायरा है, अपनी-अपनी सोच है और अपनी-अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने संविधान पर बात की।

महोदय, दूसरे स्तंभ के कई ओहदेदार लोग तो ईश्वर से बात करने लगे हैं। भगवान को कितने काम हैं, किसी की नौकरी लगवानी है, किसी की शादी करवानी है, किसी को चुनाव जितवाना है आदि-आदि। किसकी पर्ची निकलेगी, किसकी अर्जी लगेगी, इससे तो अच्छा है कि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है। मैं जब से इस संसद में आया हूँ, और मैं इस नई सरकार के बाद ही सदन में आया हूँ - मैं बचपन में सोचा करता था कि पार्लियामेंट पहुंचूँगा - आज मैं एक कन्फेशन करता हूँ कि मैं हमेशा से अपने आपको विपक्ष में देखा करता था तो विपक्ष में ही बैठा हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने कई दफा कहा है कि 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं, विपक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है। आप 100 साल चुनाव जीतेंगे, लेकिन फिर भी नेहरू को वहां खड़ा पाएंगे। क्योंकि authoritarianism के खिलाफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं नेहरू। वे ढाल हैं, वे रक्षा कवच हैं। मैं आपको बताऊँ कि हमारे नड्डा साहब ने जेपी जी को उद्धृत किया। मुझे अच्छा लगा कि जयप्रकाश जी ने इंदिरा जी को - वे उन्हें इंदु लिखा करते थे, उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जब उन्हें चिट्ठियां लिखी थीं, तो नेहरू को invoke किया। 'I am writing to you in the name of your father, Jawaharlal Nehru.' वे ऐसे व्यक्ति थे कि जब उनकी आलोचना नहीं होती थी, तब वे छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं किया करते थे। तब मैं क्या कहूँ? जयप्रकाश जी ने कश्मीर पर नेहरू जी को जो चिट्ठी दी या इंदिरा जी को जो चिट्ठी दी, अगर आज वह चिट्ठी मनोज कुमार झा अपने नाम से कॉपी, पेस्ट करके लिख दे, तो मैं शाम तक टेलीविजन डिबेट में विलेन बन जाऊँगा। मुझ पर UAPA लगे, न लगे - मैं सांसद हूँ, शायद न लगे, लेकिन बहुत तरह की तोहमत जरूर लगेगी।

सर, एक आवश्यक बात कहना चाहता हूँ कि हम महापुरुषों की जन्म तिथि, पुण्य तिथि पर माल्यार्पण करने वाले दुनिया के नंबर एक देश हैं। हम जन्म तिथि और पुण्य तिथि पर इतनी पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन वे तिथियाँ इस बात की भी होती हैं कि हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, तो क्या फ्रीडम के बारे में बात नहीं होनी चाहिए? दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं कि मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गंदीली! संविधान की कमीज देख लीजिए, वह गंदीली न हो, उस पर दाग न पड़ें, यह हमारा दायित्व होना चाहिए। आज से 25 वर्ष बाद मैं इस सदन में नहीं होऊँगा, हम में से बहुत से लोग नहीं होंगे, तब 100 साल पर चर्चा हो

रही होगी, बहुत चर्चा होगी। लोग विश्लेषण करेंगे, जैसे आज हम करते हैं कि नेहरू को यह करना चाहिए था, नेहरू ने वह नहीं किया। 100 साल के बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करेगा। संभवतः, मैं जीवित नहीं रहूँगा, मैं सदन में नहीं रहूँगा, लेकिन वह भी अच्छा नहीं लगेगा, अशोभनीय लगेगा।

सर, टाइम मशीन नहीं है, वरना मैं अपने सारे साथियों को 1946-1947 ले जाता। दोनों तरफ खून की नदियाँ बह रही थीं। मंदिर में गायें काटकर फेंकी जा रही थीं, मस्जिद में सूअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प! गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन आप विलेन क्यों बनाते हैं? विलेन मत बनाइए। आपसे भी गलतियाँ होती हैं, हमसे भी हुई हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जब हम इस तरह के नेताओं पर तब्सिरा करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि 1947 में इस देश की क्या हालत थी। आपने घर बनाया होगा, मैंने अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन मेरे पिता ने बनाया था। ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। वह नींव है। नेहरू, अम्बेडकर, पटेल और आजाद ने नींव डाली थी। आप सेकेंड और थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया था। आप पाँच फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं होता है, यह याद रहना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी, भाजपा के कई साथी यूनियन सिविल कोड की बात करते हैं। यह संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है। सर, मैंने विस्तार से अध्ययन किया है। नड्डा साहब ने भी अध्ययन किया होगा और तमाम साथियों ने भी किया होगा। सर, उस पर कई तरह के विचार थे, लेकिन डॉमिनेन्ट विचार था कि इसे रखो, किसी दिन वक्त आएगा, जब इस पर बात होगी। सर, आर्टिकल 44 जो कि ड्राफ्ट में आर्टिकल 35 था, उससे पूर्व आर्टिकल 39 (सी) है, about concentration of wealth. सर, इस देश में इनकम इनईक्वैलिटी का जो आलम है, उसकी वजह से हम टाइम बम पर बैठे हुए हैं। यह टाइम बम है और यह सबको इम्पैक्ट कर रहा है, न सिर्फ गरीब-मजलूम वर्ग, बल्कि मध्यम वर्ग को भी इम्पैक्ट कर रहा है। अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लेकर रिपोर्ट आई, लेकिन उनके प्रॉफिट का एम्प्लॉइज़ की सैलेरी में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। Relative deprivation का जन्म हो रहा है। आर्टिकल 44, यूनियन सिविल कोड तक पहुंचिए, लेकिन रास्ते में एक मील का पत्थर है - आर्टिकल 39 (सी), वहाँ रुकिए, ठहरीय, सोचिए। आप सोशललिज्म को लेकर अम्बेडकर साहब को क्वोट कर रहे थे कि वे तो कहते थे कि वह तो रचा-बसा है। मैं यह मानता हूँ, लेकिन उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री की भी बात की थी। मैं आज के दौर में उसकी पैरोकारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे न हो जाएं कि एक को चादर से ढकने के चक्कर में पूरा देश नग्न सच्चाई से रूबरू होता रहे। यह नहीं होना चाहिए।

सर, मैं एक बात कहता हूँ। आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तब इस देश के किसी-न-किसी कोने में सीवर से एकाध डेथ हो चुकी होगी। इस देश में कई जगहों पर खुदाई चल रही है। हम कई जगहें खोदे जा रहे हैं। एक खुदाई हम सब सांसद मिलकर करें। सेप्टिक टैंक और सीवर में उतरकर जहरीली गैस से मरने वाले लोग कौन हैं? क्या ये 'हम एक हैं तो सेफ हैं' में नहीं आते? क्या ये हमारा हिस्सा नहीं हैं? ये भी इसी समाज का हिस्सा हैं। हाँ, यह अव्वल बात है कि हमारी जातिगत सीढ़ीनुमा पदानुक्रम में वे नीचे आते हैं। हम उनके ऊपर थोड़ा कम गौर करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब फ्रीडम की बात हो, तो हम मूल्यांकन करें। फ्रीडम में हाइफन

नहीं होता है। 'फ्री' के बाद 'डम' नहीं है। जैसे George Orwell की किताब में था - All animals are equal, but some animals are more equal than others.

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती एस. फांगनॉन कोन्याक) पीठासीन हुईं]

इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, तो जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। मीरान हैदर नाम है, तो नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, शरजील इमाम, तो नहीं होगा ...(व्यवधान)... गुलफिशा नाम होगा, तो नहीं होगा ...(व्यवधान)... मैडम, मेरा टाइम pause कर दीजिए। ...(व्यवधान)... मैडम चेयरपर्सन, मेरा टाइम pause कर दीजिए। ...(व्यवधान)... मैडम, मैं यह बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में मूलवासी बचाओ मंच है। उसे आप unlawful बना देते हैं। कोई तो तौर-तरीका होना चाहिए। किसान विरोध करे, तो वह देशद्रोही है। अगर विद्यार्थी नौकरी के लिए विरोध करें - वे आपसे नौकरी मांग रहे हैं और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, वे परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं - आप कह रहे हैं कि वे अराजक हैं, नक्सल हैं। यह जो शब्दावली और विशेषण आप लेकर घूमते हैं, आप इससे थोड़ा बाज आइए। मैं कह रहा हूँ यह टेंप्टेशन होती है, जब बहुत बड़ी सत्ता होती है और 11वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस टेंप्टेशन को रोकना मैच्योरिटी है। परिपक्वता, परिपक्व लीडरशिप की बात होती है। अगर कोई आपसे वैकल्पिक विकास की मांग करेगा, तो आप कहोगे कि वह नक्सली है।

मैडम चेयरपर्सन, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। बंगलादेश में जो हो रहा है, मैं उसकी पीड़ा साझा करता हूँ। हमने 1971 के बारे में पढ़ा था और अभी देख रहा हूँ। मैं महात्मा गांधी पर जाना चाहता हूँ। नोआखली में जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, महात्मा गांधी नोआखली में restoration of peace and normalcy के लिए दर-दर भटक रहे थे। वह दौर था। उन्होंने एक बात कही थी। आज का जो दक्षिण एशिया है, जिससे पाकिस्तान और बंगलादेश निकले हैं। हमें इस बात का स्मरण करना होगा कि हमारी भूमिका सबसे बड़ी है। हम बड़े भाई वाली शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। We are the largest and the oldest democracy. बंगलादेश और पाकिस्तान में democracy casualty हुई है। वहां संविधान तक नहीं आया। हम अपनी अकल्लियत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो हम बंगलादेश को कह पाते learn from us; to Pakistan, learn from us. This is how we treat. अगर हमारी report card में कमियां रहती हैं ...(व्यवधान)... Madam Chairperson, my time should be paused. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Members...(Interruptions)...

प्रो. मनोज कुमार झा: मैडम, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अम्बेडकर साहब को क्वोट किया गया ...(व्यवधान)... अगर किसी की भावना आहत हुई है, तो मैं वापस लेता हूँ। ...(व्यवधान)... It is primarily a mode of associated living. Democracy is not simply a form of Government. It is primarily a mode of associated living, -- आप इसको अपने जीवन में कितना उतार पाए हैं -- of conjoint communicated experience. इसे कितना अपने

जीवन में उतार पाए हैं? जब जातिगत जनगणना की बात होती है, तो हम बंट जाते हैं। आप बताइए कि क्यों बंट जाते हैं? वर्गीकरण की बात होती है, लेकिन बिना जनगणना के कैसा वर्गीकरण? NFS के माध्यम से एक नई रवायत का जन्म हो गया है। एक ओबीसी की लिस्ट में क्रीमी लेयर की interpretation के लिए आप राज्यों की समकक्षता, equivalence को एक ऑर्डर के माध्यम से छुपा देते हैं। मैं इसके लिए आपको दोष नहीं दूंगा, बल्कि यह कहूंगा कि अधिकारी वर्ग के अंदर अभी भी वह मानस है कि वह representation से परेशान होता है, चिढ़ता है। उसको लगता है कि ये यहां कहां आ गए।

अभी बिहार में सर्वेक्षण हुआ। कई लोगों ने कहा हम तो इतने कम नहीं हो सकते। Visibility और numerical strength में फर्क होता है। आप अपने आपको ज्यादा visible इसलिए समझते हैं कि आप न्यायालय में हैं, विद्यालय में हैं, सड़क पर हैं, चौक पर हैं, चौराहे पर हैं, तो आपको लगता है कि हम तो बहुत हैं, लेकिन हमें कम क्यों दिखाया गया है? मैडम चेयरपर्सन, इस रिश्ते को हम सबको समझना होगा और जो मैंने कहा conjoint experience and associated living. Together with that, I will take you, for a minute, to what Jawaharlalji said in the beginning of Objective Resolution. उन्होंने कहा और मैं हिंदी में तर्जुमा करता हूं कि आज जब मैं यहां खड़ा हूं, तो 5,000 साल का अतीत मेरे सामने खड़ा है। मैं अभिभूत भी हूं, लेकिन मेरी चिंताएं भी हैं। इन चिंताओं और अभिभूत होने के बीच किस तरह के राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे इस संविधान सभा के माध्यम से। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं अपने साथियों के साथ। Then, he mentioned 'Oath of Tennis Court.' मैंने इस सदन में एक दिन कहा था कि 1789 के revolution के बाद, जहां से 'Liberty, Equality and Fraternity' आया, जवाहरलाल जी ने कहा कि तब के बादशाह ने वहां कमरे बंद करवा दिए कि Constituent Assembly नहीं बैठ सकती है। एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे कमरे से बरामदा और आखिर में टेनिस कोर्ट में पूरी की पूरी असेंबली बैठी और oath लिया। उसको कहते हैं 'Oath of Tennis Court'. उन्होंने क्यों यह उदाहरण दिया कि हमारी democracy में भी कभी इस तरह का challenge आ जाए, तो संसद इमारत की मोहताज नहीं होगी, संसदीय लोकतंत्र इमारत की मोहताज नहीं होगी, वह इबारत देखेगी। इबारत और इमारत में फर्क है।...(समय की घंटी)... मैडम, आज मैंने कहा था कि मैं हट करूंगा, मुझे डेढ़ से 2 मिनट और चाहिए।

मैंने कहा कि 'One-Nation-One-Election' की बात हो रही है। जिस दिन यह आएगा, मैं उस पर विस्तार से बोलूंगा, लेकिन अगर यह सेलेक्ट कमेटी को गया, तो अलग बात है। मैडम, इस देश में 'One-Nation-One-Election' था, नड्डा साहब ने कहा, मैं मानता हूं। कई दफा क्या होता है कि जब आप quote करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि semicolon के बाद किसी को quote मत करो। उसको हम लोग poor citation कहते हैं कि किसी को quote किया। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊँ, 30 सेकंड में, कि मार्क्स ने कहा कि 'Religion is the opium of masses.' मार्क्स ने ऐसा कभी नहीं कहा। वह semicolon के बाद का एक sentence था। उन्होंने यह कहा, 'Is the sigh of the oppressed.' लेकिन semicolon के बाद का sentence उठा कर कहा कि कार्ल मार्क्स religion के खिलाफ थे। उसी तरह से citation के साथ दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 'One-Nation-One-Election' की वह cycle टूटी थी। 'One-Nation-One-Election' की cycle mid 60s में टूटी। आज क्या गारंटी है, हम कैसे अगले चुनाव

तक ले जाएंगे? Will it be a proxy governance? Then won't it undermine the idea of 'will of the people'? मैं समझता हूँ कि इस पर विशद चर्चा हो, तभी जाकर ...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Kindly conclude.

प्रो. मनोज कुमार झा: बस, अभी तो 33 सेकंड लिया है, एक मिनट और दे दीजिए।

मैडम चेयरपर्सन, तारतम्य तो थोड़ा टूट जाता है, फिर भी अपनी एक बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बचपन का एक छोटा किस्सा है। वे क्लास रूम में सबसे पीछे बैठे हुए थे। चूँकि वे mathematics में बहुत अच्छे थे, शिक्षक ने कहा कि आओ, इसको हल करो। ज्यों ही वे बोर्ड की तरफ बढ़े, जितने अपर कास्ट के बच्चे थे, वे दौड़ कर बोर्ड के पास गए, क्योंकि बोर्ड के पीछे उनका टिफिन बॉक्स था। उनको लगा कि यह pollute हो जाएगा। मैडम, आज वे मान्यताएं नहीं हैं, लेकिन pollution purity की नई मान्यताएं आ गई हैं, exclusion की नई मान्यताएं आ गई हैं।

मैडम, पोलैंड में Auschwitz एक जगह थी, इसको सिर्फ गैस चैंबर से मत समझिए। Auschwitz के बनने में सालों की नफरत और घृणा थी, जिसका अंजाम न सिर्फ जर्मनी में भुगता गया, बल्कि पूरी दुनिया में भुगता गया। इसलिए इस नफरत और घृणा पर लगाम लगे, नहीं तो हर मोहल्ले में Auschwitz होगा।

मैडम, आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि

"मैं आज ज़द पर अगर हूँ"

-- मतलब निशाने पर --

"मैं आज ज़द पर अगर हूँ, तो खुश-गुमान न हो,

चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।"

शुक्रिया, मैडम। जय हिंद!

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, Shri Abdul Wahab; five minutes.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Madam, on this historic occasion, hon. Leader of the House, Nadaji, mentioned that this side is good and this side is bad. And, being good and being a leader in the good part of this time, I request Mr. Nadaji, being the President of BJP, let us live. Madam, here, 'me' means Abdul Wahab living in India with dignity. I am very happy to be in India, not in Pakistan, Bangladesh or any Islamic country. India is the best. But my kids and recently born, grand kid, Sarah also wants to be a dignified citizen of India. I am a Muslim. 'Backward community' is not mentioned in the Constitution. It is not because of me, being Abdul Wahab. I may have a little money, but in most of the cases, especially, in North India, we are more backward than the Scheduled Castes and Tribes. So, please consider this in future.

This is the 75th year of Constitution. We are going to celebrate 100 years. As Prof. Manoj Jha said, I may not be there, but these citizens should be there in the hundredth year. In this phase of changing, altering and interfering with the Constitution, I really feel that there will be no hundred years. Before that itself, it will be something else. You were talking about leaders like Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and all. But unfortunately, our leader is not married. What to do? Nehru was married and he had kids. But our Prime Minister is not having a family. So you cannot think of 140 crore... (*Interruptions*)... Yes, I am also included in that. Yes, we are a family. That means you are advocating for that. If there are good people in the family, then what is wrong? What is wrong if Priyanka or Rahul are coming or whoever it is? But now I am telling you, that family has travelled this all over India. She came and got elected from our Constituency, Wayanad, with a thumping majority. Why? It is because these people, the Indian people, they accepted the family for some reason. Why? They have sacrificed their life. They have sacrificed everything. Who was Motilal Nehru and who is Rahul Gandhi? I do not know the difference. So, whoever sacrificed for this country should be honoured. There is one more thing. In the Constituent Assembly, we had Members from the Indian Union Muslim League and we are still there. It was there from the very beginning and we are still there in the Lok Sabha. You can go through the history and see what we have done for this country. We are 140 crores. What is the percentage? Do some justice. Try to do some justice and try to have this Constitution till hundred years. There is one more thing coming to my mind. It is about Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar's name was mentioned here many times. Everybody, from here and there, is talking about Ambedkar. Ambedkar has now become a big personality, though he was earlier also, but now everybody is adoring him. I cannot see a speaker not referring to him. At last, Prof. Manoj Jha also referred to Ambedkar as to who he was, how he came to this level and who were behind him. I am not mentioning as to which place he came from or who Ambedkar was. At least, after listening about Ambedkar from our leader of the good part, Naddaji, I hope that they will do some good to the Indian Muslim minority also. Kerala has 26 per cent Muslim population. Forget about Kerala, what is the condition of Muslims in Uttar Pradesh, Bihar and Northern States? So please take this into consideration. We are moving towards hundred years. This is *Amrit Kaal*. What will it be called in 100 years? Maybe, diamond, I do not know! In that *kaal*, only if the four wheels would move, the country can go to that level. If one tyre is punctured, it cannot move. So, consider the minorities' rights. Whether it is written in the Constitution or not, consider the minority, especially, Muslims, the major minority. Madam, I thank you very much for giving me the opportunity.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now Shri Niranjana Bishi; five minutes.

SHRI NIRANJANA BISHI (Odisha): Thank you Madam Vice Chairman. During the discussion on the glorious journey of 75 years of adoption of Constitution of India, I pay tribute to the chief architect of the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, tribal leader, Jaipal Singh Munda and other Members of the Constituent Assembly.

Madam, Vice-Chairman, during the discussion on the Glorious Journey of 75 years of the Constitution of India, I pay tributes to Chief Architect of the Constitution of India, Dr. B.R. Ambedkar, tribal leader, Shri Jai Pal Singh Munda, and all Members of the Constituent Assembly. Madam, during the glorious journey of the Constitution of India, the tribals of India, particularly, 12 crore Schedule Tribes of India and 20 crore Scheduled Castes people of India have not yet given the reservation benefit in higher education, employment, promotion. As a result of which, the Constitution of India has not been properly implemented as dreamt by the architect of modern India, Dr. B. R. Ambedkar. During the glorious journey of the Constitution of India, the tribal languages like Ho, Mundari, Bhumij, Kui, Kosli, Saora have not been included in the Eighth Schedule to the Constitution of India. As a result of which the tribal languages have not been protected, preserved, and propagated. Thirdly, Madam, atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are showing upward trends. Almost daily, members belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are prey to atrocities like rape, gang-rape, murder, harassment, torture, and physical tortures, like Manipur situation. All the ST/SC communities in India are suffering and are the victims of atrocities. Then I come to creamy layer system. This Government is thinking to bring creamy layer system/creamy layer policy for SCs/STs. As a result of which, the STs and SCs are in fear that if the creamy layer system comes, the quota in quota or sub classification of SCs/STs will happen, then the STs, SCs will lose reservation in Government job, in promotions, in political representation and also in higher education. They are deprived of quality education and professional education. The Government of Odisha is giving 12 per cent reservation instead of 22.5 per cent reservation for Scheduled Tribes and 8 per cent reservation in medical colleges, engineering and other professional courses! Eight per cent reservation is only given instead of 16.25 per cent in respect of our Scheduled Castes members! We, particularly, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community, are deprived of our constitutional benefit. Dr. Babasaheb Ambedkar, Father of the Indian

Constitution, has dreamt to bring the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the mainstream of the nation. But though 75 years have already been completed. These Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not yet brought into the main-fold or mainstream of the India, that is, Bharat. So, it is time to bring the most backward, suppressed and oppressed communities like Scheduled Castes and Scheduled Tribes into the mainstream of the nation so that the glorious journey will be fulfilled and the dream of Babasaheb Ambedkar will be fulfilled. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Thank you. Now, hon. Member, Dr. Anbumani Ramadoss; you have seven minutes to speak.

DR. ANBUMANI RAMADOSS (Tamil Nadu): Madam, I rise to salute our Constitution and would like to thank our Founding Fathers, especially, Dr. Ambedkar and all the Members of the Constituent Assembly, for giving us this wonderful Constitution. India is on its path to being a developed country. Our hon. Prime Minister, time and again, says that by 2047, India will be a developed country. For that to happen, we need a holistic growth of our country. When we say growth, one should understand that growth is different and development is different. Growth is talked in terms of fiscal growth, economic growth, GDP, wealth distribution and so on. But development is of the masses, the downtrodden, the weaker section, the labourers, the farmers, the toilers, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the OBCs. They have to develop, they have to grow and they have to progress.

2.00 P.M.

Only then we can achieve our target of a developed country. Article 54 talks about the Government rolling out affirmative action for the socially and educationally weaker sections. But, there have been so many impediments and hurdles for the Government to affirm the same.

Madam Vice-Chairman, due to lack of time, I would like to bring three core issues, affecting the weaker sections of the society, to the notice of the Government. One, the 50 per cent cap on reservation; two, the Creamy Layer; and, three, the caste census. There are many other issues, but due to lack of time, I just want to talk about these three.

Why do we have a 50 per cent cap on reservation? Is it because of a law we passed in this Parliament? No! This was done by the Supreme Court way back in 1962-63 in the Balaji versus State of Mysore case; and, then, again reiterated the

same in 1993 in the Indira Sawhney Case. We have nothing to do with this, the Parliament has nothing to do with this. And, the Supreme Court, the same Supreme Court, had turned it the other way when the EWS quota was brought in by this House, which went over the 50 per cent cap! Madam Vice-Chairman, time and again, the OBCs have been the most affected one and have repeatedly been discriminated. Today, the Scheduled Caste population in this country is approximately 15 per cent, and they have been given 15 per cent reservation in the centre. The Scheduled Tribe population is about 7.5 per cent. They have been given 7.5 per cent reservation, rightly so. The OBC population in this country, according to me, is about 63 per cent. According to the Mandal Commission, it was about 52 per cent. Then, why have they been given only 27 per cent reservation? Why time and again there is discrimination against OBCs only? And, to add to that, you have a concept called a 'Creamy Layer'. I will just come to that. Madam, today the OBC representation at the Central Government is as meagre as 18 per cent, some statistics say it is 21 per cent. And, even in that 18 per cent those people are also counted who get selected through open competition as 'general' candidates. But when you take their representation in Group A, it is very, very meagre.

Now, I come to my second point with regard to Creamy Layer. Why do we have the concept of Creamy Layer? Is it in our Constitution? It is unconstitutional. And, here again, the OBCs are affected. There is no Creamy Layer for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, and rightly so. Why is this only for OBCs? I would like to urge the Government to bring in changes in this regard, like, at least, priority should be given for the Creamy Layer OBCs. The unfilled seats of OBCs should be filled by the non-creamy layer OBCs instead of those seats going to the 'General' category.

Madam Vice-Chairman, the third point which I would like to bring is about the caste census. Today, the Government of India as well as the State Governments are rolling out affirmative action on the basis of old data, 95-year-old caste data, brought in by the British period during 1931. Why don't we have a modern data? We need to have a modern, contemporary, pertinent data to have more affirmative action and to know the social stature of all the downtrodden sections of our country. Why do we hesitate for that? Seventy-eight years of post-Independence, so many Governments have come, none of them have taken the current caste data, but all our reservations are based on caste. Why can't we do that? I would not like to blame this side or that side, but let us at least set right the issue. Madam, all we need is to add just an OBC column in the Decennial Census. Every 10 years, we conduct population Census. There is a column for SCs, there is a column for STs, there is a column for minorities.

Why can't we add a column for OBCs? Why are we hesitating to bring in a column for OBCs so that we have the actual status, not only of the whole population, but also the actual social status of the OBCs as well? We also need to have an amendment to the 1948 Census Act. At that time, there were no OBCs, only SCs and STs were there. So, we need to do that.

Madam, another issue is that the hon. Prime Minister had appointed the Rohini Commission. That Commission had brought out its recommendations and we found some glaring issues within the OBCs. Today, there are 2,633 communities in the OBCs. (*Time-bell rings.*) Madam, give me just one minute. Out of which 10 communities take away nearly 24.9 per cent of the jobs and education; 38 communities take away 25.9 per cent of the jobs; 102 communities take away 24.6 per cent of the jobs and education; 506 communities take away 22.3 per cent of the jobs and education. So, put together, 656 communities take away 97.5 per cent of all the jobs and education; and, you have 994 communities having only 2.5 per cent of the jobs and education! The irony is that you have 983 communities not even having one job! Nothing. So, we need to set right this issue within the OBCs, within the downtrodden sections, farmers, labourers, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. If they develop, then only we can have a developed India. The Leader of the House, Madam, earlier said about Katchatheevu issue. During the earlier Congress Government, Indira Gandhiji had ceded it to Sri Lanka illegally, without any laws being enacted by this House. At that time, the DMK was part of the Government. Both of them kept silent at that time. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. WILSON: Madam, we have not ...(*Interruptions*)...

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Madam, he is misleading... ...(*Interruptions*)...

DR. ANBUMANI RAMADOSS: Madam, I would like to request the Government ...(*Interruptions*).. Last week, 40 fishermen had been arrested from Tamil Nadu by the Sri Lankan Government. Forty fishermen! This year, 569 fishermen have been arrested. Thousands have been arrested in the last three, four years. About 190 boats have been impounded by the Sri Lankan Government, 190 boats! We need to have a resolution on this. Every day, the fishermen's livelihood is at stake. This is not just the Tamil Nadu's problem, this is the Indian problem.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Kindly conclude.

DR. ANBUMANI RAMADOSS: I urge the Government, again, to take measures to bring back Katchatheevu to India, because that is the core problem affecting us, and give safety and priority to the fishermen of our country. With these words, Madam, I would like to thank you for giving me time. Jai Hind!

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, hon. Member, Shri Surendra Singh Nagar. You have 20 minutes.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की इस चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस अवसर पर संविधान के निर्माण में योगदान लेने वाले संविधान सभा के सभी सदस्यों को याद करना चाहूंगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस चर्चा में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी की कुछ पंक्तियां याद करना चाहूंगा। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी ने कहा था, 'हर राष्ट्र के पास देने के लिए एक संदेश है, पूरा करने के लिए एक मिशन है, पहुंचने के लिए एक नियति है और भारत का मिशन मानवता और मार्गदर्शन करना है।'

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1947 में इस देश को आज़ादी मिली, लेकिन इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है - जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। आज यहां धर्म को लेकर बड़ी चर्चा होती है, आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ। वह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। मैं आज इस चर्चा में पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी थी, आखिर ऐसा कौन-सा दबाव था, आखिर ऐसी कौन-सी महत्वाकांक्षा थी, जिसको लेकर हम उस समय के इच्छा रखने वाले नेताओं, खास तौर से कांग्रेस के नेताओं ने धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन स्वीकार किया, यह देश जानना चाहता है। ...**(व्यवधान)**... ऐसी कौन-सी मजबूरी थी? देश जानता है कि एक व्यक्ति की प्रधान मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी, इसलिए स्वीकार किया गया। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप अगर स्वीकार कर रहे हैं, तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, इस चर्चा में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कांग्रेस को इसका श्रेय दिया गया और यह बात सही है कि इसमें कांग्रेस का योगदान भी था, लेकिन कांग्रेस के बारे में उस समय महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, जो 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन था और कांग्रेस को कुछ जगह सत्ता मिली थी, तो महात्मा गांधी जी ने रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि 1940 के आस-पास अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक आंदोलन से पहले गांधी जी सर्वाधिक चिंतित थे कि कांग्रेस में यह चरित्रगत, आभा, निष्ठा न देखकर रामगढ़ में इस अवसर पर उन्होंने चर्चा की और सबसे पहले उन्होंने खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान को बोलने के लिए कहा। खान साहब का भाषण छोटा था, पर बड़ा महत्वपूर्ण था, प्रासंगिक था और आज के संदर्भ में देखें, तो मूल्यवान भी था।

खान साहब ने संक्षिप्त में जो अपनी बात कही, मैं उसके कुछ अंश आपके सामने रखना चाहूंगा। खान साहब ने कहा — मुझे संदेह होता है कि हम शायद उस चीज़ के काबिल ही नहीं हैं, यहां काबिल का मतलब आज़ादी से है। हम उस चीज़ के काबिल ही नहीं हैं, हमारे हाथ में थोड़ी-सी सत्ता आई है। खान साहब ने कहा कि कांग्रेस के हाथ में थोड़ी-सी सत्ता आई है और उससे कलई खुल गई है। हम जिन्हें फरिश्ता समझते थे, थोड़ी-सी सत्ता आते ही हमने अपने इर्द-गिर्द बहुत भ्रष्टाचार देखा है- खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान ने 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था। जब कांग्रेस का राज केवल बहुत थोड़े-से राज्यों में था, तब उन्होंने यह चिंता व्यक्त की थी। यह आश्चर्यजनक था। अगर भावी आज़ादी के योग्य इंसानों को तैयार नहीं किया गया, तो महात्मा गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा का आंदोलन चलाया था, एक खतरनाक हथियार सिद्ध होगा और यह हुआ। जो 1940 के अधिवेशन में बात कही गई, वह हुआ। कांग्रेस ने जिस तरीके से इस संविधान का आपातकाल लगाकर गला घोटने का काम किया, उससे यह साबित होता है कि जो चिंता ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान साहब ने व्यक्त की थी, उनकी वह चिंता आज सही साबित हो रही है। माननीय सभापति जी, संविधान सभा के बाद हम लोग पहली बार संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी इस बहस को देश की युवा पीढ़ी, हमारे विद्वान टकटकी लगाकर देख रहे हैं और इसकी तुलना संविधान सभा की बहस से कर रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं यहां पर इतिहास की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। महोदय, मावलंकर जी संविधान सभा के स्पीकर थे। 1952 में, जब उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को दी गई फेयरवेल पर भाषण दिया था, जब उन्हें विदाई दी जा रही थी, तो मावलंकर जी ने एक ऐसी बात कही, जिसका उस समय की संविधान सभा के सदस्यों ने मेज थपथपा कर स्वागत किया था। महोदय, मावलंकर जी ने कहा था कि संविधान के पृष्ठों को कलाकार नंदलाल बोस ने प्राचीन काल के भारत के जीवन के दृश्यों से सजाया है। उसका अंग्रेजी संस्करण तैयार है और हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है। सभापति महोदय, अगले दिन, जब संविधान सभा के सदस्यों को संविधान की कॉपी दी गई, तो उसमें वे दृश्य गायब थे। संविधान सभा के कई सदस्यों ने सोचा कि शायद उन्हें गलत कॉपी मिल गई है। महोदय, वे दृश्य कौन-कौन से थे, उसकी कॉपी मेरे पास है। महोदय, उसमें कौन-कौन से चित्र थे? उसमें भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, रामायण का दृश्य, कृष्ण और अर्जुन को दर्शाता हुआ महाभारत का दृश्य था। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: वह लाइब्रेरी में है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: आप सुनिए, सुनने का सब्र रखिए। आप सुनिए, आपको बहुत परेशानी होती है। उसमें गुरुकुल वैदिक आश्रम का दृश्य था। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: सबको कॉपी मिली थी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: उसमें बौद्ध धर्म के दर्शन जैसे 22 दृश्य थे। जो मूल प्रति सबको दी गई थी, वह गायब हो गई। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: कहाँ गायब हो गई? लाइब्रेरी में है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: वह कहाँ गायब हो गई, मैं उसी पर आ रहा हूँ, आपको अभी बता रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... बोलिए, बोलिए, इसी में तो मजा है। अच्छा है, इसी में मजा है। यही तो हमारा काम है। ...**(व्यवधान)**... भारत की हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति की निरंतरता है। महोदय, इन दृश्यों को हटाकर, देश को संस्कृति से काटने का प्रयास किया गया और आज 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैं आपसे मांग करता हूँ कि संविधान के पेजों पर इन दृश्यों को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।

महोदय, जो सामने बोलने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देश यह भी जानना चाहता है कि आखिर इन दृश्यों को हटाने वाला कौन था? ...**(व्यवधान)**... आपने खुद ही बता दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा बताते हैं कि जो देश के पहले प्रधान मंत्री थे, इसमें उनका हाथ था। ...**(व्यवधान)**... वे नेहरू जी थे।

माननीय सभापति जी, देश की आज़ादी के बाद इन 75 वर्षों में संविधान में कई बार संशोधन किए गए। पिछले 10 वर्षों से जो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, उनकी सरकार में भी संविधान में संशोधन किए गए, लेकिन वे संशोधन जन हित में किए गए। महोदय, वे कौन से संशोधन किए गए थे? पहला संशोधन किया गया कि इस देश में एक कर प्रणाली होनी चाहिए — जीएसटी होनी चाहिए। अब यह मत कह देना कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी इसका समर्थन किया था। इसके अलावा, इस देश में एक लंबे समय से माँग थी कि इस देश में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इस देश में यह माँग एक लंबे समय से थी। संविधान संशोधन अधिनियम लाकर इस देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया।

सर, यहाँ बहुत सी बातें होती हैं। महिलाओं की बात होती है। यह बात सही है कि हमारे संविधान में महिलाओं को वोट का अधिकार पहले से दे दिया गया था। मुझे लोक सभा में रहने का भी अवसर मिला है। जब 2009 से 2014 तक मुझे लोक सभा में रहने का अवसर मिला, तब तत्कालीन यूपीए की सरकार थी, महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। राज्य सभा में क्या हुआ था और जब राज्य सभा में वह बिल पास हुआ, तब क्या हालत हुई थी, कितने शीशें टूटे थे, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उस समय की यूपीए सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए, अपने साथियों के दबाव में कि कहीं सत्ता न चली जाए, लोक सभा में बिल पेश नहीं कर पाई थी। यह दर्शाता है कि यूपीए और कांग्रेस के लोग महिला विरोधी हैं। मैं इस देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वे संविधान संशोधन लेकर आए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, जिससे उस संविधान संशोधन के माध्यम से लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम इस देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किया। ऐसे बहुत से काम हैं, जिनकी मैं चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन 14 मिनट हो गए हैं।

माननीय सभापति जी, यह मैंने काम गिनाए हैं। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी धारा 370 जैसा संविधान संशोधन लेकर आए। कश्मीर में कुछ मेरे परिवार के लोग, जो एसटी समुदाय में आते हैं, जब मैं वैष्णो देवी गया था और मैं ऊपर जा रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ कच्चे मकान थे और वे टूटे पड़े थे। मैंने पूछा कि परेशानी क्या है, ऐसा क्यों है, तो बताया गया कि ये गुर्जर-

बकरवाल के मकान हैं, इनके पक्के मकान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के कानून यहाँ लागू नहीं होते हैं। उन्हें राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया गया था। इस सदन में देश के प्रधान मंत्री ने पहली बार उस गुर्जर-बकरवाल समुदाय के -- आज गुलाम अली जी यहाँ सांसद के रूप में बैठे हैं, उन्हें इस राज्य सभा में प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया। अगर वहाँ पर किसी ने राजनीतिक आरक्षण देने का काम किया, तो संविधान संशोधन के माध्यम से नरेन्द्र मोदी जी ने किया। बाकी विषयों पर नड्डा जी ने अपनी बात विस्तार से रखी है।

माननीय सभापति जी, यहाँ आरक्षण को लेकर बात हुई और भ्रष्टाचार को लेकर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। Stanley A. Kochanek की एक बुक है - ब्रीफकेस पोलिटिक्स इन इंडिया। इसमें हमारे एक जर्नलिस्ट ...(व्यवधान)... आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... जब सुन लीजिएगा, तब रिएक्शन दीजिएगा। ...(व्यवधान)... आप इतनी जल्दी मत करिए। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति जी, सी. एस. पंडित ने उस... ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. ...(Interruptions)... And it is also not appreciated. It is not appreciated from a senior Member, and particularly when the senior Member knows ...(Interruptions)..

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: C.S. Pandit, Journalist and Writer, recalls in his book, "Often representatives of trade and industry were called to Delhi and asked to produce specific amount..." Please listen. ...(Interruptions)... सर, मेरे टाइम का ध्यान रखिएगा। ...(व्यवधान)... मेरा समय disturbance में जा रहा है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please continue.

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: "Often representatives of trade and industry were called to Delhi and asked to produce specific amounts. Those who declined were threatened with possible raids." आप ईडी की बात करते हो, आप ईडी का आरोप लगाते हो। जो पैसे देने के लिए मना कर देते थे, उनके खिलाफ रेड की जाती थी। यह आपकी परंपरा है। यह हमारी परंपरा नहीं है। इस परंपरा की शुरुआत आपने की है। यह मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)... "The Revenue Intelligence and the Enforcement Directorate, which were now operating under the Cabinet Secretariat, in Bombay financial circles, stories started circulating of the amounts secured by the Foreign Trade Minister under such threats. Others, who came forward willingly with whatever was asked for, received concessions." क्या अपनी मर्जी से आ गए? जिन्होंने आपको सौंप दिया, उनको कन्सेशन आपने दिए। यह वे कहते हैं। "....to expand their businesses and amass further resources." ये शुरुआत आपने की है और आज आप आरोप हम पर लगाते हैं!

माननीय सभापति जी, इस देश में धारा 356 का कई बार इस्तेमाल किया गया। उसकी चर्चा यहां बहुत हुई। क्या हमारे कम्युनिस्ट भाई यहां पर बैठे हैं? उनमें से कोई हैं या बाहर चले

गए। ...**(व्यवधान)**... शायद बाहर चाय पीने गए होंगे, लेकिन वहां तक आवाज तो जा रही होगी। ...**(समय की घंटी)**... एक डिस्कशन हुआ था - Discussion under Rule 193 in Lok Sabha on 7th May, 1979. ...*(Time-bell rings.)*... इसको कंवर लाल गुप्ता जी ने इनिशिएट किया और उस पर चर्चा हुई।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, now round up.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सर, मेरा एक विषय रह गया। इंडिया में 1973-75 में U.S. Ambassador, Daniel Patrick रहे। His tenure coincided with nuclear tests in 1974. उन्होंने बुक लिखी '*The Dangerous Place*' और जो उन्होंने कहा ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इस बुक में उन्होंने कहा, he alleged that the funds were transferred. Mrs. Indira Gandhi was the then Congress President. He further alleged that on occasions, the payments were made directly to Mrs. Gandhi as the President of the Congress Party. Mrs. Gandhi became the President of Congress in 1959. The book alleges that the funds were transferred to defeat Communist Government in Kerala. It might be recalled that in 1959, the elected Government in Kerala, headed by EMS Namboodiripad, was dismissed. वह कैसे डिसमिस की गई थी? वह वहां के पैसे से डिसमिस की गई थी। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri P. Wilson. ...*(Interruptions)*... Mr. Nagar, you have said enough. सुरेन्द्र जी, आपने बहुत कह दिया है। Now, Shri P. Wilson.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Thank you, hon. Chairman, Sir. Today, I stand here to participate in the discussion on the Glorious Journey of 75 Years of Constitution of India.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

According to me, in the last 10 years, this Government has done everything in its power, and some not in its power, to brick-by-brick destroy the edifice of our Constitution. From undermining Parliament to erosion of institutional integrity of other constitutional bodies, to misuse of governmental power and stripping the fundamental rights of citizens, the very fabric of our Constitution has been ripped to shreds by this Government.

My first point is on parliamentary sovereignty. Has this Government respected this august House? In the 17th Lok Sabha, more than 221 Bills were passed but one-third of these Bills were passed with less than an hour of discussion or with no

debate! No discussion took place on worst genocide committed in Manipur! Standing Committees have been reduced to paper committees. In the 17th Lok Sabha, only 16 per cent of the Bills were referred to the Standing Committees for detailed examination in contrast to 71 per cent of the Bills referred to Standing Committees in UPA regime. Important Bills were passed without any debate, which made the Chief Justice of India to comment on it.

My second point is on Judiciary. I would say that the undeclared emergency now prevailing in this country is Government's threat to independence of judiciary. Some High Court judges have started attending political meetings and are giving speeches in language unheard of in this country with a hope of further elevation or post-retirement jobs. The recommendations of the Collegiums for transfer of judges are not given effect to by the Ministry of Law. The Government interferes with elevation of judges to the High Court and the Supreme Court every now and then. Honest judges are mercilessly transferred even in cases when they are having ailing parents or spouse. Elevation of judges, who follow their conscience, is not notified by the Ministry of Law. It sits over the recommendations for about one and a half years together despite Supreme Court collegium reiterating its recommendation multiple times. So, is this the independence of judiciary that you have maintained? Are we to celebrate this?

My third point is on Social Justice. Every step is undertaken by the Government, including in the higher educational institutions, to destroy reservations in education and employment under the guise of merit. In judiciary, 82 per cent of judges are from upper class. Higher judiciary is the only institution, where reservations are denied in India for the last 75 years. Every time I raise this issue, the Government says, "Constitution does not permit it." What have you done in this regard? Have you not amended the Constitution for other purposes? Why don't you amend the Constitution for giving reservation? The very first constitutional amendment brought by Pandit Nehru, at the instance of Thandai Periyar and Perarignar Anna, was to enable reservation for backward classes throughout India. What have you done in the last 10 years? You have amended the Constitution to give reservation to the forward caste people under the EWS quota!

You deny undertaking the Caste Census fearing that reservation for Scheduled Castes, Schedule Tribes and the OBCs will go beyond 50 per cent. Sir, the 1931 data is very old and requires to be reviewed. You hide behind judgment in Indra Sawhney case and you have taken no steps to amend the Constitution to increase the artificial 50 per cent cap of reservation for SC/ST/OBC put together brought by the judiciary. Are we to celebrate this?

My fourth point is on language. The constitutional guarantee of linguistic diversity is wiped out with Hindi imposition, but you have consistently passed Bills in the name of Hindi instead of English in violation of Article 348. This is the respect you have for the Constitution. Are we to celebrate this?

My fifth point is on Governors. They are the death knell of State autonomy and cooperative federalism. They act as political opponents and publicly contradict policies of the State Governments, delay and even withhold the Bills passed by the State legislature. Are we to celebrate this?

My last point is related to the economic subjugation of southern States by unfair allocation of GST and funds. The southern States which are the engines of India's growth are punished for nothing. Are we to celebrate this?

Sir, I conclude by saying that this Government has given us no cause to celebrate because of the injustice they have done to our Constitution. We will celebrate this in 2029 when DMK alliance forms the Government at the Centre. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: माननीय श्री भूपेन्द्र यादव जी। आपके पास 40 मिनट का समय है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उच्च सदन में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर यह जो महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इसमें मेरी पार्टी ने मुझे भाग लेने का अवसर दिया है। मैं अपने नेतृत्व के प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूँ और कुछ बुनियादी मुद्दे रखना चाहता हूँ।

लोक सभा की चर्चा में और राज्य सभा की चर्चा में हमारे कई विद्वान साथियों ने अपने-अपने पक्षों को और विषयों को बहुत अच्छे तरीके से रखा है तथा संविधान के बारे में हमारे जो अनुभव हैं, उनको साझा किया है। मैं अभी University of Chicago के एक law school की रिपोर्ट को पढ़ रहा था, जिसका टाइटल है - 'The Lifespan of Written Constitutions.' माननीय उपसभापति महोदय, दुनिया में सामान्यतः जितने written constitutions हैं, उनकी average life 17 years है। मैं वह paragraph पढ़ना चाहूँगा। 'Results of the data analysis'. It says, "Constitutions, in general, do not last very long. The mean lifespan across the world since 1789 is 17 years. Interpreted as the probability of survival at a certain age, the estimates show that one-half of constitutions are likely to be dead by age 18, and by age 50, only 19 per cent will remain. Infant mortality is quite high — a large percentage, approximately 7 percent, do not even make it to their second birthday. Also, we see noticeable variation across generations and across regions. For example, Latin American and African countries fit the joke of the French-constitution-as-periodical much better than does France itself. Our current analysis suggests that

the mean lifespan in Latin America and Africa is 12.4 and 10.2 years, respectively, with 15 percent of Constitutions from these regions perishing in their first year of existence. Constitutions in Western Europe and Asia, on the other hand, typically endure 32 and 19 years, respectively, and their lifespans are the least skewed.”

माननीय उपसभापति महोदय, जब हमारी Constituent Assembly को यह Constitution बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें बहुत सारे विषयों के बारे में सोचा था। उस समय जो चुनौतियाँ आई थीं, जब संविधान सभा को यह Constitution समर्पित किया गया था, उस समय डा. राजेन्द्र प्रसाद, जो कि Constituent Assembly के President थे, उन्होंने जो कहा था, अगर हम आज उसे देखें, तो हमारी Constituent Assembly के लोगों ने एक कितना बड़ा कार्य किया था। मैं डा. राजेन्द्र प्रसाद के कुछ शब्द क्वोट करना चाहता हूँ। “Before I do that, I would like to mention some facts which will show the tremendousness of the task which we undertook some three years ago. If you consider the population with which the Assembly has had to deal, you will find that it is more than the population of the whole of Europe minus Russia, being 319 millions as against 317 millions. The countries of Europe have never been able to join together or coalesce even in a Confederacy, much less under one unitary Government. Here, in spite of the size of the population and the country, we have succeeded in framing a Constitution which covers the whole of it.”

माननीय उपसभापति महोदय, उस समय हम 31 से 35 करोड़ थे, जबकि आज 140 करोड़ हुए हैं। उसके बाद भी लगातार एक federal के रूप में देश की सभी विधान सभाओं में, देश की लोक सभा में हमने शान्तिपूर्ण तरीके से सत्ता का बदलाव भी किया है और Constitution की भावना को आगे बढ़ाया है। इसके लिए अगर कोई बधाई की पात्र है, तो वह इस देश की 140 करोड़ जनता है। हमारे देश का जो ethos है, हमारे देश की जो कांस्टीट्यूशनल वैल्यूज हैं, हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम हमारे संविधान के 75 वर्षों की यात्रा को स्वर्णिम यात्रा कहते हैं और इसकी हम चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से किसी ने कहा है कि

*‘हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।’*

मैं यह कहना चाहता हूँ कि 75 वर्षों की इस यात्रा के बाद कुछ लोग संविधान को जेब में रखकर फिरते हैं, लेकिन अगर यह संविधान केवल टाइपिंग का दस्तावेज होता, अगर यह केवल कुछ शब्द होते, तो मैं यह मानता कि यह बात ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब इस संविधान को बनाया, तो उस समय टाइपराइटर थे, लेकिन देश की जनता को जो संविधान समर्पित करना था, वह लाल किताब वाला नहीं है, यह वाला था, जयराम जी। इस किताब में उन्होंने कैलीग्राफी के साथ कुछ instances, कुछ illustrations हम सबके सामने रखे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो कैलीग्राफी और instances थे, ये अनायास नहीं थे।

उपसभापति महोदय, सब सदस्यों ने अलग-अलग तरीके से विषय रखे हैं, लेकिन संविधान में जो कैलीग्राफी रखी गई है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है और उनको जिस कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है, मैं यहां पर अपनी पार्टी की ओर से उनके संदर्भ में विषय रखना चाहता हूँ। हम जब भी संविधान का पहला पेज खोलते हैं, तो हमारा एम्ब्लम है और एम्ब्लम के नीचे 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है। इस 'सत्यमेव जयते' के माध्यम से भारत ने दुनिया को जो wisdom दी है, वह अपने आप में दुनिया को एक बड़ा उपहार है। हमारे उपनिषदों में जो वाक्य तय किए गए हैं, हम कितना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आएँ, दुनिया में कितनी भी प्रगति, तरक्की और आर्थिक मुकामों को छू लें, लेकिन जीवन के अस्तित्व को जानने के लिए हमारे उपनिषदों ने दुनिया को बहुत नया रास्ता दिया है। यह 'सत्यमेव जयते' भी मांडूक्य उपनिषद् से लिया गया है और ऋषियों के संवाद में मांडूक्य उपनिषद् में यह कहा गया है :

*"सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
येनाक्रमन्त्यृषयो हयासकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्॥"*

इसका अर्थ यह है कि जब इस एम्ब्लम को लेकर इस देश की यात्रा लंबी चलेगी और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम 75वें वर्ष पर यहां उपस्थित हैं, आगे इसी सदन में 100 वर्ष पर भी चर्चा होगी, 100 वर्ष पहले भी उन्होंने विज्ञान किया था कि जब इस देश की यह यात्रा चलेगी तो, अंततः जो भी संविधान के पैरोकार बनेंगे, जो भी लॉ मेकर बनेंगे, उनको सत्य का रास्ता चुनना होगा। कहते हैं कि सत्य के रास्ते पर चलकर ही ऋषियों ने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले तीन चुनावों में हमने देखा है। सत्य का अर्थ यह होता है कि जब भी हम जनता के सामने जनसमर्थन मांगने जाएं, उनका विश्वास लेने जाएं, तो सत्य के साथ विषयों को विश्वास के साथ रखें। जिन्होंने इस चुनाव में असत्य बोला कि हम संविधान बदल देंगे, वह असत्य हारा है और सत्य जीता है और जनता ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार मौका दिया है। लोकतंत्र में इस देश की जनता बहुत समझदार है। अक्सर हमारे कांग्रेस के मित्र बार-बार यह कहने की कोशिश करते हैं कि हम पीछे क्यों जाते हैं? जब हम संविधान की 75 वर्षों की यात्रा का अवलोकन करेंगे, तो जो गलतियां हुई हैं, उनसे सीख कर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उसको जानने का मौका मिलेगा। इन्होंने थोड़े समय के लिए लोकसभा में भ्रम फैलाया था, पर हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद जो थोड़ा भ्रम था, वह भी दूर हो गया और सत्य पूरी तरीके से विजयी हुआ।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं अभी कैलीग्राफी की बात कर रहा था। हमारे संविधान में सबसे पहले पार्ट वन शुरू होता है। पार्ट वन में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक भारत का संघ, "India, that is Bharat", हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और हमारी भूमि की सीमाओं को बताया गया है। यह शब्दों में भी बताया जा सकता था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें कैलीग्राफी करके जो illustrations दिए, वे मोहनजोदड़ो के दिए। इस देश में लगभग 2,500 ईसवी पूर्व सभ्यतागत प्रमाण थे, civilizational values थे। इसलिए 26 नवंबर, 1949 को संविधान ने जो एक geographical area दिया, वह geographical area केवल आज का geographical area है, उसके सभ्यतागत प्रमाण पुराने हैं।

इसके बाद पार्ट 2 आता है, जिसमें नागरिकता का वर्णन है। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता की बात कही गई है और उसमें नागरिकता की परिभाषा दी गई है। संविधान की मूल कॉपी में, जहां नागरिकता का पूरा चैप्टर लिखा गया है, वहां पर उन्होंने illustration के रूप में वैदिक गुरुकुल दिए हैं। ये वैदिक गुरुकुल क्यों दिए गए हैं? क्योंकि civilizational value में जब हम उपनिषद् में 'सत्यमेव जयते' के विषय से आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि एक लंबे भू-भाग पर एक पुराने civilizational value का सिस्टम था, जिसमें विचारों की सहिष्णुता थी, जिसमें सारे दर्शन आपस में एक दूसरे के प्रति विचार करते थे। लेकिन, हम जानते हैं कि उस पुरानी civilizational land में बाद में 1947 में हमारे पड़ोस में जो देश राजनीतिक तरीके से अलग हुआ, वहां पर जो अल्पसंख्यक थे, उन पर अत्याचार हुए। इसलिए, संविधान की इस भावना को समझते हुए जब हम उन अल्पसंख्यकों के लिए CAA कानून ले करके आए, तो जो इस वैल्यू को नहीं समझते थे, उन्होंने उसका विरोध करने का काम किया। हम संविधान निर्माताओं की उन्हीं भावनाओं को आगे ले करके आए हैं। मेरा यह मानना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान के रूप में इस देश के नागरिकों को केवल एक सबसे बड़ा उपहार ही नहीं दिया, बल्कि उसके साथ ही उन्होंने उसमें सब सरकारों, चाहे कोई भी सरकार आए, उनको एक तरीके से संविधान निर्माताओं का आदेश है कि सबका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। हमारे राम गोपाल जी तो पोलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ही रहे हैं और इसलिए कई बार उनके भाषण में Fundamental Rights के बारे में बातें आती हैं। हर सरकार ने Fundamental Rights की बातें की हैं। लेकिन, जब Constitution के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक Fundamental Rights की बात की गई और उसमें जो illustration दिया गया, वह भगवान राम का दक्षिण से अयोध्या जाते हुए दिया गया है, जिसमें राम और सीता दोनों हैं, क्योंकि देश में समान रूप से सबके फंडामेंटल अधिकार होने चाहिए।

सर, 75 वर्षों की इस यात्रा में हमने देखा है कि एक दौर ऐसा आया था, जब इस दौर में इस देश के अंदर मौलिक अधिकारों को छीना गया और मौलिक अधिकारों को छीनकर किस प्रकार से लोगों को सम्मानित किया गया था। हमने उससे पहले यह देखा था कि जब Nationalization of Banks का Bank Judgment आया था, तो वह 10:1 था। जब केशवानंद भारती का जजमेंट आया तो वह 7:6 था, लेकिन तत्कालीन सरकार के अहंकार को यह लगा कि अगर इस प्रकार का निर्णय ज्यूडिशरी देगी, तो यह ठीक नहीं है, इसलिए हमें committed judiciary चाहिए। जब committed judiciary नहीं मिली, तो भारत के इतिहास में पहली बार, जिसको हम separation of power कहते हैं, उस पर सबसे पहला झटका यह लगा कि Supreme Court के तीन Judge, Justice Shelat, Justice Hegde और Justice Grover को supersede करके Justice A.N. Ray को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। आप देखेंगे कि उस कालक्रम में तत्कालीन सरकार के हौसले बहुत बड़े थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ideal दिया था, जो राम और सीता का चित्र था, उसका एक ideal था। Rights of every being is recognized and protected. उसको समाप्त करके इमरजेंसी को लगाया गया था। इमरजेंसी में जो illegal detention किया गया, उसका जजमेंट एडीएम, जबलपुर केस में आया। उसमें चार judges ने यह कहा, 'No Right to Life and Personal Liberty will be availed at the time of emergency.' इसका मतलब देश के लोगों के मौलिक अधिकार कभी भी छीन लिए जा सकते हैं।

एक courageous जज थे - जस्टिस खन्ना, उन्होंने असहमति ज़ाहिर की, तो सरकार के मन में जो judiciary को दबाने का भाव आया था, उस judiciary के भाव को दबाते हुए सरकार ने वापस मिस्टर खन्ना को पद छोड़ने पर मजबूर किया और उनको मजबूर करके एम.एच. बेग को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। महोदय, आप देखिए कि कितनी committed judiciary थी। जस्टिस बेग, Chief Justice of India रिटायर होने के बाद National Herald के डायरेक्टर बने, conflict of interest तो था, लेकिन CJI रिटायर होने के बाद - जो कांग्रेस का मुखपत्र है, अब जो फैमिली का मुखपत्र है, उसके डायरेक्टर बने। सबसे पहले तो नागरिक अधिकारों को छीना। नागरिक अधिकारों को छीनने के लिए वे CJI बने, रिटायर होते ही वे नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर बने, कोई भी बन सकता है, लेकिन लिंक तो था। फिर वे National Human Rights Commission के चेयरमैन बने, ...**(व्यवधान)**... फिर National Commission for Minorities के चेयरमैन बने और बाद में, राजीव शुक्ला जी, आप लोगों ने उनको पद्म विभूषण दे दिया।

श्री राजीव शुक्ला: आपने रंजन गोगोई जी को ...**(व्यवधान)**... हाई कोर्ट के जज को ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: राजीव जी, ऐसा है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी।

श्री राजीव शुक्ला: मैं वही तो चाह रहा हूँ।

श्री भूपेन्द्र यादव:

*“लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे,
ये भी पूछेंगे तुम इतने परेशान क्यों हो,
जगमगाते लम्हों से गुरेज़ां क्यों हो”*

15 साल से देश आगे चल रहा है। आपको क्या परेशानी हो रही है? महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो पद्म विभूषण मिला। उपसभापति महोदय, वर्ष 2023 में मैं पद्म भूषण अलंकरण समारोह में था। भारतीय जनता पार्टी ने भी पद्म विभूषण दिए। कर्नाटक के एक 83 वर्ष के local artisan, जो बीदरी वर्ग के होते हैं, उनके रशीद कादरी को मिला। वह गरीब मुसलमान यह बोला कि मैं तो यूपीए सरकार से 10 साल से मांग रहा था, मुझे पद्म विभूषण नहीं दिया गया, मुझे तो पद्म विभूषण मोदी जी की सरकार ने दिया।

आपको तो उनको देना था, जो आपके प्रति समर्पित थे, मोदी जी उनका सम्मान करते हैं जो देश के लिए समर्पित हैं। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मूलभूत अधिकारों को लेकर जिस प्रकार की परिस्थिति आई - मेरे बहुत सारे वक्ताओं और साथियों ने यहां अपना विषय रखा है — मैं हमारे संविधान के Part IV के बारे में बात करना चाहूंगा और 75 वर्ष की journey में क्या किया है, वह बताना चाहूंगा। संविधान के Part IV में आर्टिकल 36 से 51 (a) तक राज्य के नीति-निर्देशक तत्व आते हैं। यह एक coincidence है कि नीति-निर्देशक तत्व में संविधान के निर्माताओं ने जो अपना illustration लगाया, जो चित्र लगाया, वह वो वाला चित्र है, जिसमें अर्जुन रथ पर बैठे

हैं और कृष्ण उपदेश के लिए खड़े हैं। अगर आप उस चित्र को देखेंगे, तो भगवत् गीता का जो दूसरा अध्याय है, जहां वे लगातार यह कहते हैं कि-

*“क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप”*

शायद हमारे संविधान निर्माताओं को यह पता था कि राज्यों को जब नीति-निर्देशक तत्वों का पालन करना होगा, तो कई तरह के conflict की situation आएगी। ऐसे में अपना स्वधर्म क्या होगा, राज्य का स्वधर्म क्या होगा, good governance का विषय क्या होगा, policy formulation, functioning of Welfare State, philosophical foundation में ड्यूटी और governance का विषय क्या होगा? माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में रखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरला मुद्गल का जजमेंट आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शाह बानो का जजमेंट आया, लेकिन संविधान निर्माताओं के इस डायरेक्शन का विरोध करना और उसको ध्वंस करने का काम यह आपने किया है, हमने उसको आगे बढ़ाकर तीन तलाक जैसे प्रगतिशील कानून लाने का काम किया है। अभिराम सिंह जैसे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के Constitution के culturalism को लिया और उसी के साथ separation of Judiciary, यह किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए, वह नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि ज्यूडिशियरी का और एग्जीक्यूटिव का सैपरेशन होना चाहिए। मैं एक ज्यूडिशियल सैपरेशन के ऊपर पढ़ रहा हूं, तो मैं एक बायोडेटा पढ़ना चाहता हूं। किस प्रकार से आपने ज्यूडिशियरी को कमिटेड बनाकर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज, जस्टिस बहरुल इस्लाम थे। उनके बायोडेटा में लिखा है- Baharul Islam was an Indian politician and judge of the Supreme Court of India. He was elected to the Rajya Sabha, the Upper House of the Parliament of India, as a Member of the Indian National Congress. ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेश: सर, यह बात बोल चुके हैं। उसी को दोहरा रहे हैं।

SHRI BHUPENDER YADAV: In 1972, he resigned from the Rajya Sabha to become a judge in the Gauhati High Court, where he eventually retired as Chief Justice. He was later recalled and appointed as a judge of the Supreme Court, where he delivered a judgment absolving the then Chief Minister of Bihar, Jagannath Mishra, in the urban cooperative bank scandal. उसके बाद फिर उन्होंने पद छोड़ा। फिर आपने उनको चुनाव लड़ाया और फिर राज्य सभा में लेकर आए। जब दिल्ली में 1984 का दंगा हुआ, तो 1984 के दंगे में आपको जांच के लिए एक कमिशन की आवश्यकता थी और आपने जांच के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का कमिशन बनाया। कमिशन की रिपोर्ट क्या थी? कमिशन की रिपोर्ट यह थी - Justice Misra found 19 Congress workers guilty, but gave the party a clean chit. कांग्रेस के 19

नेता इन्वॉल्वड हैं और कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट है। He declared और उन्होंने कहा "the riots which had a spontaneous origin later attained a channelised method at the hands of gangsters." यह दिल्ली की हालत आपने उस समय की थी। यह दिल्ली की स्थिति आपने की थी। उसके बाद तो आपने उनको राज्य सभा का सदस्य बनाया, सीजेआई भी बनाया। यह जो एक मेन्डेट था, शायद आपने अगर कांस्टीट्यूशन की किताब जेब में रखने के बजाय संविधान निर्माताओं का illustration देखा होता, तो आप संविधान की आत्मा के साथ चलते, केवल पेपर और शब्दों को साथ नहीं चलते। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके सामने कि हम जब आर्टिकल 5 की बात करते हैं, आर्टिकल 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक और वास्तव में उस समय जो हमारे संविधान निर्माताओं ने illustration के रूप में चित्र लगाया, वह भगवान गौतम बुद्ध का, जो सारनाथ में उन्होंने धर्मचक्र प्राप्त किया था, उसका लगाया।

3.00 P.M.

बहुत समय बाद हिंदुस्तान में एक ऐसी घटना घटी थी कि हमने शासन में करुणा, प्रेम, सत्य कल्याण की बात कही थी। इसलिए तीनों विषयों पर यह जो धम्म चक्र का चित्र है, मुझे लगता है कि यह शायद हमें यह संदेश देने के लिए था कि एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशियरी और लेजिस्लेशन - ये तीनों इस करुणा के भाव के साथ मिलकर चलेंगी। आपके समय में आपने एग्जीक्यूटिव के दौरान इमरजेंसी लगाई, आज आपने इस तरह की कमिटिड ज्यूडिशियरी खड़ी की है और लेजिस्लेशन में इसी सदन के अंदर, आपने और आरजेडी ने मिलकर, रात के 12 बजे, राजनीति प्रसाद जी से महिला बिल फड़वाकर केवल राजनीति करने का काम किया, सदन की गरिमा को गिराने का काम किया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में हम लोगों ने Part-VI से लेकर Part-VIII तक राज्य और केंद्र के संबंध कैसे होने चाहिए - उस पर कहा है। हम लोग स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर संघवाद की बात करते हैं, तो हमारे देश के अंदर संघवाद के अंतर्गत एक harmonious structure खड़ा करना चाहिए।

महोदय, मुझ से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को लेकर बोला, राज्यों को धमकाने के विषय को लेकर बोला। मैं इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि आप ही के कारण जो सरकारें गिरीं, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस के शासनकाल में यह बताना पड़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर में आपकी लक्ष्मण रेखा क्या है, आप उसको देखिए। सर्वोच्च न्यायालय को मुंबई के जजमेंट में आपको यह बताना पड़ा कि आप मनमंजी से राज्य सरकारों को नहीं गिरा सकते हैं। क्योंकि आप लगातार, एग्जीक्यूटिव पॉवर का, लेजिस्लेटिव पॉवर का, ज्यूडिशियरी के सेपरेशन का, उसकी इंटिग्रिटी का अपमान करने का काम कर रहे हैं और 75 वर्षों की यात्रा हमें यह बताती है, आपके शासन से हम यह सीखे हैं कि अंततः 'सत्यमेव जयते' है। सही तरीके से काम करने वाले को ही जनता बार-बार चुनती है और जनता ने हमें तीसरी बार चुना है।

माननीय उपसभापति महोदय, अगर हम संविधान के Chapter — IX पर जाएंगे, तो पाएंगे कि पंचायती राज में और इस देश में एक परिवर्तन आया है।

श्री जयराम रमेश: कब आया है?

श्री भूपेन्द्र यादव: आपके समय में आया है। इसमें कोई गलत बात नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश: आपने विरोध किया था।

श्री भूपेन्द्र यादव: हमने विरोध नहीं किया।

श्री जयराम रमेश: राज्य सभा में पहले विरोध हुआ था।

श्री भूपेन्द्र यादव: यह कन्सेंसस से पास हुआ था।

श्री जयराम रमेश: जी नहीं, राज्य सभा में विरोध किया गया था।

श्री भूपेन्द्र यादव: आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, यह कन्सेंसस से पास हुआ था।...(व्यवधान)... हमने कभी भी देश की प्रगति में एक कदम पीछे नहीं रखा है। आपने जीएसटी का बहिष्कार किया है, आपने नई संसद का बहिष्कार किया है, आपने देश के हर गौरवपूर्ण मौके पर चीज़ों को रोकने की कोशिश की है। हमारे लिए हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है — नेशन फर्स्ट। यह वह पार्टी है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया। हमारे पहले अध्यक्ष के बलिदान से यह पार्टी खड़ी हुई, इसलिए देश के गौरवशाली मौकों पर पिछले दस सालों में हमने यह देखा है कि जब-जब गौरवशाली मौके आए हैं, तो कांग्रेस उस मैदान को छोड़ती हुई नज़र आई है। जयराम जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पंचायती राज पर जो illustration दिया है, वह विक्रमादित्य के नौ रत्नों के साथ बैठे हुए दिया है। स्थानीय स्वराज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विषयों को आगे बढ़ाने का जो vision हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है, उसका अर्थ यह है कि सब कुछ आपस में सहमति से तय होना चाहिए, विचार-विमर्श से तय होना चाहिए, सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री बनते ही सबसे पहले इस देश में 'आदर्श ग्राम योजना' शुरू की और 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' को भी पूरा किया। यदि आप इस सरकार की पिछले 15 सालों की आर्थिक नीतियों को देखेंगे, तो वह चाहे 'स्वनिधि योजना' योजना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की योजना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने की योजना हो, ग्रामीण भारत को संपन्न करने का हमारे संविधान निर्माताओं का जो निर्देश है, वह उसके अंतर्गत है।

माननीय उपसभापति महोदय, निश्चित रूप से, हमारे संविधान का आर्टिकल 244 और चैप्टर 10 देश के ट्राइबल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है। कांग्रेस लंबे समय तक रही, लेकिन ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही हुआ। अगर आप चैप्टर 10 देखेंगे, तो उसमें जो इलस्ट्रेशन लगा हुआ है, जो हमारे कॉस्टीट्यूशन में लगा हुआ है, वह नालंदा, बिहार का लगा हुआ है। हमारे यहाँ संविधान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है। उपसभापति जी, अगर मैं सारे इलस्ट्रेशन बताने लगूँगा, तो मेरा सारा समय चला जाएगा।

[उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) पीठासीन हुए]

मेरा यह मानना है कि हमें संविधान को केवल बहस के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए, बल्कि संविधान को उसकी आत्मा के साथ अंगीकार और स्वीकार करना चाहिए। यही कारण है कि हमारे संविधान की 75 वर्षों की यात्रा गौरवशाली रही है और हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आजकल जयराम जी अभयमुद्राइय के नए प्रवर्तक बने हुए हैं। यही उसके फिलॉस्फर और थिंकर हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो हमारे संविधान का चैप्टर 12 है, उसी में नटराज की मुद्रा है। राज्य और केंद्र के संबंध आपस में किस प्रकार से साथ हों, किस प्रकार से आगे बढ़कर चलें, इस देश के संविधान निर्माताओं ने इसे बड़े व्यापक अर्थों में दिया है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने प्रेरक तत्वों को बहुत छोटे स्तर पर ले आते हैं। जब हम अभयमुद्राइय की बात करते हैं, तो उसके माध्यम से जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जबकि जो शिव के तत्व को जानता है, वह जानता है कि वहाँ पर कोई जाति भेद जैसी चीज नहीं है। हम आर्थिक तरक्की से देश को आगे बढ़ने वाला विषय लेकर जाते हैं। अभी हमारे साथी विल्सन जी बोल रहे थे। मैं कल सुन रहा था कि हमारे तिरुची शिवा जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अपने सांसद के द्वार पर मकर द्वार लिख दिया। यह संस्कृत शब्द है, यह हमें समझ में नहीं आता है। मुझे भी लगा, लेकिन जब मैं अपने घर पर कर तमिल-इंग्लिश डिक्शनरी को खोली और विशेष रूप से, Cre-A Dictionary of Contemporary Tamil को खोला, तो उसमें मकर शब्द और मकर द्वार पर जो मूर्ति बनी हुई है, वह तमिल में ही लिखी हुई पाई है। कृपया यहाँ पर इस प्रकार की बात न करें। हम सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Hon. Minister, will you yield for him? ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPENDER YADAV: That is a name. Even there are ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Bhupenderji, will you yield for Mr. Thambidurai? ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPENDER YADAV: No, Sir. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): He is not willing to yield. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. Will you please take your seat? ...*(Interruptions)*... Okay, he has yielded. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, we are not against any language. But, we are for our language, that is, the Tamil language. We do not have any objection if you

put it in Hindi. But, put that in Tamil also; put that in regional language also. That is our demand. We are fighting for that. That is what I am requesting the Central Government to consider.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJIV SHUKLA): Thambiduraiji, it is written in Hindi as well as in English and English is acceptable even in South India.

AN HON. MEMBER: Correct. Sir, you are right.

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, it is not a matter of debate. We respect every classical language and other languages in our country. सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहां पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस पर संविधान निर्माताओं ने जो चित्र लगाया, वह गांधी जी का लगाया है। हमको निश्चित रूप से नई शिक्षा पद्धति में भारतीय भाषाओं का गौरव होना चाहिए। तमिल हिंदुस्तान की एक सबसे प्राचीन और क्लासिकल लैंग्वेज है और उसमें लिखे गए स्क्रिप्ट्स पर पूरे देश को गर्व है। उसमें जो नीति, नियम, विषय दिए गए हैं, उन पर हम सबको गर्व है। इसलिए हम भी अपने घर में उस डिक्शनरी को रखते हैं। मैंने केवल curiosity के नाते देखा कि यह वर्ड है या नहीं है। उसमें मुझे केवल एक वर्ड नहीं मिला। उसमें मुझे दो वर्ड और मिले। *मकराय*, meaning of one of the extinct tamil music instruments and *मकरा यक्रम* meaning one of the war strategies. बांग्ला को भी हमारी सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज बनाया, मराठी को भी सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज बनाया। ...**(व्यवधान)**... इसी प्रकार कन्नड़ भाषा भी है। हमारी मातृभाषा में गीत, संस्कृति, कहानियों के साथ संस्कार भी होते हैं। जब इतना हम कर सकते हैं, तो विज्ञान और कॉमर्स भी देश की मातृभाषाओं में आना चाहिए। यही प्रधान मंत्री जी का विजन है कि भारतीय भाषाएं और मातृभाषाएं बढ़नी चाहिए। 75 सालों में अगर इसमें कमी रही है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देकर निश्चित रूप से हम सब आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको लाने और आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने even Part XIII में ट्रेड और कॉमर्स का विषय दिया, तो वहां पर जो सबसे बड़ा चित्र भी लगा वह महाबलीपुरम का चित्र लगा है। उसका कारण है। अगर आप कहीं भी जाएंगे, आप कंबोडिया से लेकर के जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जाएंगे, हमारे तमिल लोगों ने वहां पर व्यापार में बहुत तरक्की की है। लंबे समय से देश के व्यापार को जोड़ कर रखा है। आखिर जब हम 75 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा की बात करते हैं, तो 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का अर्थ है कि जो सिविलाइजेशनल वैल्यू के साथ हमको संविधान मिला है, उस संविधान को आगे कैसे बढ़ाया जाए। 75 सालों के अंतर्गत देश की शासन व्यवस्था में जिस प्रकार की, जो भी गलतियां हुई हैं, उनमें कैसे सुधार कर आगे बढ़ा जाए। भारत एक समवेत स्वर में आगे कैसे बढ़े और आने वाले समय में केवल सिविलाइजेशनल वैल्यू और लैंग्वेज के साथ विज्ञान से लेकर बाकी विषयों में भारत कैसे आगे बढ़े। इसलिए मैं कई बार यह कहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा दिए गया जो cultural constitutionalism है, उसके साथ ही साथ हम transformative constitutionalism की ओर आगे जाएं। किस चीज का

ट्रांसफॉर्मेटिव? ट्रांसफॉर्मेटिव दो चीजों के लिए equity और rationality. समता के सिद्धांत को और rational चीजों के विषय को अगर आगे बढ़ाने की बात होगी, तो उसी के लिए यह 75 वर्षों की डिबेट कराने की बात है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतियों के परिवर्तन के संदर्भ में, भारत की गौरवशाली परंपरा के संबंध में जब यह नया संसद भवन बना, तो वह सिविलाइजेशन वैल्यू आनी चाहिए। इसी नए संसद भवन में हमने तमिलनाडु से सेंगोल को लाकर स्थापित किया, ताकि देश के लोगों और यहां बैठने वाले लोगों के मन में अपनी सिविलाइजेशन वैल्यू के साथ आगे बढ़ने का विषय आना चाहिए। कांग्रेस के समय में जब यह देश की आजादी के हस्तांतरण में दिया गया था, तो इसको इस देश के न्याय का एक प्रतीक न मानते हुए एक वॉकिंग स्टिक के रूप में बदल दिया गया था। उसको बदल करके ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: सर, यह बिल्कुल गलत है। यह किसी को नहीं दिया गया था। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): One minute, please.

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ...**(व्यवधान)**... माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ये यह नहीं बता रहे हैं कि वह 75 साल से कहाँ पर था। ...**(व्यवधान)**... ये कुछ नहीं बता रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Bhupenderji, one minute.

श्री जयराम रमेश: सर, मैं इनका भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, बहुत रचनात्मक और रोचक भाषण है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में चित्र और टेक्स्ट के बीच में रिश्ता क्या है, वे हमें जानकारी दे रहे हैं। मैं बहुत educate हुआ हूँ, पर जो अभी-अभी इन्होंने सेंगोल के बारे में कहा है, यह एक कहानी इन्होंने फैलाई है। यह इतिहास नहीं है। यह किसी के हाथ में औपचारिक तौर से सौंपा नहीं गया था। कुछ लोग आए, वह सेंगोल दिया गया, एक समारोह हुआ और इन्होंने उससे एक नया इतिहास खड़ा कर दिया। इसका पूरा सबूत मैं टेबल पर रख सकता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Leader of the House.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: यह कहानी नहीं है, सच्चाई है ...**(व्यवधान)**... और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आजादी मिल रही थी, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि सत्ता के हस्तांतरण में ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: सर, यह बिल्कुल गलत है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): आप बोलते रहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सत्ता के हस्तांतरण में ...(व्यवधान)... सत्ता के हस्तांतरण में आपके यहाँ कोई विधि होती है, क्या उस विधि को अपनाया जा सकता है, इस तरीके की बात पूछी गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें तो इसका कोई ज्ञान नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश: सर, यह बिल्कुल गलत है। ...(व्यवधान)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सी. राजगोपालाचारी जी ...(व्यवधान)... अगर गलत होगा, तो आप contradict कर दीजिएगा। सी. राजगोपालाचारी जी ने तमिलनाडु से चोला डायनेस्टी ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Naddaji, will you also authenticate this thing? ...(Interruptions)...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I will do that. I will do that. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Okay. ...(Interruptions)...

श्री जयराम रमेश: सर, authenticate करने के लिए कहिए। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): He has said that he will authenticate it. ...(Interruptions)... मैंने कहा। He will authenticate it. ...(Interruptions)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: चोला डायनेस्टी में सत्ता हस्तांतरण में जो प्रथा थी, उसके बारे में सी. राजगोपालाचारी जी ने चर्चा की। उस समय यहाँ से भारत का वायुयान मद्रास गया, जिसको अब चेन्नई बोला जाता है और वहाँ से चोला डायनेस्टी के उस रीति-रिवाज को मानने वाले लोग और इसकी फिल्म है ...(व्यवधान)... यहाँ आए थे। जी, उनको लाया गया था। ...(व्यवधान)... सर, मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को, ...(व्यवधान)... जो चोला डायनेस्टी के लोग आए थे, उसी डायनेस्टी के लोग इस बार भी आए थे। ...(व्यवधान)... एक मिनट। अब आप सुन लें। वे आए। मुझे वह residence याद नहीं है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ रहा करते थे, वे तीन मूर्ति में शिफ्ट नहीं हुए थे। वहाँ उनको पूजा-पाठ के साथ वह दिया गया। शायद तारीख 14 अगस्त, 1947 थी, उसकी दोपहर को दिया गया। बाद में वह आनंद भवन में पहुँचा और वहाँ रखा गया। बाद में वह म्यूजियम में गया और जब म्यूजियम में गया, तो वहाँ लिखा था - "Jawaharlal Nehru's Walking Stick". ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Will you authenticate it? ...(Interruptions)... Naddaji, will you authenticate it? ...(Interruptions)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: इसके जितने भी तथ्य हैं, वह मैं रख दूँगा। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): इस पूरे प्रकरण को आप authenticate करके टेबल ऑफिस को दे दीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैंने कहा कि जितनी भी जानकारी है, वह मैं authenticate करके रख दूँगा। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): He will authenticate it. ...**(Interruptions)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय,...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): भूपेन्द्र जी, आपका टाइम खत्म हो गया। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: सर, अभी हमारा बहुत टाइम है। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कई बार संदर्भ आ जाते हैं। ये बार-बार कहते हैं कि आप लोग हमें क्यों कहते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था। मैं सर्वोच्च न्यायालय में वकील था। मैं राम सेतु के केस में वकील था। उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। आपका तो affidavit था कि राम exist नहीं करते। ...**(व्यवधान)**... यह part of record है। ...**(व्यवधान)**... अब जयराम जी नहीं बोलेंगे कि authenticate कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप अब नहीं बोलेंगे। ...**(व्यवधान)**... **(समय की घंटी)**... आप अब नहीं बोलेंगे। ...**(व्यवधान)**... Constitution में Fundamental Rights का जो chapter है, वहाँ पर भगवान राम की फोटो लगी हुई है, उसको देखते हुए जब आपने लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए और सुप्रीम कोर्ट में affidavit दे दिया कि राम का कोई existence नहीं है, तो बताइए कि कांग्रेस को इस देश में कौन मानेगा? ...**(व्यवधान)**... **(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): ठीक है। Next. Shrimati Mausam B. Noor.

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय..

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): आपका टाइम पूरा हो गया, 5 मिनट extra हो गया।

श्री भूपेन्द्र यादव: कितना टाइम है? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): 7 मिनट extra हो गया। ...(व्यवधान)...

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विषय को..

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): 7 मिनट extra हो गया। ...(व्यवधान)... वह अलग है।
...(व्यवधान)... वह अलग है। उसके अलावा बता रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, मैं अपने विषय को एक वाक्य के साथ समाप्त करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): ठीक है, आप बोलिए।

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, संविधान की 75 वर्षों की इस यात्रा में ये जो 10 गौरवशाली वर्ष आए हैं, हम निश्चित रूप से इस बुनियाद को आगे बढ़ाते हुए देश की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। अन्त में, मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना विषय समाप्त करूँगा:

" मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ।
पथ की सारी बारीकी को, बारीकी से सिखलाता हूँ,
उलझे न भारत का कोई, सदा जतन यह करता हूँ।
रातों के अंधकार में भी, मैं दीपक सदा जलाता हूँ,
मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ।"

महोदय, मैं अन्त में यही कहना चाहूँगा कि भारत का संविधान जो रास्ता दिखाता है, वह 'सत्यमेव जयते' है, वही 'भारत माता की जय' है।

SHRIMATI MAUSAM B. NOOR (West Bengal): Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress, I would like to speak on the aspect of liberty, granted by our Constitution's Preamble. Sir, where are we on the World Liberty Index? As we embark on the 75th year of our Constitution, it is disheartening to see India rank 159 out of 180 countries in the World Press Freedom Index, 2024. We are even behind war-torn Lebanon. Between 2014 and 2019, more than 200 serious attacks on journalists have occurred. This has suppressed the freedom of expression guaranteed in Article 19. Further, laws have been made for targeting inter-faith marriages and conversions, which breaches the freedom of religion, provided in Article 25, and right to privacy in Article 21. Recently, changes to Criminal Laws removed safeguard to limiting police custody to 15 days thus allowing fragmentation of police custody over 60 to 90 days, which increases the risk of custodial abuse and arbitrary detention. This undermines individual rights and violates protection against misuse of power and

constitutional right to life, dignity and liberty. Moreover, Sir, the systematic misuse of legal provisions like UAPA and changes in custody laws compromises the right to a fair trial that has been provided in Article 22. Further, criminalisation of 'Resisting, refusing, ignoring, or disregarding to conform to any direction given by a police officer', infringes on the right against self-incrimination. Journalist Sidheeq Kappan was arrested for reporting on the rape of a *Dalit* woman in Hathras, Uttar Pradesh! He remained in custody for two years! Father Stan Swamy died in judicial custody. At the old age of 83, he was denied access to basic necessities like straw and sipper! These are just a few examples. There are hundreds more struggling for their rights. Sir, 200 journalists were targeted by the Government agencies, non-State political actors, criminals, and armed opposition groups in 2022. Of these, 100 journalists were under Government Officials' radar. Thus, this really makes me wonder, what is the state of liberty in our country? Is this the concept of liberty that the Constituent Assembly had thought of? Is this the freedom that India was supposed to get at the stroke of midnight? Thank you.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम संविधान के 75 साल पूरे होने के अवसर पर "Glorious Journey of 75 Years of the Constitution of India" पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे नेता, लोक सभा के एलओपी, श्री राहुल गांधी और यहाँ के एलओपी, श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी ने इसके लिए एक लेटर लिखा था। उनकी माँग पर यह दो दिन की चर्चा लोक सभा और राज्य सभा में हुई। पहले मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ।

सर, मैं पहली बात महिलाओं की करूंगी, क्योंकि सबने बाकी सब बातें की हैं। जब संविधान बन रहा था, उस संविधान सभा में 299 लोग काम कर रहे थे। उनमें से 15 महिलाएँ थीं। वे महिलाएँ कभी भी खुद यह नहीं बोलीं कि हमें आरक्षण चाहिए। उन्होंने उल्टा महिला आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने यह माना कि धीरे-धीरे इस देश में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि देश में महिलाओं की आबादी राजनीति में बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोक सभा में आज की तारीख में सिर्फ 18 परसेंट महिलाएँ हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव्स में सिर्फ 9 परसेंट महिलाएँ हैं, जबकि साउथ अफ्रीका में 45 परसेंट, यूके में 40 परसेंट, यूएसए में 29 परसेंट और जर्मनी में 35 परसेंट महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां महिलाओं का वैसे भी थोड़ा कम पार्टिसिपेशन है। मैं उस महान नेता का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनके विजन से हमारी जैसी लाखों, करोड़ों महिलाएँ राजनीति में आ गईं और वे हैं राजीव गांधी जी। इस देश में राजीव गांधी जी ने पहली बार पंचायत राज का सपना देखा और पंचायत राज बिल के माध्यम से 33 परसेंट महिलाओं को पंचायत में रिजर्वेशन मिला, जिसको बाद में पूरा कर दिया। आज की तारीख में 50 प्रतिशत महिलाएँ राजनीति में आई हैं। अगर उसका श्रेय किसी को जाता है, तो राजीव गांधी जी को जाता है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलेंगे, जैसा कि अभी बताया गया कि हमारे

कॉन्स्टिट्यूशन की longevity सबसे ज्यादा है। जिसका लाइफ स्पैन 75 साल का हुआ है जब कि बाकी के सभी देशों में इसका औसत लाइफ स्पैन 17 से 19 साल है। इससे ज्यादा कहीं टिकी नहीं।

सर, ये जो बोलते हैं कि हम लोगों ने विरोध कर दिया, तो मैं सभागृह के सदस्यों को याद दिलाना चाहूँगी कि 1996 में लोक सभा में पहली बार महिला रिजर्वेशन बिल आया था और देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे। संयोग से उस समय मैं भी लोक सभा की सदस्या थी। उस समय इसका बाकी किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती ने उस रिजर्वेशन बिल के टुकड़े-टुकड़े कर दिये और उसको नहीं होने दिया। मैं यहाँ यह बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ थी। मैंने वहाँ पर इसके बारे में बोला भी था। हमारे भाई बोलते थे, 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'। संस्कृत बोलने में तो उनका कोई हाथ नहीं पकड़ता है, वे संस्कृत में भाषण करते हैं। हमें लगा कि अच्छा है, हमें आरक्षण मिल जाएगा। जब हम सेंट्रल हॉल तक जाते थे, तो हमारे भाई बोलते थे कि आप पागल हो गई हैं क्या, हम हाथ में बेलन थोड़े ही लेंगे! यह उनकी मानसिकता है, यह उनका सही रूप है और यह सही रूप बार-बार यह दर्शाता है कि वे महिलाओं को उनकी उपलब्धि नहीं देते हैं। अगर ऐसा होता तो आरएसएस की प्रमुख आज तक कोई महिला हो जाती, अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख कोई महिला हो जाती, लेकिन नहीं, 'बोलने के दांत अलग और खाने के दांत अलग', यह उनका आचरण है।

सर, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया और हम सब महिलाओं को बताया गया कि अब आपको आरक्षण मिलेगा। आपको आरक्षण विधान सभाओं में मिलेगा, लोक सभा में मिलेगा, राज्य सभा में मिलेगा और विधान परिषद् में मिलेगा। लेकिन, वह कब मिलेगा - 2029 में। इन लोगों ने बीरबल की खिचड़ी पकाने का काम किया है। इन्होंने आरक्षण दिया है और अपनी पीठ भी थपथपाई है, लेकिन जब उसको देने की बात आती है, तो उसको इन्होंने 10 साल के बाद देने का प्रॉमिस किया है, जो मालूम नहीं कब तक होगा।

सर, मुझे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 'संविधान दिवस' मनाने का सिर्फ एक दिखावा कर रही है। सच्चाई यह है कि संविधान पर हमले और संविधान को कमजोर करने की कोशिशें जितनी इन लोगों ने की है, उतनी किसी ने भी नहीं कीं। ये सिर्फ इमरजेंसी का नाम लेते हैं। इमरजेंसी का नाम लेकर ये सारा कुछ हमारे ऊपर डाल देते हैं, लेकिन इमरजेंसी से भी ज्यादा undeclared emergency अगर किसी ने 10 साल लगाई है, तो इन लोगों ने लगाई है, यह मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। आरएसएस की जो विचारधारा है, वह बुनियादी स्तर पर संविधान की विरोधी है। उन्होंने 1993 में अपने श्वेत पत्र में संविधान को कचरे का ढेर बोला था। उन्होंने कहा था कि यह संविधान नहीं, कचरे का ढेर है। उन्होंने संविधान को हिन्दू-विरोधी बताया था और यह भी बताया था कि हमें 'सेकुलर' नहीं चाहिए। उनको 'सेकुलर' शब्द पसंद नहीं है। उनको भारत की संस्कृति के साथ रहने वाली भाषा चाहिए, लेकिन उनका ये सब केवल दिखावा है। वे अभी भी मनुस्मृति लाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी बोला, "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते...", वैसे ही "न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति" कहा गया है। उनको महिलाओं को स्वतंत्रता देनी ही नहीं है, उनको सिर्फ बातें करनी हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मोहन भागवत जी ने भी इसी भावना को दोहराया था और कहा था कि संविधान के जरिये विदेशी कानूनों को थोपा जा रहा है।...(समय की घंटी)... सर, दो मिनट। सन् 2000 में आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख के. सुदर्शन ने भी संविधान बदलने की यही बात की थी।

सन् 2000 में वाजपेयी सरकार ने भी संविधान के प्रमुख पहलुओं को बदलने के लिए NCRWC नामक एक आयोग स्थापित किया था। इस तरह, उनका संविधान से कोई भी नाता जुड़ा नहीं है।

सर, मैंने अभी जो बोला कि यह undeclared emergency है, तो मैं एक-दो मिनट में उसके चंद उदाहरण देना चाहती हूँ कि उन्होंने किस तरह से संविधान पर हमला किया है। उन्होंने चुनावी बॉण्ड की योजना शुरू कर दी, जिसके तहत सभी कॉरपोरेट्स को उनके धन की उगाही करने और भ्रष्टाचार को छिपाने का मौका मिला। जब तक इस योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई थी, तब तक इन्होंने इसके बारे में कुछ डिक्लेयर नहीं किया था। ...(व्यवधान)... न्यायपालिका में जबर्दस्त दखलअंदाजी हो रही है, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों को रोकना भी शामिल है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): रजनी जी, आपने constitutional authority के बारे में जो कहा है, वह रिकॉर्ड में जाएगा या नहीं, उस हिसाब से मैं देख लूँगा और उसे चेयरमैन को रेफर कर दूँगा। ...(व्यवधान)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: सर, मैं वही बोल रही हूँ। ...(व्यवधान)... यह constitution का ही मामला है। ...(व्यवधान)... सर, जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, माइनोंरिटीज के ऊपर जो हमले होते हैं, मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, वह पुलिस की कार्रवाई के तहत साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह से हो रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो। वहां जो बुलडोजर राज हो रहा है, उसके लिए भी हम ...(समय की घंटी)... ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: आप नियम का पालन कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : भाई, मैं नियम का ही पालन कर रही हूँ। ...(व्यवधान)... सर, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी वॉशिंग मशीन दी है। जब हम छोटे थे, तब हम गुजरात के निरमा वॉशिंग पाउडर की ऐड "वाशिंग पाउडर निरमा" देखते थे, अब यह बीजेपी का नया वॉशिंग पाउडर गुजरात से ही आया है। वॉशिंग मशीन, जिसमें हमारे कांग्रेस के वे लोग, जिन पर उन्होंने 30,000, 40,000 और 50,000 करोड़ के आरोप लगाए, उन सबको ये उस मशीन में डालते हैं और जब वे उससे बाहर आते हैं, तो वे शुद्ध हो जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे यहां पर भी बैठे हैं। ...(समय की घंटी)... सर, आरएसएस की जो प्रमुख पत्रिका 'ऑर्गेनाइजर' है... ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Next speaker is Shri Rwngrwa Narzary. Hon. Member to speak in Bodo language.

श्री रवंगवरा नारजारी (असम): महोदय, मैं बोडो में बोलना चाहूंगा हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं पहली बार अपनी मातृभाषा बोडो में बोलने जा रहा हूँ। & "Respected Chairperson Sir, the

& English translation of the original speech delivered in Bodo.

discussion on the 75 years' journey of the Indian Constitution is going on since yesterday. I thank you for giving me the opportunity to take part in this discussion. Sir, I thank all the members of the Constituent Assembly who worked on making our Indian Constitution along Dr. B. R. Ambedkar. I express my respect to them. I would like to inform this House that a person from Assam's Kokrajhar Constituency, Shri Dharini Dhar Basumatary was also one of the members of the Constituent Assembly. He was also given the task of making the Constitution. I feel very proud of it. In the last 75 years, two major political parties got opportunity to work for the country. One is the Congress party and the other one is the BJP. Congress party got 55 years of opportunity to work under this Constitution. And because of this, I could come here as a representative of the tribal community. Our Bodo community has been struggling since last 50 years for our constitutional rights. During that period, from respected late Smt. Indira Gandhi to Dr. Manmohan Singh, we have been submitting numbers of memorandums to the Congress leaders. But we did not get any solution during Congress regime. However, I will thank our former Indian Prime Minister, late Shri Atal Bihari Vajpayee and former Deputy Prime Minister, Shri L. K. Advani. Because of their efforts, Bodo language got opportunity to be included in the 8th Schedule of the Constitution of India. And since then, the solution of problems of the Bodo Community had begun. In 2003, under the leadership of Shri L. K. Advani, Bodo Accord was done within the Sixth Schedule of the Constitution to solve the Bodo problems. Gradually, under the leadership of present Prime Minister of India, Shri Narendra Modi and Home Minister, Shri Amit Shah, another Accord was done in 2020. With this Bodo Accord, the problems of Bodo Community is being solved. Because of this situation, all the members of our Bodo Community has got love, respect and hope towards the hon. Prime Minister, Narendra Modiji. Under the leadership of BJP, the Government of India is working towards the tribal communities.

This Bodo Accord has sent a message that it has brought normal situation among the revolutionary groups in the entire country, including North-East India, that following this Accord, the revolutionaries are contacting the mainstream, coming into agreements and the peace situation has come amongst us. Today, because of this Bodoland Accord, the peace situation has returned to our region. And that is why, at present, our Bodo Community, mother and fathers, all the people in Bodoland region has got the peace and it was possible only because of the leadership of Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah.

I would like to mention in this august House that we have been a community who had struggled for so long. We have been fighting for our political and educational rights. However, the successive Congress Governments did not heed any attention and did not solve the problem. But today, because of our India's pure leader, Shri Narendra Modi, the problem of our Bodo community is being solved one by one. And we are thankful for that. That is why, I want to mention one thing at this point of time that we have a trust that in the coming days, 125th Amendment will be brought in this House and the provisions of the Accord made in 2020 is fulfilled and its problem would be solved immediately. And there was an agreement under this Accord that the Bodo people living in Karbi Anglong would be given the status of ST Hills. I hope this will also be brought in the Parliament and the problem will be solved immediately. That is why, we all are hoping that under the leadership of Narendra Modiji and Home Minister Amit Shahji, all our problems will be solved immediately. By saying this, I end my speech. Thank you."

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): उपसभाध्यक्ष, आपने इस महत्वपूर्ण विषय-भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मान्यवर, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा, तो हिंदुस्तान के सभी वर्गों के बारे में सोचा। सबके अधिकारों के बारे में सोचा, भारत कैसे तरक्की के रास्ते पर जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेकर भारत के संविधान को उन्होंने बनाया। उसमें संविधान की जो मूल आत्मा है, उसको मैं एक-एक करके आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि उनकी मंशा क्या थी, हमारे संविधान की मंशा क्या है? सम्प्रभु राष्ट्र — यानी ऐसा देश, जो किसी दूसरे देश के प्रभाव, सम्प्रभुता से मुक्त है, अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। समाजवादी — समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, जो यह मानती है कि समाज के सभी लोगों तक संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए। धन संपत्ति भी समाज से ही उपजती है, तो उसका बंटवारा भी शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीकों से लोगों के बीच होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद की यह विचारधारा कहती है कि धन, समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर लोगों का मिला-जुला मालिकाना हक होना चाहिए। यह भारत का संविधान कहता है। आज भारत की क्या स्थिति है, मोदी जी के राज में क्या स्थिति है? देश के 5 प्रतिशत लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत संपत्ति है और देश के 50 प्रतिशत लोगों के पास मात्र 3 प्रतिशत संपत्ति है। वर्ष 2012 से लेकर 2021 तक का आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे, तो 40 प्रतिशत संपत्ति 1 प्रतिशत लोगों के पास गई है। यह इनकी समाजवाद की विचारधारा है, यह इनकी बराबरी की सोच है। ये किस तरीके से भारत के अंदर गैर-बराबरी को जन्म दे रहे हैं।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था — ‘जब तक दुखी इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा।’ नारा लगता था- ‘रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिंदुस्तान।’ नारा लगता था- ‘धन और धरती बंट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी।’ लेकिन आज इन्होंने भारत को इस हालत में पहुंचा दिया है कि जहां पर 3 प्रतिशत संपत्ति 50 प्रतिशत लोगों के पास है... और 5 प्रतिशत लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत संपत्ति है। इसके आगे हमारा संविधान सेक्युलरिज्म की बात कहता है। धर्म निरपेक्षता - जिसका आप खुले आम विरोध कर रहे हैं। महोदय, यह कैसी सरकार है? हमारे प्रधान मंत्री जी भारत के संविधान की शपथ लेकर देश के प्रधान मंत्री बने, यहाँ पर बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते हैं। इनको धर्म निरपेक्षता से मतलब नहीं है।

मान्यवर, अगर हमें दर्शन करने होते हैं, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्रीराम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाते हैं, लेकिन जब भाजपाइयों को दर्शन करने होते हैं, तो ये मस्जिद में भगवान के दर्शन करने जाते हैं। ये पूरे देश के अंदर मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं।...(व्यवधान)... इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि घबराइए मत।

श्री उपसभापति: कृपया सीट पर बैठकर मत बोलिए।

श्री संजय सिंह: महोदय, मैं जैसे ही बोलता हूँ, ये टोका-टाकी शुरू कर देते हैं।

श्री उपसभापति: आप बोलिए।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, ये देश में 'भारत खोदो योजना' चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इतना ही खोदना है, तो कल को कोई आकर यह दावा करेगा कि * आप संसद खोद दो। आप यह 'भारत खोदो योजना' बंद कीजिए, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है।

महोदय, आपने शिक्षा के क्षेत्र में देश की क्या हालत की है? यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आपने शिक्षा के स्तर को कहाँ पर पहुँचा दिया है। यहाँ पर क्या-क्या बोला गया है, मैंने खूब सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। महोदय, 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों से दूर कर दिया गया। यह देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है! अगर इसमें किसी राज्य की भागीदारी है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से दूर हुए हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्रालय ने पिछले आठ महीने का जो आंकड़ा लोक सभा में रखा है, उसमें बताया गया है कि 11 लाख में से अकेले 7 लाख, 84 हजार बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर हुए हैं। शिक्षा के नाम पर आप यह कर रहे हैं! आपने देश की शिक्षा की हालत यह कर दी है। महोदय, असम में 63 हजार बच्चे सरकारी स्कूलों से दूर हुए —यह सरकार का आंकड़ा है, मैं

* Not recorded.

अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा हूँ। जब सरकार से पूछा गया कि आप शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं, आप जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो पिछले तीन वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी का .4 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करती है, लेकिन दिल्ली की सरकार, जहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहाँ हम शिक्षा पर बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा खर्च करते हैं।

महोदय, स्वास्थ्य के ऊपर हम दिल्ली के अंदर 13 प्रतिशत खर्च करते हैं, लेकिन हमारे भारत की सरकार, जो अपने आपको कहती है कि मोदी जी की बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी ताकतवर सरकार है, वह मात्र 2 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करती है। यह इस देश की हकीकत है। महोदय, कैसे समानता आएगी, कैसे संविधान में लिखी हुई बातों की सुरक्षा हो पाएगी?

महोदय, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, तो दिल्ली के लोगों ने भी एक राज्य सरकार चुनी, जिसको आप चलने नहीं देते, उस पर बार-बार रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के क्या काम हैं — आपको वे काम जानने बहुत जरूरी हैं। महोदय, एक ऐसी सरकार, जिसने...(व्यवधान)... देखिए, ये टोका-टाकी कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: आप बोलिए, आप क्यों उधर की बात पर चले जाते हैं?

श्री संजय सिंह: महोदय, जब ये लोग बोल रहे थे, तो मैंने चुपचाप सुना था।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए ...(व्यवधान)... आपस में बात मत कीजिए।

श्री संजय सिंह: ऐसी बातें मत करो।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: संजय जी, आपस में बात नहीं करें।...(व्यवधान)... संजय जी, प्लीज आपस में कोई बात नहीं करें।...(व्यवधान)... सभी लोग आपस में बात न करें।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, उन्हें कंट्रोल में लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज आप बैठे रहिए।...(व्यवधान)... आप विषय पर बोलिए।...(व्यवधान)... संजय जी, आप विषय पर बोलिए।...(व्यवधान)... आप विषय पर बोलिए।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: ये भ्रष्टाचार पर बोलेंगे?...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: माननीय संजय सिंह जी, प्लीज एक मिनट रुकिए।...(व्यवधान)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं।...(व्यवधान)... उन्हें अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने जिस वाक्य का इस्तेमाल किया है, वह एक्सपंज होना चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़ आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, मैं दिल्ली के काम बता रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए क्या किया है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप दिल्ली के काम बताइए। ...(व्यवधान)... आपस में टीका-टिप्पणी न करें। ...(व्यवधान)... मेरा सभी से आग्रह है कि आपस में टीका-टिप्पणी न करें। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: दिल्ली की सरकार ने इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए क्या किया है। ...(व्यवधान)... दिल्ली की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने के लिए क्या किया है। ...(व्यवधान)... दिल्ली की सरकार ने बाबा साहेब के लिखे गए एक-एक शब्द को जमीन पर उतारने के लिए क्या किया है। ...(व्यवधान)... हमने दिल्ली के अंदर शिक्षा पर 25 परसेंट खर्च किया, स्वास्थ्य पर 13 परसेंट खर्च किया, दिल्ली में बिजली फ्री दी। ...(व्यवधान)... पूरे देश में पहली सरकार है, जो बिजली फ्री देने का काम करती है। ...(व्यवधान)... दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर दी। ...(व्यवधान)... दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त दिया। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़ सीट पर बैठकर बात न करें। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। ...(व्यवधान)... दिल्ली की सरकार ने माता-बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। ...(व्यवधान)... अगली योजना आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली की महिलाओं के खातों में हर महीने 2,100 रुपये पहुंचाए जाएंगे। ...(व्यवधान)... हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप संविधान से भी जोड़िए। ...(व्यवधान)... संविधान पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: संविधान पर ही बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: संजय जी, हाँ, संविधान पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: मैं संविधान के अंतर्गत एक चुनी हुई सरकार के बारे में बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़। ...(व्यवधान)... संविधान पर चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)... मेरी अपेक्षा होगी कि आप संविधान पर बोलें और आप शांत बैठे रहें। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, दिल्ली में 200 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Constitution. ...(*Interruptions*)...
संजय जी, काँस्टीट्यूशन पर बोलिए।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई, आपने उन्हें नहीं रोका।...(व्यवधान).... हम दिल्ली में चुनी हुई सरकार के बारे में बता रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: हम सब से आग्रह कर रहे हैं कि अपने विषय पर बोलिए।...(व्यवधान).... आपसे भी कर रहे हैं, उनसे भी किया था।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: जिस राज्य से मैं चुना गया हूँ, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, ...(व्यवधान).... इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है?...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: विषय भारत के संविधान पर चर्चा है।...(व्यवधान).... हम हर सदस्य से अपेक्षा करते हैं कि वे संविधान पर बोलें।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: *

श्री उपसभापति: संजय जी, आप बोलते हैं, प्रोवोक करते हैं।...(व्यवधान).... आप विषय पर बोलिए।...(व्यवधान).... ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगी।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: वे बोल रहे हैं कि जेल क्यों गए?...(व्यवधान).... सर, क्या आप उन्हें रोक रहे हैं?...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप आपस में बात न करें।...(व्यवधान).... आप संविधान पर बोलिए।...(व्यवधान).... प्लीज़ आप माननीय सदस्यों पर इस तरह की टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान).... एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणी करना, ये चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगी।...(व्यवधान).... आप विषय पर बोलिए।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, आप ही का चेहरा दिख रहा है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, मेरा नहीं, आपका ही चेहरा दिख रहा है।...(व्यवधान).... आप बोलिए।

* Not recorded.

श्री संजय सिंह: *

श्री उपसभापति: संजय जी, प्लीज विषय पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आपको मालूम है कि जो आप विषय पर बोलेंगे, वही चीज़ रिकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**... माननीय सदस्यो, प्लीज़ आपस में बात न करें। ...**(व्यवधान)**... जोशी जी, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... संजय जी, आप विषय पर बोलें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, वह सरकार संविधान के तहत चुनी गई है। संघीय ढांचे का जिक्र संविधान के अंदर किया गया है। आप उसको क्यों नहीं मानते हैं? आप दिल्ली की सरकार क्यों नहीं चलने देते हैं? आप हमारे सारे कामों पर रोक क्यों लगाते हैं? ...**(व्यवधान)**... आपने देश की सबसे बेहतरीन काम करने वाली सरकार, एक ऐसी सरकार कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, तब मोदी जी ने पूरे देश का हवाला दिया, गुजरात का स्कूल देख लो, मध्य प्रदेश का स्कूल देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो, लेकिन उसने कहा कि मुझे केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया है, वह स्कूल देखना है। ...**(व्यवधान)**... यह काम हमने किया है। आज दिल्ली के स्कूल मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ...**(व्यवधान)**... अस्पताल के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ...**(व्यवधान)**... ये सरकार के मंत्री हैं ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, यह हमारा टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... चुनाव को भारत के संविधान का एक बड़ा पर्व माना जाता है। संविधान ने हमें ताकत दी है कि अपने हिसाब से विधायक चुनिए, अपने हिसाब से सांसद चुनिए और वही मंत्री, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री बनते हैं। सर, दिल्ली में यह लोग कैसे चुनाव कर रहे हैं? ये महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... वह कैसे करना चाहते हैं? ...**(व्यवधान)**... सर, ध्यान से सुनिएगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंह: मैं दिल्ली के अंदर चुनाव घोटाले की रिपोर्ट लेकर आया हूं। यह रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। मान्यवर, दिल्ली में जो चुनाव कराए जा रहे हैं, उसे ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट्स कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी दी। ...**(व्यवधान)**...

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... संजय जी ...*(व्यवधान)*...

श्री संजय सिंह: तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने की अर्जी दी। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप संविधान पर बोलिए, वही बातें रिकॉर्ड पर जाएंगी ...*(व्यवधान)*... आप संविधान पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*... आप संविधान पर बोलिए। ...*(व्यवधान)*... प्लीज, आप बैठिए ...*(व्यवधान)*...

श्री संजय सिंह: सर, क्या चुनाव के बारे में बोलना गलत है? ...*(व्यवधान)*... क्या संविधान के अंतर्गत चुनाव नहीं होता है? ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री संजय सिंह: सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन संविधान ने दिया है। ...*(व्यवधान)*... सर, तुगलकाबाद में एक बूथ है, बूथ नम्बर 117, वहां कुल 1,337 वोट्स हैं, उनमें से 554 वोट्स कटवाने की अर्जी दो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दी है। ...*(व्यवधान)*... पालम में भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं ने 1,641 वोट्स कटवाने की अर्जी दी है। ...*(व्यवधान)*... सर, राजौरी गार्डन में ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: माननीय संजय जी, आप इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। ...*(व्यवधान)*...

श्री संजय सिंह: सर, चुनाव का अधिकार संविधान ने दिया है। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप उनको ऑथेंटिकेट करके यहां देंगे। ...*(व्यवधान)*...

श्री संजय सिंह: सर, क्या हम चुनाव के घपले पर नहीं बोलेंगे? ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: आप इसको ऑथेंटिकेट करके देंगे। ...*(व्यवधान)*...

श्री संजय सिंह: जी हां, सर। मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। ...*(व्यवधान)*... Sir, I will authenticate it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंह: सर, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा ...(व्यवधान)... सर, हरि नगर में ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, हरि नगर में भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट्स कटवाने का आवेदन दिया। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट्स कटवाने की अर्जी दी। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Leader of the House बोलना चाहते हैं। ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंह: मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति ने 534 वोट्स ...(व्यवधान)... मैं yield नहीं कर रहा हूं। Sir, I am not yielding. ...(*Interruptions*)... Sir, I am not yielding. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Leader of the House. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंह: सर, क्या आप ऐसे अलाउ करेंगे? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: हम आपको समय देंगे। Now, Leader of the House. ...(*Interruptions*)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान ने यह ताकत दी है। वे वोटर्स लिस्ट में से वोट्स कटवाने के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, वह प्रोविज़न भी संविधान के अंतर्गत ही है। ...(व्यवधान)... उसमें देखने वाली बात यह है कि यह इतने दिन तक सत्ता में कहीं रोहिंग्या और बंगलादेशियों के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे।

4.00 P.M.

श्री उपसभापति: माननीय संजय जी।

श्री संजय सिंह: सर, लीडर ऑफ़ द हाउस ने आज इतनी शानदार बात की है, मैं इनका नमन करता हूं। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं, जिनके नाम काटे जा रहे हैं, वे रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के भाई, जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून-पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप बैठें। ...(व्यवधान)... आप आगे बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: मैं नाम पढ़ रहा हूँ। ...(व्यवधान)... राम सिंह वसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... आप सब बैठिए। ...(व्यवधान)... बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: राम वसंत विहार में रहते हैं। ...(व्यवधान)... मुझे पता है, मैं इसको सदन के पटल पर रखूंगा। ...(व्यवधान)... ये हिंदू लोग हैं। ...(व्यवधान)... हिंदू लोग हैं ...(व्यवधान)... इनका नाम राम है ...(व्यवधान)... इनका नाम राम है ...(व्यवधान)... इनका नाम राम है, राम। ...(व्यवधान)... इनका नाम राम है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप बैठें। ...(व्यवधान)... आप बैठें। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: छोटे लाल वर्मा, अंबेडकर नगर बस्ती, आर.के. पुरम, दिल्ली, इनका नाम कटवाया गया। ...(व्यवधान)... सोनिया, अंबेडकर नगर बस्ती, आर.के. पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। ...(व्यवधान)... संतोष कुमार, अंबेडकर नगर बस्ती, आर.के. पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। ...(व्यवधान)... आशा, अंबेडकर नगर बस्ती, आर.के. पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। ...(व्यवधान)... गीता, हरकेश, सुशील कुमार, नरेंद्र, सुमन, मैं ये सारे नाम लेकर आया हूँ। ...(व्यवधान)... ये हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, ये दिल्ली में 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ...(व्यवधान)... ये बांग्लादेशी नहीं हैं, ये रोहिंग्या नहीं हैं। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। आप देखना, पूर्वांचल के लोग दिल्ली के चुनाव में आपकी जमानतें जब्त कराएंगे। ...(व्यवधान)... सर, आप भी देख रहे हैं, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए। ...(व्यवधान)... आप ही बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, आपको मैंने नाम पढ़ कर बता दिया। ...(व्यवधान)... यह लिस्ट मैं यहां रखूंगा। ...(व्यवधान)... मैं चाहता हूँ, आपने इसको authenticate करने के लिए कहा है, मैं ये नाम दूंगा। ...(व्यवधान)... इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए कि कैसे इन लोगों के नाम कटवाने की अर्जी दी जा रही है। ...(व्यवधान)... दिल्ली में यह चाल नहीं चलेगी। ...(व्यवधान)... याद रखना, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहां पर बैठी है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप संविधान पर बोलिए। ...(व्यवधान)... आप इससे आगे बढ़िए, संविधान पर आइए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, मैं संविधान पर बोल रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... ये चुनाव ही गड़बड़ कर देंगे। ...**(व्यवधान)**... सर, चुनाव ही गड़बड़ करेंगे, तो संविधान कहां से बचेगा! ...**(व्यवधान)**... ये लोग चुनाव ही निपटाने पर लगे हुए हैं। ...**(व्यवधान)**...

दूसरी बात दलितों के अधिकार की हुई। ...**(व्यवधान)**... सर, बांग्लादेशी घुसपैठिया ...**(व्यवधान)**... सर, पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? ...**(व्यवधान)**... क्या यहां पर ट्रंप की सरकार है? यहां 10 साल से किसकी सरकार है? ...**(व्यवधान)**... नरेन्द्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? त्रिपुरा से लगती है, असम से लगती है, पश्चिमी बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, असम से, झारखंड पार करके, उत्तर प्रदेश पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया! ...**(व्यवधान)**... क्या आप लोग घास छील रहे थे? ...**(व्यवधान)**... क्या आपकी सरकार घास छील रही थी? ...**(व्यवधान)**... बांग्लादेशी यहां पर कैसे आ गए? ...**(व्यवधान)**... 10 साल में ...**(व्यवधान)**... 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली से भगाया हो, तो उनका नाम बता दीजिए। ...**(व्यवधान)**... 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली से भगाया हो, तो उनका नाम बताइए न! राजनीति क्यों करते हो? *

श्री उपसभापति: आप विषय पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आप प्रधान मंत्री पर नहीं बोलिए। ...**(व्यवधान)**... Please speak on the subject. वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...**(व्यवधान)**... It will not go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंह: भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप संविधान पर बोलिए। वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: आप हमें ज्ञान बता रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... हमें ज्ञान बता रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके, झारखंड की बिजली ...**(व्यवधान)**... सर, आप भी आ गए। मैं तो गायब हो जाता हूँ। ...**(व्यवधान)**... सर, झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अदाणी बांग्लादेश को पहुँचाता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप इस आरोप को authenticate कीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: सर, मैं इसको भी authenticate करूँगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: हाँ, आप इसको authenticate कीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

* Not recorded.

श्री संजय सिंह: सर, आप जितना बोलेंगे, मैं सब हाजिर कर दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप जो आरोप लगा रहे हैं, उसको authenticate कीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: हाँ, सर। मैं एकदम करूँगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। ...**(व्यवधान)**... आपके लड़के क्रतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे और यहाँ आप मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करेंगे। ...**(व्यवधान)**... मैं इन लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... आप दिल्ली चुनाव में आ रहे हैं, तो शान्ति से आना, एकदम शान्ति से आना। यहाँ पर अगर गंदी राजनीति की, हिन्दू-मुसलमान किया, तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है कि जब आप कहेंगे - हिन्दू-मुसलमान, तो वे कहेंगे — स्कूल-अस्पताल। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ...**(व्यवधान)**... दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर लड़िए। ...**(व्यवधान)**... चुनाव का घोटाला मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप तीन बार से चुनाव हार रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे। ...**(व्यवधान)**... इससे काम नहीं चलेगा। ...**(व्यवधान)**... सर, हम काम की बात करते हैं। ...**(व्यवधान)**... यहाँ पर दलितों के अधिकारों की बात हुई। ...**(व्यवधान)**... दलितों के अधिकारों की बात हुई। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, ST, SC, OBC — ये तीन categories हैं। ...**(व्यवधान)**... ST, SC, OBC — इन तीन categories में भारत सरकार के अन्दर Joint Secretary के level पर और Secretary के level पर 322 अधिकारी हैं। यह सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उनमें दलित, SC category के, अनुसूचित जाति के 16, ST के 13, OBC के 39 और 254 General castes के लोग हैं। यह आपका दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति न्याय है। यह आप उनके साथ न्याय कर रहे हैं! Lateral entry के जरिए आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खा रहे हैं। आज IAS की नौकरी में बहुत सारे बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं, जिनको इन्होंने creamy layer के नाम पर IAS, PCS, IFS बनने से वंचित कर दिया। यह इनका इतिहास है। ऐसा ये दलितों के साथ कर रहे हैं। ये उनको मन्दिरों में घुसने नहीं देते। यह इनकी मानसिकता है। ...**(व्यवधान)**... यह इनकी मानसिकता है। ...**(व्यवधान)**... इन्होंने अयोध्या में मन्दिर का शिलान्यास किया। ...**(व्यवधान)**... उस समय हमारे प्रधान मंत्री गए, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री गए, राज्यपाल भी गई, मगर उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इन्होंने नहीं बुलाया। ...**(व्यवधान)**... मन्दिर के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वे दलित समाज से थे, ये आदिवासी समाज से हैं। यह आपकी मानसिकता है। ...**(व्यवधान)**... आरएसएस को 100 वर्ष हो गए, लेकिन एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना, इसका जवाब दीजिए? ...**(व्यवधान)**... इसका

जवाब दीजिए। आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से नफरत करते हैं। ...**(व्यवधान)**... यह आपकी मानसिकता है। ...**(व्यवधान)**...

सर, मैं आगे Constitution पढ़ता हूँ कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें आगे लिखा हुआ है — Democratic, लोकतांत्रिक भारत देश की जनता वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। सभी के वोटों का महत्व बराबर है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। ...**(व्यवधान)**... जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। उनके चुने जाने के बाद सरकार बनती है और आप लोग खरीद-फरोख्त करके संविधान को तार-तार करके लोकतंत्र का गला घोट कर महाराष्ट्र में सरकार गिराते हैं, कर्नाटक में सरकार गिराते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हैं, उत्तरांचल में सरकार गिराते हैं, अरुणाचल में सरकार गिराते हैं। ...**(व्यवधान)**... पूरे देश में तोड़-फोड़, खरीद-फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सोच रहे हैं कि इनसे डर कर चुपचाप बैठ जाएँगे। ...**(व्यवधान)**... ये सोच रहे हैं कि हम इनसे डर कर चुपचाप बैठ जाएँगे। ...**(व्यवधान)**... एक बात याद रखना, यह देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, किसी ...**(व्यवधान)**... आप इसको याद रखना। ...**(व्यवधान)**... तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, सीबीआई से है। ...**(व्यवधान)**... यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहाँ ईडी गठबंधन है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार की बात करूँगा। ...**(व्यवधान)**... * हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप प्रधान मंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: * ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपकी ये सब बातें रिकॉर्ड पर नहीं जाएँगी। ...**(व्यवधान)**.. Please speak on the subject ...**(Interruptions)**.. आप माननीय प्रधान मंत्री जी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... संवैधानिक नियमों के अनुसार आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. ...**(Interruptions)**...

श्री संजय सिंह: सर, हमारा समय बचा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप सब्जेक्ट पर बोलें। ...**(व्यवधान)**...

* Not recorded.

श्री संजय सिंह: सर, मैं सब्जेक्ट पर बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपकी ये टिप्पणियाँ रिकॉर्ड पर नहीं जाएँगी। ...(व्यवधान)... कृपया आप विषय पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मैं न्याय की बात करता हूँ। भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। ...(व्यवधान)... सर, क्या ये भारत के लोगों को न्याय दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... क्या ये न्याय कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... क्या ये भारत की जनता को न्याय दे रहे हैं? ...(व्यवधान)... आज चुनी हुई सरकारों को ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़। ...(व्यवधान)... कृपया आप विषय पर बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, वे यहाँ पर नारा लगा रहे हैं और आप इनको रोक नहीं रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं उनको भी बोल रहा हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, वे यहाँ नारा लगा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपने शुरू किया। ...(व्यवधान)... संसदीय परंपरा के अनुसार आप माननीय प्रधान मंत्री जी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ...(व्यवधान)... कृपया आप विषय पर बोलिए। संविधान पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: उतना ही काम करें, जिनता ठीक लगे। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कृपया आप इधर देख कर बोलें। ...(व्यवधान)... आपस में बात न करें। ...(व्यवधान)... संजय जी, प्लीज़, आपस में कोई टिप्पणी न करें। ...(व्यवधान)... आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(व्यवधान)... Please go back to your respective seats. ...(Interruptions)... आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... आप सब पीछे जाएँ। ...(व्यवधान)... कृपया आप लोग पीछे जाइए। ...(व्यवधान)... नागर जी, प्लीज़। ...(व्यवधान)... कृपया आप पीछे जाइए। ...(व्यवधान)... आप विषय पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, इनको चुप कराइए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपने प्रधान मंत्री जी पर जो भी टिप्पणी की है और जो भी नारे लगाए गए हैं, वे सब रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगे।...(व्यवधान)... कृपया आप बोलिए।...(व्यवधान)... आपका समय खत्म हो रहा है।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, दिल्ली के अंदर कानून-व्यवस्था की क्या हालत है? कल हमने दिल्ली में महिला अदालत का आयोजन किया था।...(व्यवधान)... आज देश की राजधानी दिल्ली अपराधों से सहमी हुई है, परेशान है।...(व्यवधान)... सर, आज क्या हालत है?...(व्यवधान)... 2019 से दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।...(व्यवधान)... दिल्ली में एक साल के अंदर 14,000 महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बलात्कार का अपराध हुआ है।...(व्यवधान)... दिल्ली के अंदर हर दिन तीन से चार रेप की घटनाएँ हो रही हैं।...(व्यवधान)... 2019 से 3,500 रेप की घटनाएँ हुई हैं।...(व्यवधान)... दिल्ली में प्रति दिन पाँच से छः महिलाओं को assault किया जाता है।...(व्यवधान)... सर, ये आंकड़े हैं।...(व्यवधान)... दिल्ली में प्रतिदिन 11 महिलाएं और बच्चियां किडनैपिंग की शिकार होती हैं।...(व्यवधान)... यह दिल्ली की हकीकत है।...(व्यवधान)... देश के 19 शहरों के मुकाबले देश की राजधानी में 33 प्रतिशत रेप की घटनाओं में और 41 प्रतिशत किडनैपिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई है।...(व्यवधान)... दिल्ली के अंदर...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप ये सारे रिकॉर्ड यहां रख दीजिएगा।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, मैं रख दूंगा।...(व्यवधान)... सर, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के कोर्ट में हत्या की घटना हुई।...(व्यवधान)...सर, जज के सामने हत्या की घटना हुई।...(व्यवधान)...आप बताइए, दिल्ली में...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप लोग कृपया नारे न लगाएँ।...(व्यवधान)...आपके नारे रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगे।...(व्यवधान)...प्लीज़।...(व्यवधान)... आप कृपया नारे न लगाएं।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, दिल्ली के अंदर कोर्ट में हत्या हुई।...(व्यवधान)... देश की राजधानी में राष्ट्रपति रहती हैं, प्रधान मंत्री रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, ये सारे लोग रहते हैं।...(व्यवधान)...सर, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वह आ रहा है, आप बोलिए।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, ये सारे लोग देश की राजधानी में रहते हैं और इस देश की राजधानी की अदालत में हत्या हो रही है।...(व्यवधान)... इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अंत में एक बात कहकर यह अनुरोध करना चाहता हूँ।...(व्यवधान)... आज जब मैं यहां आ रहा था तो काशी, लंका में रेहड़ी-पटरी वालों की दुकानें तोड़ी जा रही थीं, गरीबों को उजाड़ा जा रहा था।...(व्यवधान)... सर, हम लोग जिस राजधानी दिल्ली में रहते हैं, वहां झुग्गी बस्तियों को तोड़ा गया, झुग्गी बस्तियों

को उजाड़ा गया और हर साल का आंकड़ा है, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मेरा आग्रह है कि आप सब अपनी सीट्स पर जाएँ। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, बशीर बद्र की एक लाइन है। ...(समय की घंटी)... मैं बस खत्म कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)...सर, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। ...(व्यवधान)... सर, स्क्रीन पर फिर आप ही का चेहरा आ रहा है। ...(व्यवधान)... दिल्ली में गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। ...(व्यवधान)...सर, मैं बशीर बद्र की एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा:

*"लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।"*

लोगों को उजाड़ना बंद करो। ...(व्यवधान)... तुमने अयोध्या में उजाड़ा, तुमने काशी में उजाड़ा, तुमने दिल्ली में उजाड़ा। ...(व्यवधान)... इस बुलडोजर राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। ...(व्यवधान)... ये नारेबाजी करके ...(व्यवधान)...बहुत-बहुत धन्यवाद, मान्यवर।
...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: माननीय Leader of the House. ...(व्यवधान)... आप एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी न करें और इस तरह के नारे न लगाएं। ...(व्यवधान)... आपस में बातें न करें।
...(व्यवधान)...प्लीज़। ...(व्यवधान)... माननीय Leader of the House, आप कुछ बोलने वाले थे।
...(व्यवधान)... माननीय Leader of the House.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सर, मैं तीन बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, संजय सिंह जी ने जो बात कही कि फलाने राम, फलाने राम, फलाने राम -- संविधान में किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन में किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का पूरा अधिकार है। उस ऑब्जेक्शन में रीजन देना होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है, तो उसके साथ उन्होंने रीजन भी दिया है। वह चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बंगलादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वे सब उसमें आते हैं, इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।
...(व्यवधान)...एक मिनट। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप प्लीज़ बैठिए। ...(व्यवधान)... मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप प्लीज़ बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... आपस में यह गला फाड़ प्रतियोगिता न करें, प्लीज़ बैठें।
...(व्यवधान)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सर, इसको संविधान के नजरिये से देखने की आवश्यकता है और आज हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह

कि आपने कहा कि सरकारें गिरा दीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार चुनकर आ गए। हम उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार आ गए। आपने महाराष्ट्र के बारे में कहा कि वहां खरीद-फरोख्त हुई, तो मैं बता दूँ कि महाराष्ट्र ने भारतीय जनता पार्टी को landslide victory दी। राउत साहब, लैंड स्लाइड विक्टरी मिली। आप तो उस दिन बोल रहे थे कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ।...(व्यवधान)... हम अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार चुनकर आ गए। गोवा में भी हम लगातार तीसरा बार आ गए। हम हैट्रिक बना रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से चुनकर आ रहे हैं। वह समय दूर नहीं कि हम दिल्ली में भी चुनकर आएंगे। मैं संजय जी से यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भावनाएं कभी भी सीमा को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आपने इस सदन की डिबेट का जहां-जहां स्तर नीचा किया है। माननीय उपसभापति जी, आप रिकॉर्ड देख कर उनको expunge करने की कृपा करेंगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री उपसभापति: वह देखा जाएगा।...(व्यवधान)... माननीय भूपेन्द्र यादव जी, आपने बीच में संकेत दिया था।...(व्यवधान)... आप बोल चुके हैं, प्लीज़।...(व्यवधान)... माननीय भूपेन्द्र यादव जी।

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, नियम 238 है, उसके दो बिंदु हैं। नियम 238 का एक यह है कि ऐसा कोई तथ्यात्मक विषय है, जिसमें न्यायी विषय विचाराधीन है। इलेक्शन कमीशन Quasi-Judicial Authority के रूप में काम करता है। आपको अगर ऑब्जेक्शन है, तो वहां decision के लिए फैक्ट पर विषय पेंडिंग है। ऐसे तथ्यात्मक विषय का यहां उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही गए हैं। इलेक्शन कमीशन का Quasi-Judicial decision है, आप यहां उसकी चर्चा नहीं कर सकते।

दूसरा, रूल 238 का 4 है। राज्य सभा के किसी निश्चय पर हम जो भी मोशन लेकर आते हैं, उसे रद्द करने का प्रस्ताव के अतिरिक्त आक्षेप नहीं करेगा। आप संविधान के अतिरिक्त जो भी बोल रहे हैं, वह गलत बोल रहे हैं। नियमों के तहत आप उसको हटा दीजिए।

श्री उपसभापति: माननीय संदोष कुमार पी।...(व्यवधान)... संजय जी, आप बोल चुके हैं।...(व्यवधान)... माननीय संदोष कुमार पी, आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी।...(व्यवधान)... संजय जी, आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: जो व्यक्ति 40 साल से एक जगह पर रहा है, क्या उसका...

श्री उपसभापति: संजय जी, अब इस पर बहस नहीं होगी।...(व्यवधान)... माननीय संदोष कुमार पी, आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी।

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity. The Constitution of India is the finest by-product of our freedom struggle. I salute the brave memory of thousands of our freedom fighters; I salute the inspiring memory of our Constitution-makers on this special occasion. My

party, the Communist Party of India, significantly contributed to the freedom movement, actively took part in the Constituent Assembly debates, and, in Independent India, my Party was in the forefront to support almost all progressive legislations. To name a few, we were the first to support the abolition of privy purses. We supported the 73rd and 74th Amendments. We supported the lowering of voting age from 21 to 18. We were the first political party to support the anti-defection law, and we supported the Right to Education Bill also. When we talk about the 'Golden Journey of our Constitution', we are also part of the same, and I am very proud to state that we are also part of it.

Sir, my Party stands for reservation in private sector. My Party stands for caste census. My Party stands for thorough electoral reforms, and we stand for reintroduction of the ballot system also. We have to implement the very idea of fraternity and liberty in all spheres of life. Of course, during these 75 years, we were also victims of the misuse of Constitution. I have no hesitation in stating that the Communists in Kerala were victims of the imposition of President's Rule in 1959. Article 356 was misused. We were the supporters of Emergency, but later on, we realised our mistake. Emergency was a black chapter in India's history. Sir, having said all this, I would like to say that I heard the speech of the Prime Minister; I heard the speech of almost all Ministers. ...(*Time-bell rings.*)... Sir, let me speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SANDOSH KUMAR P: The point is that when the Constituent Assembly was in function, the RSS was acting as an anti-Constituent Assembly. So, through you, Sir, I would like to ask the Members who still believe in the RSS: Do they support the position of the RSS on the Constitution? It was K. S. Sudarshan, in the year 2000...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, please let me to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. I have to call other names. ...(*Interruptions*)...

SHRI SANDOSH KUMAR P: It was the RSS Chief who openly said, 'throw away the Constitution of India. ...(*Interruptions*)... I am authenticating. I ask them: Do they still...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Three minutes are already over.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, are they still supporting the position? It was stated by the RSS that tricolour is an ill omen. Do they still support that?...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Chandrakant Handore; three minutes. ...*(Interruptions)*... Mr. Chandrakant Handore - not present. Shri Mohammed Nadimul Haque; three minutes. श्री मोहम्मद नदीमुल हक, आप उर्दू में बोलेंगे।

श्री मोहम्मद नदीमुल हक (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे इस ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: माननीय शक्ति सिंह जी, आपको बाद में बुलाएंगे। हमने दो बार नाम लिया था, लेकिन चंद्रकांत जी आप खड़े नहीं हुए।

श्री मोहम्मद नदीमुल: सर, मुझे इस विषय पर बोलने के लिए अलाउ करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर,

“यह तर्जें खास है, कोई कहां से लाएगा,
जो हम कहेंगे, किसी से कहा न जाएगा।”

सर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 13 मेम्बरान राज्य सभा में मौजूद हैं। हममें से हरेक ने प्रिएम्बल में से एक लफ्ज मुन्तखब किया है। हम मुख्तलिफ़ पसमंजर, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी, मुख्तलिफ़ मजहब, मुख्तलिफ़ अकायद से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। मेरे साथियों ने sovereignty, socialism, democracy, justice, liberty, equality and fraternity के मौजूआत पर इज़हार-ए-ख्याल किया है। आज मैं secularism पर बात करूंगा और जैसाकि मैंने अभी जिक्र किया working secularism की शानदार मिसाल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की टीम से झलकती है। आज की बहस कांस्टीट्यूशन के 75 साल मुकम्मल होने पर है और शायद इन बरसों में कांस्टीट्यूशन पर इतना मुनज्जम और मंसूबा बंद हमला कभी नहीं हुआ है। कांस्टीट्यूशन में जिस लफ्ज पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है, वह सेकुलरिज्म है। सर, अब सीएए की बात करते हैं। मरकज़ी हुकूमत के सीएए के मुतारिफ़ कराना इस बात की वाजेह मिसाल है कि किस तरह अकल्लियतों को कमजोर किया जा रहा है। सीएए और एनआरसी को मिलाकर नाफिज किया जाए, तो इसका नतीजा लाखों शहरियों की शहरियत छीनने की सूरत में निकल सकता है। असम में यह तर्जुबा पहले ही हो चुका है। जहां सात फीसद लोग इसकी ज़द में आ गए और अगर पूरे मुल्क में लागू कर दिया जाए, तो 10 करोड़ से ज़ायद शहरी बेरियासत हो सकते हैं। सर, मेरा बीजेपी से सवाल है कि वह secularism की हिफाज़त के लिए क्या कर रही

ہے؟ بیجیپی کے سینیئر رہنما اکसर نफरत भरे बयानात देते हैं। यह सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर तक पहुंच चुका है। अगर अकल्लियतों के किसी नुमाइंद को पार्लियामेंट में डराया, धमकाया जा सकता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे मुल्क के शहरों और देहातों में क्या हालात होंगे? इस साल हिंदुस्तान में नफरत के वाक्यातों में 60 परसेंट इजाफा हुआ है और 75 फीसदी ऐसे वाक्यात, बीजपी के ज़ेर-ए-हुकूमत रियासतों, जैसे असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं, उनमें हुए हैं। ... (व्यवधान)... सर, ये सभी सवालात सिर्फ हमारी कांस्टीट्यूशनल वैल्यूज की तहफफुज के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के सेक्युलर किरदार को बचाने के लिए भी उठाए जा रहे हैं। (समय की घंटी)...

†جناب ندیم الحق مغربی بنگال: (سر، مجھے اس موضوع پر بولنے کے لیے الاؤ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ۷

سر یہ طرز خاص ہے کوئی کہاں سے لائے گا
جو ہم کہیں گے کسی سے کہا نہ جائے گا۔

سر آل انڈیا ترنمول کانگریس کے 13 ممبران راجیہ سبھا میں موجود ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے پریمل میں سے ایک لفظ منتخب کیا ہے۔ ہم مختلف پس منظر، مختلف کمیونٹی، مختلف مذاہب، مختلف عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ہم سب پہلے ہندستانی ہیں، انڈین ہیں۔ میرے ساتھیوں نے sovereignty, socialism, democracy, justice, liberty, equality and fraternity کے موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ آج میں سیکولرزم پر بات کرونگا اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ورکنگ سیکولرزم کی شاندار مثال آل انڈیا ترنمول کانگریس کی ٹیم سے جھلکتی ہے۔ آج کی بحث کانسٹی ٹیوشن کے 75 سال مکمل ہونے پر ہے اور شاید ان برسوں میں کانسٹی ٹیوشن پر اتنا منظم اور منصوبہ بند حملہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ کانسٹی ٹیوشن میں جس لفظ پر سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے، وہ سیکولرزم ہے۔ سر، سی اے اے کی بات کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت کے سی اے اے کے متعارف کرانا اس بات کی واضح مثال ہے کہ کس طرح اقلیتوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ سی اے اے اور این آر سی کو ملا کر نافذ کیا جائے، تو اس کا نتیجہ لاکھوں شہریوں کی شہریت چھیننے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ آسام میں یہ تجربہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ جہاں سات فیصد لوگ اس کی زد میں آگئے اور اگر پورے ملک میں لگو کر دیا جائے، تو دس کروڑ سے زیادہ شہری بے ریاست ہوسکتے ہیں۔ سر، میرا بی جے پی سے سوال ہے کہ سیکولرزم کی حفاظت کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بی جے پی سے سوال ہے کہ وہ سیکولرزم کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بی جے پی کے سینئر رہنما اکثر نفرت بھرے بیانات دیتے ہیں۔ یہ سر الیکشن تک محدود نہیں، بلکہ پارلیمنٹ کے فلور تک پہنچ چکا ہے۔ اگر اقلیتوں کے کسی نمائندے کو پارلیمنٹ میں ڈرایا، دھمکایا جاسکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے شہروں اور دیہاتوں میں کیا حالات ہونگے؟

اس سال ہندستان میں 60 نفرت کے واقعات میں فیصد اضافہ ہو رہا ہے اور فیصد ایسے واقعات، بی جے پی کے زیر حکومت ریاستوں میں ہیں، جیسے آسام گجرات، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش ہیں۔ (مداخلت)۔ سر، یہ سبھی سوالات صرت ہماری کانسٹی ٹیوشنل ویلیوز کے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ ہندستان کے سیکولر کردار کو بچانے کے بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ (وقت کی گھنٹی)۔

श्री उपसभापति: प्लीज़ कंकलूड कीजिए।

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: महोदय, सेक्युलरिज्म वह बुनियाद है, जो हमें मुत्तहिद लगती है। आइए, हम सभी मिलकर इसका तहफफुज करें।

'जिन चिरागों से तहफफुज का धुआँ उठता है

† Transliteration in Urdu script.

उन चिरागों को बुझा दो, तो उजाले हो जाएंगे।

†[†] **اُجُنابِ ندیم الحق** (مغربی بنگال): (مہودے، سیکولرزم وہ بنیاد ہے، جو ہمیں متحد رکھتی ہے۔ اُئیے، ہم سبھی مل کر اس کا تحفظ کریں۔

‘جن چراغوں سے تحفظ کا دھواں اُٹھتا ہے،
ان چراغوں کو بجھا دو، تو اجالے بوجائیں گے۔’

श्री उपसभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय चंद्रकांत हंडोर जी, आपके पास तीन मिनट हैं।

श्री चंद्रकांत हंडोर(महाराष्ट्र): मेरे सात मिनट हैं।

श्री उपसभापति: यहाँ पर तीन मिनट लिखे हुए हैं।

श्री चंद्रकांत हंडोर: उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे संविधान पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। महोदय, संविधान के 75 वर्ष संपन्न होने पर यहाँ जो चर्चा चल रही है, मैं उसके संदर्भ में यह कहना चाहता हूँ कि लोक सभा और राज्य सभा में बहुत बेहतरीन चर्चा चल रही है।

महोदय, यहाँ पर कुछ कटु अनुभव भी सुनने के लिए मिल रहे हैं। मेरी दोनों सदनों के माननीय सदस्यों से विनती होगी कि हम सभी मिलकर अगर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें आपस की कटुता और अन्य सभी बातें बाजू में रखकर सोचना होगा कि इस देश का संविधान कैसे मजबूत हो, हमारी डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हो और भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन देश कैसे बने। इस बात पर हम सभी का एकमत होना चाहिए।

महोदय, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को एक मौका दिया था। उनके दिए अवसर के अंतर्गत ही उन्हें काम करने का मौका मिला और हज़ारों वर्षों से जो जातिवाद था, पिछड़े लोग थे, देश में untouchability थी, उन्हें दूर करने का मौका बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान के माध्यम से मिला।

महोदय, यह संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन और सुंदर संविधान है। इसमें Fundamental Rights से लेकर अन्य सभी बातें हैं। आप देखेंगे कि पूरा देश यहाँ पर बैठा है। आप देखेंगे कि तमिलनाडु से लेकर जम्मू-कश्मीर और नागालैंड से लेकर सौराष्ट्र तक हर स्टेट के लोग, उनकी भाषा, उनका रहन-सहन, उनका खाना-पीना, उनके रीति-रिवाज़ अलग-अलग हैं, फिर भी विविधता में एकता है। यह सारी देन संविधान की है। इस संविधान का प्रचार और प्रसार करने के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करें।

महोदय, मैं 2008 में महाराष्ट्र सरकार में सोशल जस्टिस मंत्रालय विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर था। मैंने वहाँ के तत्कालीन मुख्य मंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख जी से कहा था कि हम संविधान दिवस मनाएंगे। उसके पीछे मेरा यह मकसद था कि संविधान क्या है, लोगों में संविधान के प्रति आस्था रहनी चाहिए और कानून का बारे में सभी लोगों को मालूम होना चाहिए।

† Transliteration in Urdu script.

इसके लिए हमने संविधान दिवस मनाया गया।....(समय की घंटी)... आप देखेंगे कि मोदी साहब बोल रहे थे कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने संविधान समर्थन यात्रा निकाली थी। आप देखेंगे कि हमारे नेता, राहुल गाँधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी।

श्री उपसभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री विक्रमजीत साहनी, आपके पास तीन मिनट हैं।...(व्यवधान)... श्री विक्रमजीत साहनी, आप बोलिए, आपके नाम के सामने तीन मिनट का समय लिखा हुआ है।...(व्यवधान)... आप बोलिए, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY (Punjab): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am sorry to point out that the discussion on the 'Glorious Journey of 75 Years of the Constitution' and giving suggestions thereof was predominantly marked by ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir ...(*Interruptions*)...

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Instead of coming out with suggestions, we have spent more time in accusing each other. The Indian Constitution guarantees Right to Equality irrespective of race, caste, class, religion or gender. But, despite 75 years of Independence, we continue to witness atrocities based on caste and religion, and gender equality enshrined in our Constitution remains elusive. Further, the data reveals that 87 rapes occur every day in India and 49 crimes against women are reported, not to talk about continuation of disparity in pay promotion. As regards social equality enshrined in our Constitution, the top one per cent of the Indian population owns 40 to 50 per cent of country's wealth. I think, we will have to take more initiatives for inclusive growth to reduce poverty and income disparity of the gap between the rich and the poor.

मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। We should take this opportunity to pay gratitude to the entire Sikh community who suffered the most by losing over 10 lakh lives for sake of India during partition. It is a historical fact that the Sikhs were promised special treatment at the time of Constituent Assembly. The Sikhs are Indian not by chance but by choice. As regards the freedom to practise own religion, I would like to remind the House the supreme sacrifice of Shri Guru Tegh Bahadurji for the sake of religious freedom against forced conversions of Kashmiri Pandits. Yet, we have seen, in recent times, that reclaiming religious places of worship is really threatening the spirit of tolerance. I think, it is a futile discussion to rake up the past and we should respect the Places of Worship Act, 1991, which mandates maintaining status quo as on August 15, 1947.

मैं यह बताना चाहूँगा कि यह रायसीना हिल्स, जहाँ पर अभी साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और पार्लियामेंट हाउस है, यह भी कभी गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब की थी, पर यह इतिहास है। आज हमें job, social inequality, poverty को address करना है। Article 243 emphasises empowering Gram Sabhas and Panchayats. Article 245 talks about relation between Union and the States, and co-operative federalism requires synergy between Union and the States. Our Constitution provides a balancing synergy between the Executive, the Legislature and the Judiciary.

If we are discussing the Constitution today, it will be incomplete if the concerns of the last man in the line, that is, our poor farmers, is not addressed expeditiously and there is contentment among farmers as part of social and economic justice. ...(*Time-bell rings.*)...

श्री उपसभापति: माननीय विक्रमजीत सिंह जी, कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: As a preamble, we should address it. Last, Abraham Lincoln said, "Democracy is a government of the people, by the people, for the people." I think, in a lighter vein, I would say it has acquired a new meaning. It is "Off the people, Far the people and Buy the people." Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, जो समय आपके लिए अलॉटेड है, वह मैं नाम पुकारने से पहले बता रहा हूँ। समय मेरे हाथ में नहीं है। समय पहले से तय होता है। समय तय होने का फॉर्मूला आप जानते हैं।

दूसरी बात, काँग्रेस का समय काफी पहले खत्म हो चुका है। चंद्रकांत जी को तीन मिनट अलग से समय दिए गए। उनकी मेडन स्पीच कंसिडर नहीं हुई है, इस कारण उन्हें तीन मिनट का समय मिला है, धन्यवाद। माननीय सदस्य, संजय राउत जी, आपके पास तीन मिनट हैं।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, धन्यवाद। मैं नहीं बोल रहा हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am helpless...(*Interruptions*)... Sanjayji, I am helpless. Please follow the time. मेरे हाथ में नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह समय आप सबने तय किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय राउत: सर, समय कहाँ पर है? आप हमें Glorious Journey of 75 Years of Constitution के विषय पर तीन मिनट में बोलने के लिए बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए, आप बोलिए। आपकी क्षमता है कि आप दो मिनट में भी बोल सकते हैं।

श्री संजय राउत: सर, हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और पाँच मिनट पहले यहाँ[£] के नारे लगाए गए। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि कौन £ है, कौन £ है, लेकिन इस देश के £ भी प्रामाणिक रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी सहयोग रहा है। उस जमाने के £ महाराष्ट्र और चंबल में ब्रिटिश खजाने £ मूवमेंट चलाने के लिए क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी को देते थे, लेकिन वहाँ से न कोई स्वतंत्रता संग्राम में रहा, न किसी लड़ाई में रहा, न वहाँ का माल कभी जनता और देश के लिए... सर, बात यह है कि जब वहाँ से संविधान की बड़ी चिंता हो रही थी, तब मुझे डर लगने लगा था। मैं संविधान के ऊपर आपका प्यार देख रहा था, तो मुझे इतनी चिंता हुई कि आज सचमुच संविधान खतरे में आ रहा है। जब आप लोग कभी किसी के ऊपर ज्यादा चिंता दिखाते हो, प्यार दिखाते हो, तो खतरा बढ़ जाता है। सर, हम 'Glorious Journey of 75 Years of Constitution of India' की बात करते हैं, लेकिन यह ग्लोरियस जर्नी 2014 में खत्म हो गई। ...(व्यवधान)... अगर सचमुच यह 400 पार का नारा सच हो जाता, तो संविधान बदलने में आप लोग पीछे नहीं हटते और आज की डिबेट का विषय होता कि संविधान बदलना क्यों जरूरी है - यह हमारा आज का विषय होता। 'हम भारत के लोग', यह हमारे संविधान की शुरुआत है, लेकिन 10 साल में भारत गायब हो गया और हम मोदी के लोग, हम मोदी के लोग की बात हो रही है। जहां भी जाओ, जो मोदी के लोग हैं, वही बैठेंगे, चाहे संविधान की चेयर हो या कोई और हो, लेकिन भारत गायब हो गया है। हमने प्रधान मंत्री जी का भाषण लोक सभा में सुना, वह रिप्लाय था, जोरदार था और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का बहुत बड़ा एलान किया गया। जीरो टोलरेंस ऑफ करप्शन की बात की गई। मैं तो यह बोल रहा हूँ कि जब आपको भ्रष्टाचार की चिंता होती है, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। ...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री संजय राउत: सर, हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत मीठी वाणी के नेता हैं, लेकिन वाणी की मिठास अंदर के भेद नहीं खोलती है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री संजय राउत: देखिए, मोर कितना सुंदर दिखता है, कितना सुंदर नृत्य करता है, सुंदर गाता है और मोर को देखकर, सुनकर कौन कह सकता है कि वह सांप भी खाता है। ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: संजय जी, अब कन्क्लूड करें।

[£] Expunged as ordered by the Chair.

श्री संजय राउत: सर, हमारा संविधान अलग-अलग धर्मों और जातियों को, भारत की 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जोड़ता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, प्लीज कन्क्लूड करें। मैं दूसरा नाम बुला रहा हूँ।

श्री संजय राउत: इसीलिए हम हमेशा कहते हैं हम सब 140 करोड़ एक हैं, तो देश सेफ है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय अजीत कुमार भुयान। ...**(व्यवधान)**... Next speaker is Shri Ajit Kumar Bhuyan. ...**(Interruptions)**... I am helpless. ...**(Interruptions)**... Now, Shri Ajit Kumar Bhuyan. You have three minutes' time. मैंने बताया कि समय मेरे हाथ में नहीं है। ...**(व्यवधान)**... श्री अजीत कुमार भुयान।

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, as you all know, I hail from that remote corner of the country, which most of the people of the mainstream India mention as an area inhabited by jungle people. ...**(Interruptions)**...

श्री उपसभापति: माननीय संजय राउत जी, आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। अजीत कुमार भुयान जी, आप बोलिए, नहीं तो आपका समय खत्म हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**...प्लीज़, आप बोलें।

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Sir, I am a citizen of that part of the country, for which no one speaks... ...**(Interruptions)**... Manipur is the latest example. Let me tell this House what Constitution means to us. Geographically, the hicken's Neck in Assam-Bengal border connects us with the mainland but in reality, it is the Constitution, which binds us with this great nation. Constitution for us is a promise of equality, promise to safeguard our cultural and linguistic identity, promise of fair share in resources, etc. It gives us the confidence to be a part of this great nation. Constitution promises to uphold diversity of the country. We felt assured that small nationalities living in the North-East would be allowed to flourish. Constitution promises to uphold diversity and secularism. We felt assured that our unique religious beliefs would not be trampled. Constitution promises federalism. We hope that we would have rights over nation's resources and we would be able to set the path for our future on our own. This is the beauty of the Constitution. The very foundation of

this great nation is this Constitution. But with a heavy heart, I have to say this before the House that in the last one decade, there is an attempt to breach every promise made to us. Our culture, our identity and our very existence is under threat due to actions and inactions of this Government. Manipur is an example. The manner in which the Central Government is allowing the State to rot is nothing but breach of constitutional promise. This Government, in its attempt to impose its ideology of *one nation, one culture*, is trying out on our very roots. CAA is a glaring example of such attempt. An Act was brought to confer citizenship to foreigners by breaking solemn promise made by the Indian State to people of Assam in 1985 through Assam Accord. A State, which was forced to take burden of large number of foreigners entering till 1971, will now take further burden. ...(*Time-bell rings.*)... Two minutes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. Please conclude.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Sir, I am from the North-East. Please don't neglect us. That is what I want to apprise you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are not neglecting. Time is limited. Please conclude.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Let me conclude, Sir. We have been opposing construction of big dams in Arunachal Pradesh. But without consulting people of the State, dams are being constructed. There are so many issues. I would like to say that, but due to paucity of time...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already taken one minute.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: The Chief Minister of Assam has been openly saying that he does not need Muslim votes and support.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri Manan Kumar Mishra. You have seven minutes.

SHRI MANAN KUMAR MISHRA (Bihar): Sir, the basic structure of Indian Constitution is a set of fundamental features that cannot be amended normally by the Parliament. These features include supremacy of Constitution and separation of powers. The Constitution establishes separation of powers between Legislature, Executive and Judicial branches of the Government. Another feature is federalism. Our Constitution

establishes a federal system of governance between the Union and the States. Next is rule of law. The Constitution establishes our commitment to the rule of law. Next is independence of judiciary. The Constitution establishes an independent judiciary that can invalidate Government actions or violate legislations. Secularism is the fifth criterion. The landmark Kesavananda Bharati judgment is a leading judgment on the basic structure doctrine of the Constitution. Shankari Prasad's case in 1951 ruled that Parliament can amend any part of the Constitution under Article 368, including Fundamental Rights. Same was the verdict of the Supreme Court in Sajjan Singh's case in 1965. However, in Golaknath's case in 1967, the Supreme Court reversed its earlier views that Fundamental Rights can be amended and it said that the Fundamental Rights are not amenable to parliamentary restrictions. In Kesavananda Bharati's case in 1973, the Supreme Court held that although no part of Constitution, including Fundamental Rights, was beyond the parliamentary powers of amendment, but the basic structure of the Constitution could not be abrogated even by the Parliament. The judgment, in fact, said that the Parliament can only amend the Constitution and not rewrite it, meaning thereby that the power to amend it is not the power to destroy it. It further held that judiciary can strike down any amendment passed by the Parliament that is in conflict with the basic structure of the Constitution. Again, in the case of Indira Gandhi versus Raj Narain in 1975, the Supreme Court applied the theory of basic structure and struck down Clause 4 of Article 329-A, which was inserted by 39th amendment in 1975. In 1980, Minerva Mills' case further strengthened the basic structure doctrine. The judgment struck down two changes made by 42nd amendment.

In 1981, in Bommai's case, Supreme Court again reiterated the doctrine of basic structure. In Indra Sawhney's case, while examining the scope and extent of Article 16(4) regarding reservation of jobs for backward class, the Supreme Court added Rule of Law to the list of basic structure of the Constitution. In the year 1994, in case of S.R. Bommai, Supreme Court tried to curb the blatant misuse of Article 356 relating to imposition of President's Rule on the States. The Supreme Court held that policies of the State Government directed against element of basic structure of Constitution would only be a valid ground for exercise of Central power under Article 356. Article 356 would be applied only in cases of constitutional breakdown and/or the failure of constitutional machinery. Though Dr. B.R. Ambedkar had assured that this provision would remain a dead letter in the Constitution, even then, it had been misused 90 times by the Congress Government. All the time, it was political consideration rather than any general breakdown and, in most of the cases, majority Governments were removed on the ground of political instability. S.R. Bommai's case

laid down the conditions under which State Governments may be dismissed. Sir, during mid 1970s, there was a huge political and social turmoil throughout the country. There were economic challenges, social unrest and, resultantly, political instability. There was unemployment, inflation and, therefore, there occurred a widespread protest by the people. Mrs. Gandhi had to impose Emergency in the year 1975. As stated by hon. Finance Minister yesterday, there were only five leaders in Lok Sabha to oppose the passing of 42nd Amendment Act and there was none in Rajya Sabha to oppose it. All the big leaders and opponents had been sent to jail under MISA. The 42nd Amendment was brought in, and it undermined the very foundation of our Constitution. It destroyed the Constitution, and the Congress Government, under Indira Gandhiji, completely spoiled the democracy. सर, इस किताब को खतरा आज नहीं है, इस किताब को खतरा 1970 के दशक में था। The primary object of the Amendment was to enhance the power of the Centre and to reduce the influence of judiciary. Articles 32, 226 and 131 of the Constitution were amended. The role of the Supreme Court and the High Courts regarding judicial review was curtailed and it was provided that judiciary could not interfere with the legislative matters.

सर, कल रात की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। इमरजेंसी पर, 42nd Amendment पर बहुत बहस हो गयी है। कल मेरे सपने में शिव जी आ गए। कभी-कभी LoP के सपने में आते हैं, तो वे शिव जी को दिखाते हैं। मैं उनका फोटो या तसवीर तो नहीं लाया हूँ। वे कल मेरे सपने में आ गए और बोले कि बच्चे, एक बड़े दुख की बात है कि इस संविधान की किताब, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, डा. राजेन्द्र बाबू ने तथा उन जैसे लोगों ने बनाया, इसको लेकर दो-तीन आदमी, एक भाई-बहन घूमते रहते हैं। ज़रा सा जनता को समझाओ कि ये क्यों घूम रहे हैं।

सर, 1970 में साहेबजादे जी का जन्म हुआ और 1975 में इमरजेंसी लग गई। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो तमाम हो-हल्ला हुआ। हालत यह हुई कि तख्तापलट हो गया। दादीजी की जो कुर्सी थी, वह चली गई। पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, तो यह जो संविधान है, उन्होंने 42nd Amendment करके संविधान बदल दिया था। अब यह जो संविधान का हौवा — उस समय कुर्सी जो पलटी, तो एक thunder type हो गया, बिजली गिर गई, कुर्सी चली गई और देखा कि कल तक राजा थे, आज रंक हो गए। वे इसी वजह से संविधान लेकर घूमते हैं। उनको दिन में भी संविधान का सपना आता है। तो हमारे बाबा शिव जी का जनता को यह संदेश है ...(समय की घंटी)... कि जनता इस संविधान के घूमने से नहीं घबराए। कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वे संविधान लेकर घूमते हैं। ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: आप conclude कीजिए।

श्री मनन कुमार मिश्र: और कोई खास बात नहीं है, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। श्री राजीव शुक्ला जी, 3 मिनट।

श्री राजीव शुक्ला: सर, 3 मिनट नहीं, उसमें 5 मिनट था।

श्री उपसभापति: यहाँ मेरे सामने 3 मिनट लिखा हुआ है।

श्री राजीव शुक्ला: 5 से 3 मिनट किसने कर दिया?

श्री उपसभापति: आप समय का पालन करें, प्लीज़। यहाँ 3 मिनट लिखा हुआ है। अगर आप चाहें, तो आकर बाद में देख सकते हैं।

श्री राजीव शुक्ला: सर, यह तो गलत बात है। 3 मिनट में कोई आदमी क्या बोलेगा।

श्री उपसभापति: आप 3 मिनट में बोलिए।

श्री राजीव शुक्ला (छत्तीसगढ़): आदरणीय उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सोच रहा था कि संविधान पर बहस होगी। हम सब बहुत खुश थे कि संविधान पर बहस होगी, गरिमामयी बहस होगी, गंभीर बहस होगी, चिंतन होगा और बिना मनमुटाव के लोग इस पर बहस करेंगे। लेकिन यह क्या बहस है? इस पर दोनों सदनों में जो भाषण हुए, उनको मैंने सुना है। लगता है कि पूरे टाइम यह बहस जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ है, पूरे टाइम नेहरू जी को गालियाँ, इंदिरा जी को गालियाँ, राजीव जी को गालियाँ, मनमोहन सिंह जी को गालियाँ। सर, यह क्या बहस हो रही है? ऐसा लग रहा है कि यह संविधान पर कोई चर्चा ही नहीं है, सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप है। ...**(व्यवधान)**... मैं सब तरफ की बात कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... यह सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप है। आज क्या होना है, आगे क्या होना चाहिए - इस पर कोई बात ही नहीं है। क्या नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया? क्या इंदिरा जी ने कोई काम नहीं किया? क्या लालबहादुर शास्त्री जी ने कोई काम नहीं किया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोई काम नहीं किया? इस बहस में अटल जी का नाम तक नहीं है, जिन्होंने 6 साल इतने काम किये कि पूछो मत। यह हम बता सकते हैं कि उन्होंने कितने काम किए। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में इतने काम किये, economic reforms से मनरेगा तक तमाम चीजें कीं, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं है। दो दिनों तक सुबह से शाम तक पूरी बहस सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप पर चल गई। क्या यह संविधान पर बहस है? क्या यह 75 साल के गौरवशाली इतिहास पर बहस है? हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने इस गंभीर बहस को सिर्फ गाली-गलौज की बहस बना दिया। हमने कहीं यह बात नहीं कही कि किसने क्या-क्या काम किये। खुद मोदी जी कहते हैं कि हर प्रधान मंत्री का योगदान है। क्या हमने उन योगदानों पर चर्चा की? हमने उनकी खामियों पर चर्चा की। हमने उनकी कमियों पर चर्चा की। हमने सिर्फ आलोचना पर ध्यान दिया, इसलिए मुझे लगता है कि यह सार्थक बहस नहीं हुई है। मुझे तीन मिनट का मौका मिला, मैं यही कह सकता हूँ कि यह सार्थक बहस नहीं है और अगर सार्थक बहस करनी थी, तो 60 साल पहले किसने क्या निर्णय लिया, किन परिस्थितियों में लिया, हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा।

चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री थे। चार महीने में उन्होंने कई काम किये। नरसिम्हा राव जी ने economic reforms वगैरह के काम किए। राजीव गांधी जी ने बैंकिंग सेक्टर पर Raja Chelliah Committee बनाई, Narasimham Committee बनाई। उन्होंने चुनाव सुधार किए, दल-बदल विधायक लाया। हमने संविधान पर क्या किया कि आप कह रहे हैं कि आपने सरकारें गिराईं। अगर आप यह कहते हैं कि हमने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत सरकार गिराई, तो आपने एमएलए खरीद कर सरकारें गिराईं। क्या हम यही आरोप-प्रत्यारोप करते रहेंगे? क्या यही बहस है कि हम एमएलए खरीद कर सरकारें गिराएंगे और आपने संविधान के अनुच्छेद 356 के जरिए सरकार गिराई। यह कोई बहस का विषय नहीं है।

उपसभापति महोदय, मेरा अपना मानना है कि यह एक सार्थक बहस नहीं है। यह ठीक है कि उन खामियों को दर्शाना है, लेकिन देश में 75 साल में सारे प्रधान मंत्रियों ने मिल कर काम किया है, चाहे विकास का काम हो, चाहे सुधारों का काम हो। जो पहले संविधान संशोधन की बात होती है, उसमें जमींदारी उन्मूलन था, भूमि सुधार था। क्या वह गलत था? छुआछूत को मिटाने का काम था। छुआछूत को खत्म करने संबंधी संविधान संशोधन था। क्या वह गलत था? कुछ संविधान संशोधन, जो देश और समाज के हित में थे, वे किए गए। क्या वे गलत थे? मेरा यह मानना है कि हमें उस पर बहस करने के साथ-साथ यह भी सोचना चाहिए कि आगे हमें क्या-क्या करना है। किसानों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आज युवा परेशान हैं क्योंकि तमाम राज्यों में परीक्षाओं का पर्चा बिक जाता है, उसको खत्म करके उनके लिए कुछ करना चाहिए। बेरोजगारी के लिए कुछ होना चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए। हमें हर क्षेत्र में विकास की बात करनी चाहिए। हमें गाली-गलौज बंद करनी चाहिए।

मैं लास्ट बात ज्यूडिशरी पर बोलता हूँ। कहा जाता है कि आपने ज्यूडिशियल सिस्टम में तमाम लोगों को यह बना दिया। अगर ये जाएंगे, तो हम भी दस उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे आपने भी जजेज को लोक सभा चुनाव लड़ा दिया। उन्होंने पश्चिमी बंगाल में एक बयान दिया। ...**(व्यवधान)**... गुमान मल लोढ़ा ...**(व्यवधान)**... यहाँ पर हमारे मित्र रंजन गोगई जी राज्य सभा में आ गए। मैं कहता हूँ कि यह बात गलत है। जो डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आपस में बात न करें।

श्री राजीव शुक्ला: सर, ज्यूडिशरी में भी रिफॉर्म्स आने चाहिए। मैं यह बार-बार कहता हूँ कि जो ज्यूडिशरी सब चीजों में रिफॉर्म ला रही है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रिफॉर्म, बीसीसीआई में रिफॉर्म, हॉकी में रिफॉर्म, लेकिन ज्यूडिशरी में कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है। हमें यह बात यहाँ रखनी चाहिए थी। हमने जो NJAC पास किया था, भूपेन्द्र जी यहाँ बैठे हैं, वे यह जानते हैं कि किस तरह से NJAC का बिल पास हुआ था और किस तरह से executive और judiciary को मिल करके जजेज अप्वाइंट करना है, लेकिन यह नहीं हुआ। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, राजीव जी।

श्री राजीव शुक्ला: सर, एक-एक जगह पर 60-60 vacancies हैं। ...**(समय की घंटी)**... मेरी यह माँग है कि अगले सत्र में संविधान पर दोबारा एक बार बहस होनी चाहिए। यह वाली बहस नहीं, बल्कि असली वाली बहस होनी चाहिए।

श्री उपसभापति: माननीया श्रीमती सागरिका घोष जी। आपके पास तीन मिनट का समय है।

5.00 P.M.

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE (West Bengal): Hon. Mr. Deputy Chairman, Sir, India is constituted as a Sovereign Republic. That is the Preamble of our Constitution. 'Sovereign' means independent legitimate rule. India is a Sovereign Independent country, but in a democracy, it is the citizen who is sovereign. The citizen is the ruler. All this time, from the Treasury Benches, we hear Jawaharlal Nehruji, Indira Gandhiji and court cases. We do not hear how this Government intends to uphold the sovereignty of the citizen, which is the prime teaching of the Constitution. Articles 19 to 22 establish the individual freedoms of every citizen. Articles 23 to 24 establish the citizen's right against exploitation and coercion. Articles 25 to 28 establish freedom of conscience and freedom of religion for every citizen. But, is the sovereignty of the citizen being upheld today? No, Sir; it is not. When free speech is stamped out, when writers are charged with sedition, the citizen is not sovereign. When a Government is dictating to citizens what to wear, what to eat, who to marry, what to think, what to read, what to write, what movies to see, the citizen is not sovereign. When *Gau Rakshaks* attack and kill those who eat a certain kind of food, citizens are not sovereign. When so-called media managers are asked to remove or suspend journalists who tell the inconvenient truth, citizens are not sovereign. When a former BJP Chief Minister says if women dress a certain way, they are asking to be assaulted, citizens are not sovereign. When the BJP calls for economic boycott of Muslims, citizens are not sovereign. When voluntary interfaith marriages are called love jihad, citizens are not sovereign. When democratic institutions that are supposed to protect the citizens are subordinated to political power, citizens are not sovereign. The truth is; the BJP doesn't understand constitutionalism. They only understand majoritarianism. And, majoritarianism is the enemy of constitutionalism. It is because of majoritarianism and that they don't respect political diversity. States like Bengal have been denied funds since 2021. It is because of majoritarianism that today there is not a single Muslim Member in their Lok Sabha team in Parliament. ...**(Interruptions)**... That is their majoritarianism, even though they say they are protecting Muslim

women. It is because of majoritarianism that there were over 500 attacks on Christians in 2023.

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)...

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: It is the majoritarian mindset that weaponizes the Enforcement Directorate and uses it to target the opposition leaders and once they switch to the BJP are given washing machine! Sir, the Constitution gives sovereignty to the citizen. The Constitution gives sovereignty to the individual. The Constitution gives sovereignty to the people. The Constitution does not give sovereignty to the £
The Constitution does not give sovereignty to the £

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Sagarikaji. (*Time-bell rings.*)

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: The Constitution does not give sovereignty to the £

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, *Mananiya* Shri Haris Beeran; three minutes.

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, with eternal thankfulness, I remember, the efforts made by the freedom fighters and later the efforts made by the members of the Constituent Assembly, particularly, "Quaid-e-Millat" Muhammad Ismail Sahib, who happened to be the founder of my party, Indian Union Muslim League, and then a Member of this august House. Undoubtedly, our Constitution is one of the finest documents in the world, but the question we have to ask is, whether we have done justice to the framers of the Constitution. We are proud of the fact that there is no other country in the world like India which offers diversity. Diversity, in fact, defines the country. But what happens to the idea of India is, the 'idea of India' is being disappeared. Now, secularism is one of the basic structures of the Constitution. Now, we have to test secularism by looking at the laws which have been passed. Now, there is a law which was passed three or four years back. It is the Citizenship (Amendment) Act, where the criterion for giving citizenship was religion, which is an affront to the secularism, which was an affront to the Constitution and is an assault on

£ Expunged as ordered by the Chair.

the Constitution. Now, there is another Act, Places of Worship Act. There is a lot of discussion on the Places of Worship Act. It has not been implemented in letter and spirit resulting in a lot of law and order situation. Now, there are assaults on the minorities. We have Manipur issue, the bulldozer justice, mob-lynching, hate speeches, etc., which are also assault on the Constitution. Now, federalism is also one of the basic structures of the Constitution. I come from Kerala. In Kerala, there is a Governor who acts as a super Chief Minister, sits on the Bills and doesn't give his assent to the Bills. That is affront to the federalism of the country.

One Nation, One Election Bill has been introduced in the Lok Sabha, which is also an affront to federalism. On the socialism aspect, reservation which is under article 16(4) of the Constitution clearly says that adequate representation should be given to the socially and educationally backward classes. Is adequate representation given to a particular backward class? That can only be done by a caste census. Caste census has not been done by this Government for ten or twelve years. That is also another affront to the Constitution. Independent Judiciary is another basic structure of the Constitution. We have seen Press conferences by the judges of the Supreme Court themselves that all is not well within the system. We have seen controversies with regard to master of the roster. We have also seen that the judges are saying, "I got divinity for writing the judgements". Judges are also bound by the Constitution and Constitution alone and not by divinity. Therefore, we have to say that the Constitution has to go deep into the system. The Constitution has to work from the ward level. The values have to be protected from the ward level.

The non-residents Indians are abroad. There is voting right given to everybody. But we have forgotten them. We have forgotten these non-resident Indians who are abroad. We have to get them to the voting system. ...(*Time-Bell rings.*)... Sir, I am concluding. The history will judge us very poorly. Therefore, we have to act together. We have to consciously act to see that the Constitution works really well in letter and spirit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, three minutes.

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र): सर, अनेक भाषण सुने, 11 संकल्प सुने। संकल्प किया गया women-led development का, यह अच्छा संकल्प है, परंतु 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भी आज भविष्य की ही बात करता है। सर, आज की बात होती, तो कोई बात होती। आज की बात होती, तो बृज भूषण शरण सिंह की बात होती, बिलकिस बानो के हत्यारों की बात होती, बदलापुर की बात होती। सर, प्रज्वल रेवन्ना की बात होती, बीजेपी के पूर्व मुख्य मंत्री येदुरप्पा पर पॉक्सो की बात होती। सर, सबके साथ का संकल्प बहुत अच्छा संकल्प है, परंतु अगर आज की बात होती, तो

बुलडोजर जस्टिस की बात होती, मॉब लिंगिंग की बात होती, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती। सर, भ्रष्टाचार के प्रति नो टोलरेंस का संकल्प तो बहुत ही अच्छा है, परंतु अगर आज की बात होती, तो आज भ्रष्टाचार कहां नहीं है? आज भ्रष्टाचार बेसिक सर्विसेज में, योजनाओं में, मुफ्त घर में, मुफ्त अनाज में, कास्ट सर्टिफिकेट्स में, 'आयुष्मान भारत' में, यहां तक कि सब-स्टैंडर्ड काम में है। एयरपोर्ट्स की छत गिर रही हैं, रोड में गड्ढे पड़ रहे हैं, ब्रिजेज गिर रहे हैं, शिवाजी महाराज का पुतला तक गिर रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार दिख रहा है, लेकिन बात हो रही है संकल्प की कि भ्रष्टाचार के लिए नो टोलरेंस। गुजरात में बार-बार ड्रग्स पकड़े जाते हैं, सारे देश में छोटे-छोटे बच्चों को नशे की आदत लगायी जा रही है, ये आज की बात है। गौ मांस का व्यापार करने वालों की कंपनी सरकारी पक्ष को कैसे डोनेशन देती है? सर, न्यायाधीश नफरत का खेल खेल रहे हैं। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, यह आज की बात है। सर, संविधान के सम्मान की बात भी बहुत अच्छा संकल्प है, लेकिन संविधान के संस्मरण की निशानियां और क्या बाबा साहेब डा. अंबेडकर के पुतलों की तोड़-फोड़ संवैधानिक मूल्यों की तोड़-फोड़ नहीं है? सर क्यों इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं? पिछले तीन-चार महीनों में - आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पांच बार, मध्य प्रदेश में, परभणी में महाराष्ट्र में बाबा साहेब डा. अंबेडकर के पुतलों की तोड़-फोड़ होती है और परसों एक आदमी की कस्टोडियल डेथ हो गई। क्या यह सब संविधान के लिए शर्मनाक बात नहीं है? इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आज की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सर, ये कहते हैं कि 15 प्रतिशत लोगों से 85 प्रतिशत लोगों को डर है। सर, एक मेंबर ने कहा..

†**ڈاکٹر فوزیہ خان (مہاراشٹر):** (سر، انیک بھاشن سنے، گیارہ سنکپل سنے۔ سنکپل کیا گیا وومین لیڈ ڈیولپمنٹ کا، یہ اچھا سنکپل ہے، لیکن، ناری شکتی وندن ادھینیم بھی آج بھوشیہ کی ہی بات کرتا ہے۔ سر، آج کی بات ہوتی، تو کوئی بات ہوتی۔ آج کی بات ہوتی تو برج بھوشن شرن کی بات ہوتی، بلقیس بانو کے ہتھیاروں کی بات ہوتی، بدلاپور کی بات ہوتی۔ سر، پرچول ریوننا کی بات ہوتی، بی جے پی کے سابق مکھیہ منتری یدورپا پر پاکسو کی بات ہوتی۔ سر، سب کے ساتھ کا سنکپل بہت اچھا سنکپل ہے، لیکن اگر آج کی بات ہوتی، تو بلٹورز جسٹس کی بات ہوتی، ماب لنچنگ کی بات ہوتی، پلیسیز آف ورشپ ایکٹ کی بات ہوتی۔ سر، بھرشتاچار کے تئیں نو ٹالرینس کا سنکپل تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر آج کی بات ہوتی، تو آج بھرشتاچار کہاں نہیں ہے؟ آج بھرشتاچار بیسک سروسز میں، یوجناؤں میں، مفت گھر میں، مفت اناج میں، کاسٹ سرٹیفکیٹس میں، آیوشمان بھارت میں، یہاں تک کہ سب اسٹینڈرڈ کام میں ہے۔ انپورٹس کی چھت گریبی ہے، روڈ میں گڈے پڑ رہے ہیں، بزنس گریبی ہیں، شیواجی مہاراج کا پتلا تک گریبا ہے، ہر جگہ بھرشتاچار دکھ رہا ہے، لیکن بات ہورہی ہے سنکپل کی کہ بھرشتاچار کے لیے نو ٹالرینس۔ گجرات میں بار بار ڈرگس پکڑے جاتے ہیں، سارے دیش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشے کی عادت لگائی جارہی ہے، یہ آج کی بات ہے۔ گومانس کا ویپار کرنے والوں کی کمپنی سرکاری پیش کو کیسے ڈونیشن دیتی ہے؟ سر، نیائے دھیش نفرت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ چناؤ میں پیسہ پانی کی طرح بہایا جارہا ہے، یہ آج کی بات ہے۔ سر، سمودھان کے سمان کی بات بھی بہت اچھا سنکپل ہے، لیکن سمودھان کے سنسمرن کی نشانیاں اور کیا بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کے پتلوں کی توڑ پھوڑ سمودھانک ملیوں کی توڑ پھوڑ نہیں ہے؟ سر کیوں اتنی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں؟ پچھلے تین چار مہینوں میں اندر پردیش میں، اتر پردیش میں پانچ بار، مدھیہ پردیش میں، پرہنی میں مہاراشٹر میں بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کے پتلوں کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور پرسوں ایک آدمی کی کسٹوڈیل ڈیٹھ ہوگئی۔ کیا یہ سب سمودھانک کے لیے شرمناک بات نہیں ہے؟ اس کی چرچہ کیوں نہیں ہورہی ہے؟ آج کی چرچہ کیوں نہیں ہورہی ہے؟ سر، کہتے ہیں کہ 15 فیصد لوگوں سے 85 فیصد لوگوں کو ڈر ہے۔ سر، ایک ممبر نے کہا۔

that in 2014, a saviour came and saved the nation and its Constitution from some illusionary doom. ... (Time-bell rings.)... I am reminded of a famous quote by Saadat

† Transliteration in Urdu script.

Hasan Manto, "India needs to be saved from the people who say it should be saved."
Thank you.

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपका आभार है कि आपने मुझे आज इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया है। तमाम चर्चाओं के बीच में हम सब ने बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को न केवल भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में देखा, बल्कि सामाजिक न्याय के एक प्रबल प्रवर्तक के रूप में हमने उनका स्तुतिगान भी किया है। उन्होंने संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाया था, जो नागरिकों के समान अधिकार, स्वतंत्रता, समन्वय के लिए भविष्य में काम आए। डा. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान केवल कागज़ों पर लिखे शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की आत्मा है। उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा था कि संविधान के प्रावधानों का पालन तभी प्रभावी होगा, जब समाज के लोग समानता, बंधुता और न्याय के मूल्यों को अपनाएं। किसकी कैसी दृष्टि है और आत्मा को कैसे पहचानता है, लोगों की सकारात्मक दृष्टि भी है और नकारात्मक दृष्टि भी है। तमाम चर्चाओं के बीच में लोगों ने जो आरोप लगाया, मैं कह सकता हूँ कि आज की वर्तमान सरकार की जो दृष्टि है, वह सकारात्मक है। पिछली सरकारों में नकारात्मक दृष्टि के कारण कई बार संविधान की धज्जियां उड़ीं। मैं कभी-कभी उदाहरण देता हूँ कि दो पक्षी लंबी उड़ान उड़ते हैं, जिसमें एक गिद्ध है और दूसरा गरुड़ है। गरुड़ की दृष्टि मंदिर के पवित्र गुम्बद पर होती है और गिद्ध की दृष्टि मरे हुए पशुओं के मांस के लोथड़ों पर होती है। एक की सकारात्मक दृष्टि है और दूसरे की नकारात्मक दृष्टि है। जब शक्ति के साथ संविधान का अनुपालन सुनिश्चित हुआ, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में देश के प्रधान मंत्री के कार्यकाल में तमाम काम हुए। मैं कह सकता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 81वां संविधान संशोधन किया। उसके अंतर्गत तमाम संशोधनों की नीतियां सुनिश्चित हुईं और अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रति संविधान की न्याय सुनिश्चित करने की जो मानसिकता थी, वह 81वें संविधान संशोधन में पूरी हुई। इसमें यह सुनिश्चित हुआ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए खाली पड़े आरक्षित पदों को भरा जा सकता है। यह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदृष्टि थी।

सर, मैं एक माननीय सदस्य को देख रहा था कि वे बोड़ो लैंग्वेज में बोले। अटल जी ने उस समय, जब उनका शासन था, सत्ता में थे, तो आगे का जो कार्यकाल था, उन्होंने न केवल बोड़ो को, बल्कि डोगरी थी, मैथिली थी, संथाली थी, उसमें 92वां संशोधन किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन भाषाओं को, जिसमें आज वे बोड़ो में बोल रहे थे, इन भाषाओं को उन्होंने 8वीं अनुसूची में शामिल किया। यह एक ऐसे मनुष्य की दूरदृष्टि थी, जिन्होंने भाषाई विविधता को एक समरूपता का भाव दिया। आज कोई गब्बर सिंह टैक्स बोलता है, कोई और कुछ आरोपित करता है, तो 1999 में जीएसटी पर माननीय अटल जी की जो मनोभावना थी कि करों का एकीकरण हो और इनको मिलाया जाए, उसमें उन्होंने अपनी क्रियाविधि को प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने वैश्विक जीएसटी मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक रूपरेखा बनाई और डा. विजय केलकर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया था। आज यही जीएसटी, कई गुना आय के स्रोत का माध्यम बना है और इसी से न हमारा केवल निवेश बढ़ा है, बल्कि आर्थिक

संतुलन भी बढ़ा है। हमारी जो तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, उनका संचालन आज हम जीएसटी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं।

मान्यवर, डा. भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसके प्रति जो दृष्टिकोण है, वह समतावादी, प्रगतिशील न्याय पर आधारित है। वे संविधान को न केवल कानून का दस्तावेज मानते थे, बल्कि वे इसको सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी देखते थे। आज समय के अनुसार संविधान को लोगों ने एक तरीके से अपनी नकारात्मक दृष्टि के कारण, उसको घायल करने की चेष्टा की है और मैं कहूंगा कि भीषण हत्या हुई है। भीषण हत्या का जो स्वरूप था, वह 1975 में दिखाई पड़ा। हालांकि 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में एक साथ चुनाव होते थे। महोदय, उस समय विधान सभा और लोक सभा के एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन उस समय की सरकारों ने संविधान का उल्लंघन करना प्रारंभ करके एक साथ नौ-नौ सरकारों को गिराने का जो उत्क्रम प्रारंभ किया, वहीं से इस संविधान का पतन अथवा संविधान के पतन की जो चेष्टा थी, वह प्रारंभ हुई। मैं कह सकता हूं कि यह प्रक्रिया यहीं ठहरी नहीं, बल्कि 1975 में एक ऐसा समय भी आया था, जिस इमरजेंसी को मैंने अपने छोटेपन में देखा है। मैंने घरों की स्थिति देखी है कि लोगों को किस तरह से असत्य आरोपों में निरुद्ध किया गया। उस समय पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा, जबरन नसबंदियां कराई गईं और विभिन्न प्रकार के अत्याचार की जो पराकाष्ठा थी, वह भी हुई। महोदय, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थीं, उनको न केवल नष्ट किया गया, बल्कि संविधान में बगैर नियम और कानूनों के अनुचित संशोधन किये गए। यह क्रम यहीं पर नहीं रुका, बल्कि समय-समय पर जो-जो परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों की दृष्टि यह हुई कि जो जीएसटी का मुद्दा था - मैंने बोला था कि उसका विरोध इसलिए किया गया, क्योंकि उसमें 17 से अधिक कर थे और 13 उपकर थे, उनका एक मद में निरुद्धीकरण हुआ।

महोदय, इसके साथ-साथ तमाम ऐसी चीजें थीं कि संविधान में आरक्षण के संबंध में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह पहले से बोलती आई है, लेकिन उन्होंने अपने समय में न केवल उसको नष्ट करने की चेष्टा की, बल्कि उसका उपहास भी उड़ाया।

महोदय, हम लोग जिक्र करते हैं कि आज तमाम राजनीतिक दल आपस में दोस्ती करते हैं, हालांकि, उन दोस्तियों में समय के अनुसार परिवर्तन होता है। कभी-कभी यह भी होता कि अंतर्मन में जो विचार होते हैं, जैसे आचार-व्यवहार होते हैं, वे शब्द स्वतः कहीं न कहीं से निकल आते हैं।

महोदय, हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं। वे अब प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसरित हैं। वे कभी-कभी ऐसी बातें बोलते हैं कि उनका जवाब देना मुश्किल होता है। उनकी इच्छाशक्ति तब जागृत होती है, जब उनका विदेश भ्रमण प्रारंभ होता है। ऐसी विदेशी सोच वाले लोग, जो नकारात्मक दृष्टि से भारत को शक्तिविहीन करना चाहते हैं, जो भारत में राष्ट्रवाद को नहीं पनपने देना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगत में उनके चित्र विदेशों में जाने पर दिखाई पड़ते हैं। मान्यवर, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो आरक्षण है, जब उसका एक निश्चित समय आ जाएगा और एक निष्पक्षता हो जाएगी, तो हम भारत में आरक्षण को समाप्त करने पर विचार करेंगे। महोदय, कांग्रेस की यह मानसिकता ऐसे ही ज़ाहिर नहीं हुई। इतने बड़े नेता के मन में आरक्षण को समाप्त करने की जो भावना थी, वह हिंदुस्तान में नहीं निकली, क्योंकि विदेश के प्रति आकर्षण का भाव था और जब विदेश में गए, तो जो उत्कंठा थी, वह उनके अंतर्मन से निकलकर बाहर आ गई। उन्होंने यह ऐसे

ही नहीं कहा था। यह उनके परिवार का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि उनके आदरणीय पूज्य नानाश्री के समय में किस प्रकार से सरकारों को बर्खास्त किया गया, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गईं। महोदय, पूज्य दादी जी के समय क्या हुआ था? दादी जी के समय में तो इमरजेंसी आ गई और इमरजेंसी से पहले भी, जब मंडल कमीशन को लागू करने की बात हो रही थी, तो मंडल कमीशन को लागू करने पर उन्होंने न केवल इसका विरोध किया, बल्कि उनके पूज्य पिताजी, आदरणीय नेहरू जी ने जो बोला था कि मैं नौकरियों में आरक्षण से सहमत नहीं हूँ, उन्होंने इसके बारे में जो व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की थीं, उसका परिपालन आदरणीय इंदिरा जी के द्वारा किया गया। जब आदरणीय राजीव जी सत्ता में आए, तो राजीव जी ने 2 घंटे, 43 मिनट तक संसद में खड़े होकर भाषण दिया, ताकि पिछड़ों को आरक्षण न मिले और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया।

महोदय, यह तब लागू हुई, जब बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की जो इच्छा थी कि पिछड़ों को अधिकार मिले, अनुसूचित जातियों को अधिकार मिले, उनकी यह इच्छा तब आगे बढ़ी, जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार आई और इस प्रकार के आरक्षण की प्रविधि सुनिश्चित हुई।

मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह बदलता हुआ समय है और इस समय में आप यह देख सकते हैं कि अभी हमने 25 जून को जो 25वाँ 'संविधान हत्या दिवस मनाया' है, वह इसीलिए मनाया है कि इस प्रकार की घटनाएँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि 1975 में ज्वालामुखी से भी ज्यादा बड़ा विस्फोट हुआ था और उसके बाद से ये लगातार इस प्रकार की कृतियाँ कर रहे हैं कि विदेशों में जाओ, नैरेटिव बनाओ, नैरेटिव बनाने के बाद भारत को बदनाम करो। भारत को बदनाम ही न करो, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करो। यहाँ के स्टोक एक्सचेंज को प्रभावित करने की कोशिश करो, यहाँ के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करो। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली चीज़ें थीं, वे संवैधानिक प्रक्रिया को नष्ट करने वाली थीं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने संघवाद को बढ़ावा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यानी एनडीए की सरकार में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई और इसमें हमने राज्यों को हस्तांतरित करों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का काम किया। सरकार, चाहे वह विपक्ष की कोई राज्य सरकार हो या किसी अन्य की सरकार हो, वह एक अच्छे समन्वय के साथ काम करना चाहती है। इसे लेकर जो चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं में यहाँ पर एक पक्षीय आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए। कुछ लोग तो संसद भवन की बात करते थे कि अगर यहाँ पर खोदेंगे, तो डिग्री मिलेगी। मान्यवर, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनता कह रही है कि अगर शीश महल को खोदेंगे, तो भ्रष्टाचार की बोतल मिलेगी, उसमें कुछ और नहीं मिलेगा। यह बदला हुआ समय है। अगर इसमें हम संविधान का उल्लंघन करते हैं और संविधान की अवहेलना करने का काम करते हैं, तो आज की जनता कोई अल्पज्ञ नहीं है, वह सबसे ज्यादा जानती है। हमारे बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने महिला सशक्तिकरण की बात की थी। अगर काँग्रेस के मित्रों से पूछें, तो वे कहेंगे कि हमने पहली महिला प्रधान मंत्री और पहली महिला राष्ट्रपति बना दी। मान्यवर, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कब हुआ? इनके समय में कविता होती थी —

“अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।”

अब महिला की आँखों में पानी नहीं है, बल्कि महिला की आँखों में संभावनाएं हैं, प्रगति की आकांक्षाएं हैं। देश की प्रगति में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी के द्वारा महिलाओं को दिया गया 33 प्रतिशत का आरक्षण है। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, वह उनके लिए कवच बनकर सामने आया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि केवल बात करने से कुछ नहीं होता है। ये तो वे लोग हैं, जो 1985 में शाहबानो केस में महिला के अधिकारों का अतिक्रमण करके एक नया कानून पास कर देते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो 1996 में आ जाता, लेकिन इन्होंने उसको पास नहीं किया। और तो और, ये हर समय इस प्रकार के कृत्य करते हैं। नारी शक्ति का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई हैं और जैसा कि हमारे मित्र ने अपने उद्बोधन में बताया कि वे संविधान के पृष्ठ पर थीं। उनका चित्र क्यों था, यह किसी ने नहीं सोचा। वे नारी सशक्तिकरण की प्रतीक थीं। नारी सशक्तिकरण की प्रतीक इसलिए थीं, क्योंकि देश को स्वतंत्रता दिलाने में उनका योगदान था। आप लोग विभिन्न प्रकार की बात करते हैं। आज समय के अनुसार हमारी सरकार ने जितने भी औपनिवेशिक कानून थे, उन्हें बदला है और निष्पक्षता के साथ बदला है। हमारे देश का आर्थिक विकास हो सके, इसके लिए उन्होंने आगे काम किया है। हमारे संविधान के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि यदि चुने हुए लोग चरित्रवान तथा ईमानदार हैं, तो दोषपूर्ण संविधान भी सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में यह संविधान सर्वश्रेष्ठ अवस्था में पहुंचने की ओर अग्रसर हो रहा है। मान्यवर, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उसे खत्म करने के लिए इन्होंने जितने भी कुकर्म किए, विदेश में जाकर बयान दिए, विदेशी शक्तियों के माध्यम से दुष्प्रचार किया, तो मैं उन्हें कहूँगा -

“अमृत को दे तिलांजलि, विष को चाट रहे हैं,
कोयले में हीरों की कनी छांट रहे हैं,
जाने कहाँ अकल मिली,
जिस डाल पर बैठे हैं, उस डाल को काट रहे हैं।”

उस डाल को मत काटिए। संविधान के अनुरक्षण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का आह्वान है, उस नेतृत्व को सच्ची भावना से करने की जरूरत है। यह मोदी जी का कार्य है। कांग्रेस के हमारे तमाम विद्वान मित्र हैं, विपक्ष के तमाम विद्वान मित्र हैं, मैं उन्हें विद्वान मानता हूँ। विद्वान इसलिए मानता हूँ, क्योंकि वे जानकारी रखते हैं। हमारे आदरणीय प्रमोद जी को जानकारी है, खरगे जी को जानकारी है। वे विद्वान हैं, लेकिन विद्यावान नहीं हैं। विद्यावान क्यों नहीं हैं - मैं क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, उनकी तुलना किसी से नहीं कर रहा हूँ। हम लोग रावण को विद्वान कहते थे। रावण की जो विद्वता थी, उसकी सोच नकारात्मकता की तरफ जाती थी, इसलिए हम केवल विद्वान कहते हैं। बजरंगबली श्री हनुमान को हम विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर क्यों बोलते हैं ...**(समय की घंटी)**... क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक थी और समाज के हित, चिंतन के लिए थी। इसलिए संविधान समाज के हित रक्षण

के लिए है, इसका अनुरक्षण करना चाहिए और हम इसके रक्षक बनकर काम करें, इसके भक्षक बनकर काम न करें। मैं इस सदन से यही आह्वान करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय दिनेश शर्मा जी। माननीय श्री रीताब्रता बनर्जी जी।

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. The discussion on the 'Glorious Journey of 75 years of our Constitution' will be incomplete without mentioning of a true polymath. He died almost a decade ago before we adopted our Constitution and declared ourselves as a Republic. His profound and deep impact on majority of the Members of the Constituent Assembly in general and on the country as a whole is an integral part of recorded history. A man of distinctive appearance, an accomplished musician and artist, an electric philosopher, and a passionate political activist, Rabindranath Tagore read out a five stanza poem in 1911 at a political session in Kolkata. The poem envisaged the inclusive idea of India.

On 24th of January 1950, the Constituent Assembly adopted the first stanza of the poem as our National Anthem. The rest of the four stanzas are equally important, and today I will, here in this august House, mention about the four stanzas. The four stanzas in 1911 were read out in the Calcutta Session.

Tagore said and I quote the following lines:

& "You call us to unite, day and night,
 Hindus and Buddhists, Jains and Sikhs,
 Parsis, Muslims and Christians meet
 From East and West your throne above
 We move to weave a garland of love
 You the guardian of India's destiny
 Victory to you, victory to you, victory to you."
 "Through rugged paths that rise and fall
 Your pilgrims have traversed them all
 Oh Charioteer the roar of your wheels
 Echo day and night
 On the trail we tread
 The clarion call of your sacred conch
 Saves us from riot, despair, and dread
 You the shield of India's fate

& English translation of the original speech delivered in Bengali.

Victory forever to you, Victory forever to you,
 Victory forever to you."
 "When the night was dark and utterly bleak
 When our land lay in the fevered swoon,
 O loving Mother, you held us close and shielded us from time's morose.
 You the remover of all agony
 The guardian of our destiny
 Victory forever to you."
...(Time-bell rings.)... Sir, I crave your indulgence. Half a minute more.
 "The darkness of the night is done
 Now watch the glory of the rising Sun
 As India awakes
 You the Lord of mighty Lords
 Your glory we shall always applaud
 The remover of all agony
 Guardian of our destiny
 Victory forever to you."

Tagore's idea of India and our Constitution has always emphasized, 'We, the people'. Our Constitution is a fight between monologue and dialogue. Dialogue will always defeat monologue. Eternal glory, eternal victory to dialogue, eternal glory, eternal victory to our Constitution - Ever onward to victory!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Jose K. Mani; three minutes.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I rise today to address a matter that strikes at the very heart of democracy, the soul of our Constitution, a document that enshrines the value of liberty, equality and fraternity. We gather here not only to debate, but hold a mirror to the Central Government on its functioning. Today, the ideals of our Constitution are under siege and it is our duty as Members of Parliament to defend them. Our Constitution envisions a Government of the people, by the people, for the people. However, under this Government's rule, governance has increasingly been for the few, by the few and of the few. Hon. Deputy Chairman, Sir, the world is watching us. India, once hailed as the largest democracy, is being described as a partially free democracy, even an electoral autocracy. Respected organizations such as *Freedom House* and *V-Dem Institute* and others have documented a steady

erosion of democratic norms in India. In its 2024 report, V-Dem went so far as to call India one of the worst autocratizers in the world.

Sir, our Constitution envisions a federal structure where the Centre and the States work as equal partners. Yet, under this Government's rule, federalism has been systematically undermined. A large portion of financial resources has been transferred outside the ambit of Finance Commission giving the Centre undue control and leaving the State at its mercy. Sir, the centralization of financial powers undermines the spirit of cooperative federalism enshrined in India's Constitution and, moreover, violates the spirit of Article 275, which mandates financial aid to States to ensure balanced development.

Sir, a democracy without a free Press is like a body without a soul. Yet, under this Government, the Press has been systematically cowed into submission.

Hon. Deputy Chairman, Sir, the Constitution is not just a document. It is a promise, a promise to protect the weak, to empower the marginalized and to uphold justice for all. The Government, through its policies and actions, has broken this promise. It has failed the Constitution and, by extension, the people of this great nation. To the ruling party, I say this -- the people of India have spoken. It is time to listen, to reflect and to change course. Thank you, Sir.

MESSAGE FROM LOK SABHA
Appropriation (No.3) Bill, 2024.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Message from Lok Sabha; Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 17th December, 2024 passed the Appropriation (No.3) Bill, 2024.

The Speaker has certified that the Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution.

Sir, I lay a copy of the said Bill on the Table.

**DISCUSSION ON THE "GLORIOUS JOURNEY OF 75 YEARS OF THE
CONSTITUTION OF INDIA "- *Contd.***

श्री उपसभापति: प्रो. राम गोपाल यादव जी।